लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चौथा सत्र

Fourth Session

Preservation
17-7-92
Fumigated
On 16.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

खंड 17 में अंक 51 से 61 तक हैं

Vol. XVII contains Nos. 51 to 61

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 59, बुधवार, 8 मई 1968/18 वैशाख 1890 (शक)
No. 59, Wednesday, May, 8, 1968/Vaisakha 18, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	**विषय** SUBJECT	**पृष्ठ**/PAGES
1707. भारत संयुक्त अरब गणराज्य की जेट विमानों सम्बन्धी परियोजना ।	Indo-UAR Project for Jet Aircraft.	1207-11
1708. कीनिया में बसे भारतीय	Indians settled in Kenya.	1211-16
1709. व्यापारी जहाज़ी बेड़ा	Commercial Naval Fleet.	1216-17
1712. जिओग्राफीकल (भौगोलिक) पत्रिका में काश्मीर ।	Kashmir in Geographical Magazine.	1217-20
1713. आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का विस्तार ।	Extension of Commercial Broadcast Services on AIR.	1220-23
1714. बिहार में परमाणु संयंत्र	Nuclear Plant in Bihar.	1223-25
अल्प सूचना प्रश्न	**Short Notice Questions**	
33. रेल के माल डिब्बे न मिलने के कारण पड़ा खाद्यान्न ।	Foodgrains lying in Rajasthan for want of Wagons.	1225-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या	**Starred Q. No.**	
1710. विमानों का पता लगाने वालों के रूप में होम गार्डों की नियुक्ति ।	Employment of Home Guards as Aircraft Spotters.	1230
1711. इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम	Electronics Development Corporation.	1230-31
1715. आकाशवाणी में हिन्दी तथा अंग्रेज़ी के लेखकों द्वारा वार्ताओं के प्रसारण सम्बन्धी नियम ।	Rules for Broadcasting talks by Hindi and English Writers in AIR.	1231

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sin + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1716.	भारत के अकालग्रस्त क्षेत्रों के फोटो का प्रदर्शन ।	Display of Photographs of Famine Areas of India.	1231-32
1717.	भारत की सीमाओं के बारे में आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार ।	Publicity of Boundaries of India through AIR.	1232
1718.	भारतीय दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती ।	Cuts in Staff of Indian Missions.	1232-33
1719.	राष्ट्रमंडल के देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन ।	Commonwealth Prime Ministers' Conference.	1233
1720.	राष्ट्रीय छात्र सेना दल	N.C.C.	1233
1721.	भारतीय नौसेना द्वारा विदेशियों को दिया गया प्रशिक्षण ।	Training given to Foreigners by the Indian Navy.	1234
1722.	नागा फेडरल सेना के डिप्टी कमान्डर-इन-चीफ द्वारा जारी किया गया गुप्त परिपत्र ।	Secret Circular issued by Dy. Commander-in-Chief of Naga Army.	1234
1723.	प्रेस परिषद् के अध्यक्ष	Chairman Press Council.	1235
1724.	दिल्ली के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा ।	Lay-out for Delhi for Fourth Five Year Plan.	1236
1725.	विज्ञापन प्रसारणों के सम्बन्ध में संहिता ।	Code for Commercial Broadcasts.	1236-37
1726.	हिमालय के अंचल में बसे राज्यों का सम्मेलन ।	Conference of Himalayan States.	1237
1727.	भारत-बर्मा सीमा आयोग का प्रतिवेदन ।	Report of the India-Burma Boundary Commission.	1237-38
1728.	संयुक्त राष्ट्र मंडल संघ के प्रकाशनों में कश्मीर ।	Kashmir in UN Publications.	1238
1729.	नेपाली सैनिकों की सेवा-मुक्ति	Release of Nepalese Armed Personnel.	1238-39
1730.	लन्दन में एक रेलगाड़ी में एक एशियाई महिला के धड़ का पाया जाना ।	Torso of an Asian Woman Found in a Train in London.	1239
1732.	भारत के बारे में पेरिस में टेलीविज़न प्रसारण ।	Television Broadcast in Paris about India.	1239
1733.	रूस के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत	Discussion with Soviet Prime Minister.	1240

ता० प्र० सं० या S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1734. आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artistes in AIR	1240-41
1735. केरल में चीनी फिल्मों का प्रदर्शन	Screening of Chinese Films in Kerala.	1241
1736. सैनिक अधिकारियों की विधवाओं को आजीवन पेंशन ।	Life Pension to widows of army officers.	1241-42
1736-क. विद्रोही नागाओं को चीन द्वारा सप्लाई किये गये हथियार ।	Arms supplied by China to Naga Rebels.	1242
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
10069. प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संस्थायें ।	Defence Research and Development Institutions.	1242
10071. प्रकाशन प्रभाग के पास बिना बिक्री पुस्तकों का स्टाक ।	Unsold Stock with Publications Division.	1243-44
10073. भारतीयों के ताइवान जाने पर पाबन्दियां ।	Curbs on Indians going to Taiwan.	1244
10074. उड़ीसा में मोनाजाइट का पाया जाना ।	Monazite Found in Orissa	1244-45
10075. विदेशी जासूस	Foreign Spies	1245
10076. आज़ाद हिन्द सरकार का भूतपूर्व मुख्यालय ।	Former Headquarters of Azad Hind Government.	1245
10077. राष्ट्रीय सुरक्षा के महानिदेशक	Director General of National Security.	1245
10078. केन्द्रीय गुप्तचर विभाग	Central Intelligence Bureau	1245-46
10079. इल्मेनाइट के निर्यात में कमी	Fall in Exports of Ilmenite.	1246
10080. औद्योगिक विकास	Industrial Development.	1246
10081. दृश्य-श्रव्य प्रचार विभाग की प्रदर्शन शाखा का पुनर्गठन ।	Reorganisation of Exhibition Branch of DAVP.	1246-47
10082. नेफा में विमानों से सामान गिराने वाले उपकरणों का प्रयोग ।	Air Dropping Equipment used in NEFA.	1247
10083. शक्तिशाली ट्रांसमीटर	High Power Transmitters.	1247-48
10084. उत्तर प्रदेश में बिजली घर	Atomic Power Plant in Uttar Pradesh.	1248
10086. मद्रास के मेले में पश्चिमी जर्मनी द्वारा प्रचार सामग्री का वितरण ।	Distribution of Publicity Material by West Germany at Madras Fair.	1248

10087. अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह की प्रतिरक्षा । Defence of Andaman and Nicobar Islands. 1249

10088. नेपाल के समाचारपत्रों द्वारा भारत के विरुद्ध आरोप । Allegation by Nepalese Press against India. 1249

10089. गोरखपुर में योजना कार्यालय के कर्मचारी । Staff of Planning Office at Gorakhpur. 1249

10090. लंदन में भारतीय उच्चायोग Indian High Commission in London. 1250

10091. संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में गुप्त विचार-विमर्श की कार्यवाही की जासूसी । Bugging of Confidential Discussions at UNCTAD. 1250-51

10092. परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने की संधि के बारे में युगोस्लाविया का दृष्टिकोण । Yugoslavia's stand on nuclear non-Proliferation Treaty. 1251

10093. प्रधान मंत्री की सिक्किम तथा भूटान की यात्रा । Prime Minister's visit to Sikkim and Bhutan. 1251

10094. प्रेस परिषद् के अध्यक्ष का त्यागपत्र Resignation of Chairman, Press Council. 1251-52

10095. भारत के आदिवासियों के बारे में वृत्त चित्र । Documentary on Tribal India. 1252

10096. फिल्म उद्योग में आदिवासी Tribals in Film Industry 1252

10097. आकाशवाणी के महानिदेशक के दौरे । Tours of Director General, AIR. 1253

10098. सीमा क्षेत्रों में प्रचार अधिकारी Propaganda Officers in Border Areas. 1253

10099. आकाशवाणी में उपनिदेशक तथा सहायक निदेशक । Deputy and Assistant Directors in AIR. 1253

10100. भारतीय प्रसारण सेवा Indian Broadcasting Service 1253-54

10101. चीनी अधिकारियों द्वारा भारत सरकार की सम्पत्ति जब्त की जाना । Indian Government's Property confiscated by Chinese Authorities. 1254

10102. पाकिस्तान में नज़रबन्द भारतीय लोग । Indian Internees in Pakistan 1254-55

10103. भारतीय उच्च आयोग, लन्दन Indian High Commission, London. 1255

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10104.	भारतीय प्रेस परिषद् के पास की गई शिकायतें ।	Complaints made to Press Council of India.	1256
10105.	इंगलिस्तान में भारतीय उप-उच्चायुक्त के साथ श्री फिज़ो की मुलाकात ।	Mr. Phizo's meeting with Indian Deputy High Commissioner in U.K.	1256-57
10106.	झांसी में आकाशवाणी केन्द्र	A.I.R. Station at Jhansi	1257
10107.	510 वर्कशाप, मेरठ छावनी	510 Workshops Meerut Cantt.	1257
10108.	नागालैण्ड में युद्ध-विराम	Ceasefire in Nagaland	1258
10109.	पश्चिम एशिया का संकट	West Asian Crisis	1258
10110.	विद्रोही नागाओं को प्रोत्साहन देने के कारण पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र ।	Protest to Pak. Govt. for encouraging Naga Hostiles.	1258
10111.	रोडेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका की जनता द्वारा सशस्त्र विद्रोह ।	Armed Resistance by People of Rhodesia and South Africa.	1259
10112.	मोतिहारी में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Motihari	1259
10113.	चलचित्र उद्योग का विकास	Development of Film Industry.	1259-60
10114.	अमृतसर में आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station at Amritsar	1260
10115.	सिंगापुर में दक्षिण-पूर्व एशियाई मंत्री-स्तरीय सम्मेलन ।	S.E. Asian Ministerial Conference in Singapore.	1260-61
10116.	अरब लीग	Arab League	1261
10117.	मध्य प्रदेश में सैनिक अधिकारियों के लिये भूमि का नियतन ।	Allotment of Land for Military officers in M.P.	1262
10118.	मध्य प्रदेश में आयुध कारखाने	Ordnance Factories in Madhya Pradesh.	1262
10119.	रेडियो और उसके पुर्ज़े बनाने के उद्योग ।	Radio Manufacturing and Parts industries.	1262
10120.	नागालैंड के लोगों को शिक्षित करने का अभियान ।	Campaign for educating people of Nagaland.	1262-63
10121.	प्रधान मंत्री का विदेशों का प्रस्तावित दौरा ।	Prime Minister's proposed visits Abroad.	1263
10122.	जनेवा, लन्दन, वाशिंगटन तथा न्यूयार्क में भारतीय दूतावास ।	Indian Embassies in Geneva, London, Washington and New York.	1263-64

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10124.	उत्तर प्रदेश में ज़िला सूचना अधिकारी।	Distt. Information Officers in U.P.	1264
10125.	बुलन्दशहर के समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापन।	Government Advertisements in Bulandshahr News-papers.	1264
10126.	कलाकारों को टेलीविज़न का प्रशिक्षण।	Training to Artistes in T.V.	1264-65
10127.	सांख्यिकीय प्रकाशन	Statistical Publications	1265
10128.	सेलम ज़िले में युरेनियम के निक्षेप	Uranium Deposits in Selam District.	1265
10129.	ए० पी० ओ० के ग्रेड में पदोन्नति	Promotion to the Grade of A.P.Os.	1266
10130.	ए० पी० ओ० के ग्रेड की परीक्षा	A.P.O's Grade Test	1266-67
10131.	परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए संधि।	Nuclear Non-Proliferation Treaty.	1267
10132.	कानपुर स्थित आयुध कारखाने में दुकानों का गिराया जाना।	Demolition of Shops in Ordnance Factory, Kan-pur.	1267-68
10134.	सैनिक स्कूल, कोरूकोंडा।	Sainik School, Korukonda	1268
10135.	बरमिंघम में भारतीय सहायक आयुक्त के विरुद्ध शिकायतें।	Complaints against Indian Assistant Commissioner in Birmingham.	1268
10136.	पैराशूटों का उत्पादन	Production of Parachutes	1268-69
10137.	सीमावर्ती सड़कें	Border Roads	1269
10138.	रीवा (मध्य प्रदेश) में सैनिक स्कूल	Sainik School in Rewa (Madhya Pradesh).	1269-70
10139.	त्रिपुरा पूर्वी पाकिस्तान सीमा	Tripura E. Pak. Border	1270-71
10140.	सर ज़फरुल्ला खां के भाषण	Speeches of Sir Zafrullah Khan.	1271
10142.	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में वायु सेना मुख्यालय की उपकरण शाखा में आग लगना।	Fire in Equipment Branch, Air Headquarters, R.K. Puram, New Delhi.	1271-72
10143.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग	National Sample Survey	1272
10144.	केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड 4 के अधिकारी।	Grade IV C.I.S. Officers	1272-73
10145.	केन्द्रीय सूचना सेवा में भर्ती	Recruitment to C.I.S.	1273

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10146.	केन्द्रीय सूचना सेवा के पदों के ग्रेड बढ़ाना ।	Upgrading of Posts in C.I.S.	1273-74
10147.	केन्द्रीय सूचना सेवा के पद	Central Information Service Posts.	1274
10148.	भारत में तिब्बतियों का अवैध प्रवेश	Intrusion of Tibetans into India.	1274
10149.	एच० एफ० 24 सुपरसोनिक विमान का इंजन ।	Engine for HF 24 Supersonic Aircraft.	1275
10150.	प्रधान मंत्री के निजी कर्मचारी	Personal Staff of Prime Minister.	1275-76
10151.	परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने की संधि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार करने पर अमरीका की धमकी ।	US Threat on Refusal to Sign Non-Proliferation Treaty.	1276
10152.	पेशावर के निकट अमरीकी इलैक्ट्रानिक अड्डा ।	US Electronic Base near Peshawar.	1276-77
10153.	कैन्टीन स्टोर विभाग	Canteen Stores Department	1277
10154.	भारत में उपग्रह छोड़ने का केन्द्र	Satellite Launching Station in India.	1277
10155.	सेना में अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु ।	Retirement Age of Officers in Army.	1277-78
10156.	रेडियो देहाती फोरम	Radio Rural Forums	1278
10157.	नागालैंड शान्ति पर्यवेक्षकों के साथ बैठक ।	Meeting with Nagaland Peace observers.	1279
10158.	नायलोन कपड़ा	Nylon Fabrics	1279-80
10159.	विदेशी समाचार अभिकरण	Foreign News Agencies	1280
10160.	भारतीय चलचित्र संस्था का विदेशों के साथ सम्पर्क ।	Film Institute of India-Liaison with other countries.	1280
10161.	चीनी परमाणु प्रक्षेपणस्त्र	Chinese Nuclear Missiles	1281
10162.	आकाशवाणी में तकनीकी सहायक	Technical Assistants Posts in AIR.	1281
10163.	आकाशवाणी में राजपत्रित तकनीकी अधिकारियों के पद ।	Posts of Gazetted Technical Officers in AIR.	1282

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10163-क.	रामलीला दल को अंदमान और निकोबार द्वीप-समूह में भेजना ।	Sending of a Ram Lila Party to Andaman and Nicobar Islands.	1282
10163-ख.	दिल्ली में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि ।	Land for Ex-Servicemen in Delhi.	1282-83
10163-ग.	आयुध कारखाना, मुरादनगर	Ordnance Factory, Muradnagar.	1283
10163-घ.	हिंडन हवाई अड्डे में पेन्टर	Painters at Hindon Airport	1283
10163-ङ.	पाकिस्तान जाने वाले भारतीय लोगों को दिये गये वीज़ा ।	Visas issued to Indians visiting Pakistan.	1283-84
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ।	Calling attention to Matter of Urgent Public Importance.	1284-88
	हरियाणा के इंजीनियरों द्वारा पुलिस की सहायता से उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों से गुड़गांव नहर हैडवर्क्स बलपूर्वक क़ब्ज़ा लिये जाने का समाचार ।	Reported forcible taking over of Gurgaon canal headworks by Haryana Engineers from U.P. Engineers with the help of Police.	1284-88
	सभा-पटल पर रखा गया पत्र	Papers Laid on the Table	1288
	राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	1288
	सदस्यों की दोषसिद्धि के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ।	Conviction of Members Committee on Private Members Bills and Resolutions.	1289
	इक्कतीसवां प्रतिवेदन	Thirty first Report	1289
	आसाम के पुनगठन के बारे में वक्तव्य श्री विद्याचरण शुक्ल	Statement *re.* Reorganisation of Assam. Shri Vidya Charan Shukla	1289
	अनपर्ति स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य—श्री चे० मु० पुनाचा ।	Statement *re.* Railway Accident at Anaparti. Shri C. M. Poonacha	1290
	केन्द्रीय विधियां (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 1967 ।	Central Laws (Extension to Jammu and Kashmir) Bill.	1290-91, 1292-95
	विचार करने का प्रस्ताव :	Motion to Consider	1294-95

श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	1290-91
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	Shri C.K. Bhattacharyya	1292
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	1292
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	1293-94
खंड 2 से खंड 6 तक	Clauses 2 to 6	1295
सत्याग्रहियों पर कथाकथित लाठी चार्ज किये जाने के बारे में ।	*re.* Alleged Lathi Charge on Satyagrahis.	1291
भारतीय सिक्का रंकण (संशोधन) विधेयक, 1967 ।	Indian Coinage (Amendment) Bill.	1295-99
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री जगन्नाथ पहाडिया	Shri Jagannath Pahadia	1295-96
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	1297
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	1297
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati.	1297-98
श्री इसहाक सांभली	Shri Ishaq Sambhali	1298
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	1298
श्री भगवान दास	Shri Bhagwan Das	1298
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	1298-99
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	1299
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	1299
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended.	1300-01
सरकार का (दुष्कृति में दायित्व), विधेयक, 1967	Government (Liability in Tort) Bill.	1301-03
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव :	Motion to refer to Joint Committee.	1303
श्री मुहम्मद यूनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	1301-02
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, 1965	Motor Vehicles (Amendment) Bill.	1303-06
विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य-सभा द्वारा की गई सिफारिश से सहमति प्रकट करने के बारे में प्रस्ताव ।	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to Joint Committee.	1305-06

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	1303-04
कीटनाशी विधेयक, 1967	Insecticides Bill	1306-12
राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव ।	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha.	
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai	1306-07
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	1307-08
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar	1308
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	1308
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary.	1309
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati.	1309
श्री आर० मत्तु गौंडर	Shri Muthu Gounder	1309-10
श्री देवराव पटेल	Shri Deorao Patil	1310
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Yadhav	1310
श्री ब० सू० मूर्ति	Shri B. S. Murthy	1310-12
उपकर पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने के बारे में वक्तव्य—	Statement *re.* Levy of Certain Excise Duties.	
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	1312-13
हरिजनों के विरुद्ध आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा दिये गये कथित वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव :	Motion *re.* Reported Statement by Agriculture Minister of Andhra Pradesh against Harijans.	1313
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	1313-15
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani.	1315-16
श्री तन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	1316-17
श्री नंजा गौंडर	Shri Najja Gowder	1317-18
श्री दशरथ राम रेड्डी	Shri D. R. Reddy	1318
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	1318
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	1318-19
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	1319
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	1319-20

श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	1320
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohtaki	1320
श्री ए० श्रीधरन	Shri A. Sreedharan	1320-21
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oran	1321
श्री सी० के० चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani	1321
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	1321-22
श्री बूटा सिंह	Shri Buta Singh	1322
श्री राम चरण	Shri Ram Charan	1322
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram	1322-23
श्री राम नारायण रेड्डी	Shri R. N. Reddy	1323
श्री बैज नाथ कुरील	Shri B. N. Kureel	1323-24
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	1324-25
गाज़ियाबाद में सदस्यों की दोषसिद्धि और रिहाई ।	Conviction and Release of Members at Ghaziabad.	1326

लोक सभा

LOK-SABHA

बुधवार, 8 मई, 1968/18 वैशाख, 1890 (शक)

Wednesday, May 8, 1968/Vaisakha 18, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत-संयुक्त अरब गणराज्य की 'जेट' विमानों सम्बन्धी परियोजना

*1707. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने विमान विज्ञान विकास समिति के के अध्यक्ष की हैसियत से मार्च, 1968 के आरम्भ में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि जेट विमान बनाने की भारत-संयुक्त अरब गणराज्य परियोजना असफल हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके वक्तव्य में कितनी सत्यता है और इसका औचित्य क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री० ल० ना० मिश्र) : (क) समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने 2 मार्च, 1968 को एक समाचार पत्र सम्मेलन में कहा कि शायद भारत-यू० ए० आर० सहयोग सम्पन्न न हो पाये ।

(ख) अभी तक प्रायोजना के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया । परीक्षण अभी प्रगतिशील है ।

Shri Bhogendra Jha: Mr. Speaker, This we all know that this Aeronautics Development Committee was set up four or five months ago and Shri Subramaniam was made its Chairman to provide him an employment. Within two months of the agreement between developing Countries like India and United Arab Republic, which according to the honourable Minister has yet not been cancelled and is being tried, Shri C. Subramaniam

as a Chairman of Aeronautics Development Committee announced that the project has failed and is being abandoned. This he announced as a Chairman and the other day he went to America on the invitation of Rockefeller Institute to deliver a series of lectures. The point is whether he made this announcement after getting the invitation from that institute or whether he went there as a representative from the government for negotiating some agreement : I want that the honourable Minister may explain its propriety.

Shri. L. N. Mishra : I would like to say that there is no relation between C. Subramaniam, who is the Chairman of Aeronautics Development Committee and the agreement which we had with united Arab Republic. It is wrong to say that he made this kind of statement on any condition, or on the basis of invitation or some other reasons. It was his own view and he made this kind of statement on the basis of his own assessment. That statement which he made in his personal capacity was not announced by the Government.

Shri Bhogendra Jha: The hon. Minister did not mention what I asked. Is it not a fact that he went to America the next day after making this statement and on the invitation of Rockfeller. Institute. Whether it is correct or not that he made this statement one day before his leaving for America I want to know what action the Government is going to take on the statement which he made as a chairman of Aeronautics development Committee.

In the last General election Shri Subramanium was denounced by the voters and in this way the voters of Madras made a suitable reply by defeating him in the election against his policy of Devaluation and 'yes man' policy of America. After getting defeat in the election he was appointed Chairman of this Aeronautics Development Council and after a month he made this statement what is the propriety of his statement and whether the Government thinks of removing him from the post of Chairman or not.

Shri L. N. Mishra: There is no such point to remove him from the Chairmanship. He is working there in a very good way. He has done good work. It is wrong to say that he made this statement on account of some motive or wish He made this statement on the basis of his own studies. That was not the view point of the Government. It was his own view which he expressed.

Shri Bhogendra Jha : Whether he went there on behalf of the Government of India or on the behalf of Rockefeller Institute.

Shri L. N. Mishra : He did not go there on behalf of Government. He made studies on aeronautics in America, Franch and Britain. Such information we received.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : माननीय महोदय, क्या यह सच है कि ये विमान हाल ही में संयुक्त अरब गणराज्य में बनाये गये और वे अभी परीक्षण तौर पर हैं । अगर ऐसा है तो भारत सरकार क्यों हमारे देश में इसके उत्पादन के लिये समझौता कर रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : केवल इंजन ही संयुक्त अरब गणराज्य में बनाये जाते हैं । हमने ढांचा ही बनाया है । ढांचा व इंजन अभी उड़ान परीक्षण पर ही हैं ।

श्री एस० कन्डप्पन : यह बहुत आश्चर्य की की बात है कि सरकार श्री सुब्रह्मण्यम की उन बेतुकी बातों का समर्थन कर रही है, जो उन्हें विमान विज्ञान समिति की हैसियत से नहीं कहनी चाहिये थी । मैं सरकार से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि अगर श्री सुब्रह्मण्यम जैसे लोग इस प्रकार की बातें करें जिनसे स्पष्ट रूप से सरकार सहमत नहीं होती, तो क्या यह भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों में बिगाड़ उत्पन्न नहीं करेगा, क्या यह सरकार के लिये उचित नहीं है कि वह उनसे अपने विचार और प्रस्ताव प्रेस में बोलने से पहले सरकार के पास देने के लिये कहे ।

श्री ल० ना० मिश्र : हमने प्रेस में जो उनका वक्तव्य छपा था, उस पर उनसे टिप्पणी मांगी थी। हमें उनकी टिप्पणी व विचार प्राप्त हो गये हैं। वे वक्तव्य उन्होंने अपने व्यक्तिगत आधार पर दिये हैं न कि इस समिति के अध्यक्ष के तौर पर **(व्यवधान)** ।

श्री एस० कन्डप्पन : क्या व्यक्तिगत आधार पर या तमिलनाड कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के आधार पर ?

श्री रंगा : वह सरकार द्वारा बनाई हुई समिति के अध्यक्ष हैं। वे संसद् के सदस्य भी नहीं हैं। अगर उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती तो सरकार को वहां रहने का अधिकार नहीं है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : इस प्रश्न के संदर्भ में जिसका एच० एफ० 24 से सम्बन्ध है, मैं समझती हूं कि यह ढांचा आठ या नौ साल पहले बनाया गया था, परन्तु इसके लिये हम मैक II इंजन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि इस विमान ढांचे में क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं जिनसे कि मैक II इंजन को लगाया जा सके।

श्री ल० ना० मिश्र : यह ढांचा 1966 में बनाया गया था और 1967 में भेजा गया था। इसका इंजन के साथ परीक्षण करते रहे हैं ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यह विमान ढांचा मैक I इंजन के लिये कई वर्षों पहले बनाया गया था। अब हम मैक II इंजन चाहते हैं। क्या मैक II इंजन लगाने के लिये विमान ढांचे में कोई सुधार किया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : इसको बनाया जा रहा है और इसमें सुधार किया जा रहा है ।

Shri S. M. Joshi : Mr. speaker, I would like to know from the hon. Minister that it appears from the statement of the Hon. Minister that the statement made by the President of Aeronautics Development Council was wrong. The Hon. Minister is also saying that according to Shri C. Subramanium that statement was made in his personal capacity then whether our Government has been satisfied with his explanation.

Shri L. N. Mishra : That was his own views. It was his right to express his views on the basis of studies, he made.

Shri S. M. Joshi : Whether his explanation satisfied the authorities.

Shri L. N. Mishra : While replying I stated that we have not given up the matter and the test Flight is going on. But the statement made by him was his own personal view and I had already said that his views might not be correct.

An Hon. Minister : How much expenditure incurred on it.

Mr. Speaker : Order ! Order Shri Sradhakar Supakar.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्रीमन् मैं तथ्य जानना चाहता हूं श्री सुब्राह्मण्यम् ने स्पष्टतः योजना का विस्तृत अध्ययन करके वक्तव्य दिया है क्या यह सरकार का निश्चित विचार है कि जो कुछ श्री सुब्रह्मण्यम् ने कहा है वह वास्तव में ठीक नहीं है परन्तु केवल उनका विचार ही है, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं जान सकता हूं कि कहां तक सरकार इस परियोजना को आगे ले जा सकती है।

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही कह दिया है कि जबकि श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा है कि भारत-संयुक्त अरब गणराज्य सहयोग आगे नहीं चल सकेगा परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि परीक्षण चल रहा और परियोजना पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : यह कितने दिन से चल रहा है।

श्री ल० ना० मिश्र : अप्रैल 1967 से।

श्री नायनार : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि श्री सुब्रह्मण्यम् ने यह वक्तव्य अपने व्यक्तिगत हैसियत से दिया है न कि समिति के अध्यक्ष के नाते। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस वक्तव्य को अनुत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से दी गई के रूप में लेगी। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि यह संयुक्त अरब गणराज्य और भारत के सम्बन्धों में बिगाड़ उत्पन्न करेगी। अगर ऐसा है तो सरकार इस वक्तव्य पर क्या कदम उठा रही है।

श्री ल० ना० मिश्रा : यह अपने-अपने विचार की बात है। उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं।

श्री नायनार : क्या सरकार इसे स्वीकार करती है।

श्री बलराज मधोक : यह सवाल मैंने और दूसरे मित्रों ने रक्षा मन्त्रालय के अनुदान की मांग पर बहस के दौरान उठाया। और तब माननीय मंत्री महोदय ने बड़े ही अस्पष्ट ढंग से इसका उत्तर दिया कि यह सफल नहीं हुई है परन्तु फिर भी हमने इसको छोड़ा नहीं है। हमने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में यह योजना असफल हो गई है परन्तु अपनी बात बनाये रखने के लिए वे ऐसा कह रहे हैं, श्री सुब्रह्मण्यम ने इस स्थिति को साफ-साफ प्रकट कर दिया है और मैं समझता हूं कि उन्होंने इस प्रकार देश व जनता की सेवा की है, अतएव उनको दोष क्यों दिया जाए। मैं आप से क्या चाहता हूं वह यह है, कोई भी बात अस्पष्ट ढंग से मत कीजिए। कृपया हमें स्पष्टतः बताइए कि क्या योजना अभी भी है और क्या आप संयुक्त अरब गणराज्य के साथ सहयोग करके इंजन का निर्माण कर रहे हैं जबकि खुद संयुक्त अरब गणराज्य दूसरे देश पर निर्भर रह रहा है, अथवा यह असफल हो गई है, अगर यह असफल हो गई है तो सदन और जनता को गमराह करने की कोशिश मत कीजिए।

श्री ल० ना० मिश्र : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस परियोजना पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। संयुक्त अरब गणराज्य ई-300 का निर्माण कर रहा है और रक्षा मंत्रालय के एच०एफ०-24 के अनुदान की मांग पर बहस करते हुए रक्षा मंत्री ने बताया है कि हम अपने इंजन बना रहे हैं।

श्री चेंगल राया नायडू : प्रत्येक जानता है कि श्री सुब्रह्मण्यम ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह संयुक्त अरब गणराज्य परियोजना अब आगे नहीं चलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संयुक्त अरब गणराज्य को खुश रखने के लिए वे चुप हैं, अगर ऐसा है तो वे राष्ट्र

का बड़ा अहित कर रहे हैं क्योंकि वे अपने इंजन के निर्माण कार्य में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देश के हित को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अपने ही देश में इंजन के निर्माण का विचार नहीं करेगी।

श्री ल० ना० मिश्र : हिस एच०एफ०-24 के लिए अपने इंजन का निर्माण कर रहे हैं। अतः इसके निर्माण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Indians Settled in Kenya

***1708. Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Indians living in Kenya and other countries who intend to come back to India and settle here want to bring from there, machinery and other equipments of their factories;

(b) if so, whether Government would permit them to bring such machinery and equipment without charging any duty thereon; and

(c) whether Government would also permit them to bring other new machinery at their own cost to earn their livelihood after coming here ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes Sir. However, we have not received any specific request from any individuals living in Kenya or other East African countries in this regard.

(b) and (c) Persons of Indian origin returning from East African countries to India for permanent settlement are already allowed certain Customs concession. These include, among others, the import of genuine stock in trade up to a value of Rs. 16000/- free of duty. Even in cases where genuine stock in trade is valued at more than Rs. 16000/- no duty is charged for the first 16000/-. All stock in trade, however, is allowed entry without any Import Licence or Customs Clearance Permit. In addition, agricultural machinery of the cottage industry type which was in actual use by the repatriates prior to their return is also permitted entry without duty up to the limit of Rs. 16,000/-.

श्री रंगा : केवल 16,000 रुपये ? उससे वे क्या व्यापार कर सकते हैं।

Shri O. P. Tyagi : The situation in East Africa is such that the Government there is making one pretext or the other and taking possession of the factories and the trade of Indians. Very shortly the time may come when they would not be allowed to bring their stocks also to India. I want to know from the Government that when the houses and trade of the Indians are in danger, and when they are prepared to settle here with their Machines and Factories, then why the Government gives exemption only to the property worth Rupees Sixteen Thousand. Why not give permission to bring the whole factory without paying duty.

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न केनया और दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों से सम्बन्धित है, यह कोई नया मामला नहीं है। 1963 के के बाद से पूर्वी अफ्रीकी देशों से मूल भारतीय वंश के लोग आने शुरू हुए और अन्तर मन्त्रालय की बैठक में इस पर विचार-विमर्श हुआ, और कुछ रियायतें भी दी गईं, 16,000 रुपये तक की व्यापार की वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया वे बिना आयात लाइसेंस अथवा निकासी अनुमति पत्र के बिना समस्त

मशीनरी ला सकते हैं । परन्तु उन्हें अन्य भारतीयों के समान 16,000 रुपये के अधिक मूल्य की वस्तुओं पर शुल्क देना पड़ेगा । उन्हें कोई भी वस्तु लाने पर रोक नहीं है 16,000 रुपये तक की वस्तुएं शुल्क रहित हैं । कृषि व अन्य मशीनरी भी शुल्क रहित हैं । परन्तु अगर 16,000 रुपये तक से मूल्य अधिक हो जाता है तो उन्हें अन्य भारतीयों के समान शुल्क देना पड़ेगा ।

श्री रंगा : परन्तु दूसरे देशों से भारतीय नहीं निकाले जा रहे हैं ।

श्री पीलू मोडी : वे केवल इसी देश से निकाले जा रहे हैं ।

Shri O. P. Tyagi : Mr. speaker, I beg to say with your permission that the Indians who settled there, who had helped in the development of Africa, the African Government wants to turn them out and also the Indian Government has no sympathy with them. Why the Government has adopted such attitude. This I can not understand. And the reply of Hon. Minister is not satisfactory.

श्री ब० रा० भगत : मैं कहना चाहूंगा ·

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने कहा है, वहां कोई कठिनाई नहीं है । भाग (क) का उत्तर देते समय जैसा कि मैंने कहा है कि हमसे समस्त मशीनरी यहां लाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई है । अतः यह अभियोग, कि लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, बेबुनियाद है ।

श्री रंगा : मेरे विचार से आपके लिए पद-त्याग करके चले जाना ठीक होगा :

Shri O. P. Tyagi : India needs foreign Exchange. Billlion of Rupees of Indian residing in East Africa is deposited in England in the shape of Pounds and Dollars. I want to know whether the Government has made any effort so that the Indians deposit their money in Indian Banks and establish trade when they come here. If any such effort has been made then what was the result.

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि सदन को ज्ञात है दो एक साल पहले कुछ रियायतें दी गयीं, हमने घोषणा की थी कि कुछ रियायतें दी जायेंगी परन्तु आशा के अनुरूप जवाब नहीं मिला ।

श्री मनुभाई पटेल : विदेशों में हमारा प्रचार इतना अपर्याप्त है कि :

श्री पीलू मोडी : सरकार की कब से आलोचना करनी शुरू हो गई है ।

श्री मनुभाई पटेल : अच्छे व्यापारी सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के प्रति अभिज्ञ हैं ।

श्री रंगा : सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है ।

श्री मनुभाई पटेल : उन्हें ठीक-ठीक सूचना नहीं मिलती, क्या मैं जान सकता हूं कि पूर्वी अफ्रीकी देशों में जो प्रमुख व्यापारी है, उन्हें ये सुविधायें पहुंचाने के लिए क्या विशेष प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

श्री ब० रा० भगत : ये सुविधायें अखबारों में प्रकाशित की गई हैं, मैं केनया में बहुत लोगों को मिला हूं और मैंने पाया कि इसे हर कोई जानता है । लोग इस विशेष रियायत से अनजान नहीं हैं फिर विदेशों में हमारे जो दूतावास और मिशन हैं वे इस बात का प्रयास करते हैं कि ये बातें सब लोगों को मालूम हो जायें ।

Shri Brij Bhushan Lal : The Hon. Minister has stated that the machines and stocks worth Rs. 16,000 brought here by Indians residing in Kenya would be duty free. Keeping this in view their troubles, I would like to know from the hon. Minister whether after amending the rules which is in force upto Rs. 16,000 the Government give them information that there would be no limit in prices. And the concession is given that machinery and stocks of Rehabilitation would be duty free. So that they may be encouraged to come here soon.

श्री ब० रा० भगत : जी, नहीं । प्रत्येक वस्तु को शुल्क रहित आने देना ठीक नहीं समझा गया है ।

श्री पें टासुब्बया : केनया के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की और मूल भारतीय केनया के निवासी का भारत में न आने की इच्छा देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार इस मामले को उछाला जाना वांछनीय है जिससे केनया सरकार के साथ हमारे सम्बन्ध तनावपूर्ण हो जायें । चूंकि केनया में रहने वाले बहुत से भारतीय ब्रिटेन जाना पसन्द कर रहे हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार प्रतिष्ठा के साथ इस मामले को सुलझा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यही वे कर रहे हैं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रतिक्रिया उत्साह-वर्धक नहीं रही है और मेरे माननीय मित्र श्री पें० टासुब्बया ने बताया है कि लोग ब्रिटेन जा रहे हैं, क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि वे भारतीय, जो अफ्रीका से चले जाना चाहते हैं क्यों नहीं भारत आ रहे हैं और दूसरे देशों में जाना पसन्द कर रहे हैं । उनके क्या कारण हैं । इन कारणों को देखते हुए क्या सरकार छूट नहीं दे रही है और इस प्रकार के उचित उपाय नहीं अपना रही है । जिससे कि मूल भारतीय वंश के लोग दूसरे देशों में अपने धन को न ले जा सकें और उन्हें अपने देश में लौट आने के लिए उत्साहित किया जा सके ।

श्री ब० रा० भगत : सदन में इस मामले पर बहस हो चुकी है । जहां तक उन मूल भारतीयों का संबंध है, जिनके पास ब्रिटेन का पारपत्र है, उनके प्रति-हमारी नीति यह रही है कि केवल विशेष मामलों को इस वर्ग में आने वाले लोगों के लिए दरवाजा खुला रखना हमारी नीति नहीं रही है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्रीमन् मेरा प्रश्न सीधा था, क्या सरकार इस बात को जानती है कि मूल भारत के लोग जो अफ्रीका से चले जाना चाहते हैं, यहां सुविधाओं के अभाव के कारण दूसरे देशों में जा रहे हैं, अगर सरकार इस बात को जानती है तो इसकी क्या जांच की गई और इसके कारण क्या हैं ।

श्री ब० रा० भगत : हमें मालूम है । बहुत से लोगों ने ब्रिटेन जाना पसन्द किया है । उन्होंने जो ब्रिटेन का पारपत्र लिया है वह यह बतलाता है कि वे यहां आना नहीं चाहते । यह कठिनाई इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि उन्हें वहां जाने और बसने की सुविधायें नहीं दी जा रही हैं । यह सत्य नहीं है कि वे यहां आना चाहते हैं, अगर वे यहां आना चाहते तो आ जाते । अतएव हमारी नीति ऐसे मामलों को उनकी गुणों के आधार पर विचारने की रही है, हमने यह बतला दिया है । इस मामले में हम खुले द्वार की नीति को अपनाना नहीं चाहते ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस बात को जानती है कि उन लोगों को, जिन्होंने विदेशी मुद्रा लाकर सरकार को सौंप दी है, उसका थोड़ा सा भाग उनको नहीं दिया जा रहा है ताकि वे वापस जायें और बचे हुए धन को लायें। इस प्रकार उनको मजबूर किया जा रहा है कि छलपूर्ण तरीका अपनायें और सरकार को वह विदेशी मुद्रा न दें जो बैंक ऑफ इंगलैण्ड में जमा है। अगर सरकार अपनी यह नीति बदल देती है तो परिस्थिति कुछ और ही हो जाती है। क्या सरकार के समक्ष यह मामला है।

श्री ब० रा० भगत : मुझे दुःख है कि मैं प्रश्न को समझ नहीं सका।

श्री नी० श्रीकान्दन नायर : बहुत से लोग जो यहां आ गये उन्होंने भारत सरकार को विदेशी मुद्रा सौंप दी है, वे वापस जाना चाहते हैं ताकि दूसरे पूर्वी अफ्रीकी देशों से वे और भी धन को ला सकें उनको यह सुविधा नहीं दी गई। उन्हें विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने का थोड़ा धन भी नहीं मिला। इससे दूसरों ने ब्रिटिश पारपत्र लेकर अपने धन को बैंके आफ इंगलैण्ड में जमा रखने का निर्णय कर लिया। क्या सरकार इस बात को जानती है और क्या वह ऐसे लोगों को विदेशी मुद्रा के रूप में कुछ रियायतें देगी जिससे कि वे भारत के प्रति आकर्षित हो सकें और जरूरतमंद विदेशी मुद्रा हमारे देश को लायें।

श्री ब० रा० भगत : अगर माननीय सदस्य का अभिप्राय उन लोगों से है जो दूसरे देशों से आये हैं और विदेशी मुद्रा को जमा कर दिया है तो वे मुझे ऐसे मामलों बतायें जहां कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए धन भेजने की सुविधा नहीं दी गई। परन्तु साधारणतया हमारी नीति यह रही है कि जो इंगलैण्ड और दूसरे देशों में पढ़ रहे हैं, उनको धन भेजने की सुविधायें दी जायें।

Shri Prem Chand Verma : The Hon. Minister has just said that those people could bring stock worth up to Rs. 16,000 without paying any duty. I have received such information that some big Capitalists are pressing the Government to take undue advantages of this concession that those people may be allowed to bring anything and the limit of Rs. 16,000 be scraped.

It is a very important question. They are fully trying to gain the concession by pressing on the Government and bring stocks worth crores of Rupees. By purchasing stocks worth crores of Rupees which are lying abroad, they want to bring here by deceiving the Government and without Paying any duty and earn high prices by black marketing. I want to know when the question of concession will be considered then whether the same will be given only after considering this case. Will this concession be given to the person who bring Machinery with him only after ascertaining the facts about his profession the foreign country, if he happened to be a shopkeeper then what was his duration. Whether he was paying income tax or not; what was his income. Birlas and Tatas make such people their tools and get machinery etc. through their money which is deposited there. Keeping in view the possibilities and the loss to the nations, the concession would be announced.

श्री ब० रा० भगत : वर्त्तमान नीति में ऐसी सम्भावना नहीं हो सकती, कोई भी सरकार के आदेश व नियंत्रण के बिना धन मशीनरी व दूसरी वस्तुएं नहीं ला सकता।

Shri Rabi Ray : The question of Shri Patodia has not been answered. You leave the opinions of Indians residing the Kenya. I want to know whether thay have been asked to come to India on behalf of you.

I also want to know their reasons for not coming to India. Did you try to go in details in this matter. If so then what are those.

Shri B. R. Bhagat : In this beginning when the question of Citizenship came up then it was announced from our side that if they want they may become citizen where they live and devote themselves for the development of their country or if they want to become Indian citizen, they can do so. Out of the two options one was to be exercised. We did not say that you go and become the Passport holder of U. K.

Shri D. N. Patodia : You laid down such condition.

Shri O. P. Tyagi : No facilities were given to them to accept Indian citizenship.

Mr. Speaker : Shri Ranga.

श्री रंगा : ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था। मुझे विश्वास है कि हमने यह जो अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं उनका ध्येय उन लोगों का पक्ष नहीं लेना था जो कर से बचना चाहते थे और अपने धन का विदेशों में विनियोग करना चाहते थे हमें विशेषत: इन भारतीयों के प्रति, जो केन्या में रह रहे हैं, चिन्ता है जिनको वहां की सरकार से और कई बातों से परेशानी उठानी पड़ी इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि हम अमेरिका इंगलैण्ड और दूसरे देशों के पूंजीपतियों को और सोवियत राज्य पूंजी वाद के लिए अपने दरवाजे खोले हुए हैं जिससे कि वे यहां आयें और हमारे पूंजीपतियों व सरकार के साथ साझेदारी करें। हमने उनका खुले दिल स्वागत किया है।

मैं प्रधान मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि बेचारे मंत्री महोदय इस महत्वपूर्ण मामले के उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं सरकार क्यों नहीं उन नीतियों, नियमों और विनियमों पर पुनर्विचार करती है जो विभिन्न व्यक्तियों पर लागू होने के लिए बनाए गये हैं और उन पीड़ित भारतीयों के लिए नहीं बनाए गए जो केन्या में बस गए हैं और जो हमारे देश में आना चाहते हैं। क्या सरकार हमारे देश में इन कारखानों और पूंजी को लाने के बारे में विचार करेगी और साथ में इन लोगों के बारे में विचार करेगी जो यहां आ कर बसना चाहते हैं।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी) : उपप्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने इस प्रश्न के ऊपर विचार किया है और कई प्रश्नों का उत्तर दिया है। किसी एक नीति पर चिपके रहने का सवाल ही नहीं उठता, अगर यह राष्ट्र के हित में है तो इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

श्री पीलू मोदी : स्पष्ट : मंत्री महोदय इन प्रश्नों को समझ नहीं पा रहे हैं, यह सीधा-सा प्रश्न, जो उनसे विभिन्न रूपों पर पूछा जा रहा है वह यह है कि क्या सरकार को मालूम है कि ये केन्या में रहने वाले भारत आने की अपेक्षा ब्रिटेन जाना क्यों पसन्द कर रहे हैं। अगर सरकार इस बात को जानती है तो वह इस पर विचार नहीं कर रही है। अगर वे इस प्रश्न का विश्लेषण करे तो वे पायेंगे कि हमारे विनियमों में कई कमियां हैं। रिजर्व बैंक कर्टेन में केवल तस्कर ही जा सकते हैं, क्या सरकार ने कभी इस मामले

की ओर ध्यान दिया है कि हमने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भारत को अवांछनीय बना दिया है जहां वे आपस में मिलने-जुलने की स्वतन्त्रता, अपने बच्चों को विदेशों में ऊंची शिक्षा के लिए भेजना आदि नहीं कर सकते क्या सरकार इस दृष्टिकोण से इस मामले पर सोचेगी ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : इस मामले पर प्रत्येक दृष्टिकोण से सोचा गया है, मैं समझती हूं कि यह सीधी-सी बात है कि क्यों लोग भारत आना नहीं चाहते, भारत एक विकासशील देश है । यहां की परिस्थितियां हरेक के लिए आसान नहीं हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए यहां आने और देश के विकास में भाग लेने के लिए त्याग की आवश्यकता होगी ।

Shri Rabi Ray : But you people are not making any sacrifice.

Shri Madhu Limaye : These people are not making any sacrifice. All are suffering except Ministers and Bureaucrats.

Commercial Naval Fleet

1709. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Commercial Naval Fleet could not be developed fully due to the non-availability of naval training facilities in the country; and

(b) if so, the steps being taken by Government to increase the facilities for naval training ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) मेरे विचार में सदस्य महोदय का इशारा मर्चेन्ट मेरीन के विकास की ओर है । उत्तर है "जी नहीं" ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir, we are increasing the tonnage of our commerical Fleet. But the training of Marine Engineers and other technical personnels is less in comparison to that. It is an obstacle in the way of development. For example 75 persons were trained in 1967 when 200 seats are required. I want to know when this Government will make such arrangements so that facilities for training the required Marine Engineers may be available.

श्री म० र० कृष्ण : अफसरों और रेंटिंग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है । स्वतन्त्रता से पूर्व एक प्रशिक्षण केन्द्र में 25 अफसरों को प्रशिक्षण मिला था । परन्तु अब 6 केन्द्र हैं जहां कि अफसरों और रेंटिंग को प्रशिक्षण मिल रहा है । हमारे पास अफसरों और रेंटिंग की कोई कमी नहीं है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Now a days a lot of progress is taking place in ship-building and new types of ships are entering in the water. Taking this into consideration whether our Government considers that our training courses are not up-to-date. If so, will the Government take step to revise the courses.

श्री म० र० कृष्ण : मंत्रालय द्वारा स्थापित बोर्ड, जिसमें कि विशेषज्ञ हैं, इसका निरन्तर संशोधन करते रहते ह । उनमें परामर्श पर प्रशिक्षण की सुविधाएं और सुधार पर विचार किया जाता है और उनको लागू किया जाता है ।

Shri Shinkre : Our merchant Navy does not fulfil our needs because the training facilities in India are short. I want to know whether the Government will take step to set up a training centre for Merchant Navy in Murma Goa which is a National port.

श्री म० र० कृष्ण : बोर्ड की यह भी सिफारिश है कि गोवा में आफीसरों और रेटिंग की प्रशिक्षण के लिए एक अकादमी की स्थापना की जाये। अगर इसकी आवश्यकता होगी और साधन भी होंगे तो हम इस पर सोच-विचार करेंगे।

† 'जिओग्राफीकल' भौगोलिक पत्रिका में काश्मीर

1712. श्री मधु लिमये : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जियोग्राफीकल (भौगोलिक) पत्रिका के जनवरी 1968 के अंक में प्रकाशित हुए मानचित्रों/रेखा चित्रों (ड्राइंग) की ओर दिलाया गया है, जिनमें काश्मीर को स्वतन्त्र तथा मालदीव द्वीप समूह को ब्रिटेन के अधीन दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटिश सरकार का ध्यान इन गलतियों की ओर दिखाया गया है।

(ग) क्या भारत में इस अंक के परिचालन/बिक्री पर रोक लगाई गई है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर नकारात्मक हों तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि इस पत्रिका का स्वामित्व और प्रकाशन गैर-सरकारी हाथों में है इसलिए इसकी त्रुटियों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित करना मुनासिब न होगा। बहरहाल, लंदन-स्थित अपने हाई कमीशन को निदेश दिया गया है कि वह प्रकाशक के साथ इस मामले को उठाए।

(ग) जी हां। आवश्यक आदेश दे दिए गए हैं और भारत में यह पत्रिका जब्त कर ली गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I raised a question on this map which was published in "The Indian Express" some time back. At that time the Home Minister assured that the Government will think to take action against those maps which are circulated in the country. The Hon. Minister has stated in his reply that since the magazine pertains to a individual so the Government has not regarded it proper to draw the attention of the British Government. I would like to know if such maps are circulated by news papers, Monthly magazines and foreigners in future and sent to India, then will not the Government take action.

Whether it is a fact that Pakistan has a bad eye on Maldiu islands and she is thinking to take hold on it with the sympathy and help of Britain or trying to establish Naval base there.

Shri B. R. Bhagat : As far as the action is concerned we take it. As I just stated that action has been taken in this case according to the law and the import of this magazine has been stopped. Maldiv is an independent country. We cannot say anything in this

time. We keep an eye on the intention of Pakistan and the policy of Britain. Since that is an independent country so we cannot say anything regarding set up of the base.

Shri Madhu Limaye : Maldiv is in Arabian Sea and it is very near to us. The Government should keep information regarding activities taking place there.

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है, परन्तु मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि यह एक स्वतन्त्र देश है ।

Shri Madhu Limaye : This I know. Whether the Hon. Minister has no knowledge that efforts are being made to set up naval base by Pakistan and it will adversely affect the security of the western coast of India.

Shri B. R. Bhagat : I have no reliable information that efforts are being made to set up Naval base there. But as I have stated that it is an independent country. She is a member of united Nations. It will be very strange for us to say that base is being set up there by some country.

Shri Madhu Limaye : We should keep information in view of the security.

Besides Geographical magazines, I asked whether any decision to take action has been formulated in respect of such maps which are published in Government books, Non-Government books, newspapers and monthly magazines.

Shri B. R. Bhagat : In India.

Shri Madhu Limaye : Yes in India. I am not asking to take action against the maps published in America.

Shri B. R. Bhagat : The magazine under reference is published in United Kingdom. That is why I asked whether the Hon. Member pointed out to the maps published here. The action will be sure taken.

Shri Madhu Limaye : What action has been taken. Last year the Rajasthan Government had published a book. The Hon. Minister may state what action has been taken in that matter.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस समय केवल इस पत्रिका के बारे में उत्तर दे रहे हैं ।

Shri B. R. Bhagat : It relates to Home Ministry.

Shri Shashibhushan Bajpai : It is a very serious matter that false maps and counterfeit notes are in large circulation in this country. Some people make it a "Political cracker." I want to know whether any Commission has been set up in this respect so that whenever such objectionable maps appear, they may be checked, and those who have such maps may be prosecuted.

Shri B. R. Bhagat : Action is taken in accordance with the law made for false maps and counterfeit notes. The Home Ministry can take action in respect of false maps and the Reserve Bank can take action in respect of counterfeit notes. There is no need to set up commission for this purpose.

Shri Ram Charan : Whether the Government is aware of the fact that spy ring of Pakistan has become so expert that it wants to create International dispute by getting the map published through bribery to different International Publications. Will the Government ban such magazines and do not allow to enter in India.

Shri B. R. Bhagat : This magazine has been banned and in future also we will ban it.

Shrimati Indira Gandhi : According to the view of Hon. Member these things can be banned. But once as I told you that if these things can spread in other countries, other people can see the wrong, then what is the use if we ban it here. It is not clear to me. At least we should know who is making propaganda against us in other countries.

Shri Madhu Limaye : We should see what is published here and agree with our own maps. False affidavits are given in the High Court and our own maps are not respected. (*Interruption*) You should learn to respect your maps.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या कोई ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सहमति या संहिता व्यवहार में प्रचलित है जिससे सम्बन्धित देशों द्वारा नक्शों की प्रमाणिकता सिद्ध करके प्रकाशित किया जाता है ।

श्री ब० रा० भगत : ऐसी कोई अन्तर्राष्ट्रीय संहिता नहीं है ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : भारत में हम इस बात का विचार रखते हैं कि हम विशेषरूप से सरकारी स्तर पर अंग्रेजों की भावना को चोट न पहुंचायें । क्या मैं जान सकता हूं कि यद्यपि यह नक्शा जनवरी 1968 में नेशनल ज्योग्राफिकल मेगजीन में छपा था और मालदीव को अंग्रेजों के अधिकार में दिखाया था, जहां तक हम जानते हैं कि न हमारी सरकार ने इसके बारे में ब्रिटेन की सरकार का विरोध किया है और न हमारे हाई कमीशन ने मेगजीन को गलती सुधार करने के लिए और सही नक्शे को प्रकाशित करने को कहा है । यह गलती इतने अधिक समय तक कैसे रही ।

श्री ब० रा० भगत : मालदीव के बारे में (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इतने एक समय में ही क्यों चिल्ला रहे हैं, उनको उत्तर देने दीजिए ।

श्री ब० रा० भगत : जैसे ही मैगजीन प्रकाशित हुई, यह गल्ती पकड़ी गई और हमने इस मामले को उठाया । हमारे इसे न जानने का कोई सवाल नहीं उठता ।

जैसा कि उन्होंने मालदीव के बारे में कहा है कि हमें इसका विरोध करना चाहिए था । मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि यह स्वतन्त्र देश है और संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है, यह विरोध करने का कार्य उनका है ।

Shri Madhu Limaye : But you should have also objected it.

Shri K. N. Tiwary : I want to know those countries who have published the wrong maps of India and what action has been taken in this recpect by the Government. Have the ambassadors in foreign countries informed you about this and did you give them instructions regarding what action is to be taken in this matter.

Shri B. R. Bhagat : Wherever the question of such maps arises—as in the case of a publisher in Germany, we have raised the issue there.

Shri K. N. Tiwary : I had asked the names of those countries who have wrongly published the maps of India and what action has been taken by the Government ? What instructions have been given to our ambassadors in abroad to take action in this respect.

Shri B. R. Bhagat : This question does not relate to a country. No Government has published it. As I said that sometimes back a case of a publisher was raised. And I have

got no list. There is a law in this respect that we can check the entry of such maps. As such we do what is our right and act according to the law.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : नेशनल ज्योग्राफिकल मेगजीन विश्व की एक जिम्मेदार संस्था है और उसके नक्शों का न इस देश में बल्कि आर्कटीक प्रदेशों सहित समस्त विश्व में अनुसरण किया जाता है और नेशनल ज्योग्राफिकल मेगजीन के नक्शे विश्वसनीय समझे जाते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इंगलैण्ड में हाई कमिश्नर के द्वारा नेशनल ज्योग्राफिकल मेगजीन को इस गल्ती को हटाने के लिए कहेगी ?

श्री ब० रा० भगत : नेशनल ज्योग्राफिकल मेग़जीन अमेरिका से प्रकाशित होती है जबकि सम्बन्धित प्रश्न इंगलैण्ड से है ये दो अलग-अलग बातें हैं।

आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का विस्तार

*1713. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास केन्द्रों से विज्ञापन प्रसारण सेवा कब तक आरम्भ कर दी जायेगी ;

(ख) इन प्रस्तावित प्रसारणों से प्रति वर्ष कितनी आय होने की संभावना है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में बम्बई, पूना तथा नागपुर केन्द्रों को कितनी सफलता मिली है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के उप-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) वाणिज्यक प्रसारण सेवा का कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में विस्तार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इसके जल्दी ही कार्यान्वित हो जाने की सम्भावना है।

(ख) मोटे तौर पर अनुमान है कि कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास से क्रमश: 40 लाख रुपये, 30 लाख रुपये और 15 लाख रुपये की आय होगी।

(ग) बम्बई-पूना-नागपुर परियोजना का प्रारम्भ अत्यन्त उत्साहजनक है। उपलब्ध समय में मांग अति अधिक है जो परियोजना की सफलता और लोकप्रियता बताती है।

Shri Beni Shanker Sharma : Mr. Speaker, the Deputy Minister has just stated that very soon the advertisement publicity will be started in Calcutta, Madras and other cities. I think the work is being done in accordance with the recommendations of Chanda Committee. Chanda Committee was formed in November 1964. You received the report in March 1967. Chanda Committee took two and a half years to give the report. Now how much time you will take so that the work may be begun in cities like calcutta, Madras, Bangalore, Hyderabad where considerable income is expected. It is misleading to say that we will start it sooner. We understand it. I want to know whether you will start the advertisement publicity on some specified date.

श्री के० के० शाह : इसको जल्दी आरम्भ करना हमारे हित और राष्ट्रीय हित में होगा परन्तु कठिनाई कनसोल की है, जो भी कनसोल हमारे पास हैं हम उनको प्रयोग में ला रहे हैं और बाकी या तो बी ई एल द्वारा निर्माण किये जा रहे हैं या उनका आयात किया जाना है।

दूसरी कठिनाई स्थान की है। वर्तमान स्थान जो आकाशवाणी के कार्यालयों म उपलब्ध है, नये स्टूडियो को शुरू करने में पर्याप्त नहीं है। इसमें समय लगेगा, हम इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Beni Shanker Sharma : Mr. Speaker whether some officers of All India Radio were sent abroad for learning the art of Advertisement publicity. If so, how may officers were sent, in which countries they visited and how much expenditure was incurred on them. I want to ask one thing more. The example of Radio Ceylon is before as. The advertisement with musical interval broadcasted by Radio Ceylon had been very popular among Radio listeners in India. Whether our honourable Minister will start the commercial broadcasting without further delay so that the source of our income may not be stopped. You know that with a view to make up the expenditure in Budget we have to increase the price of Post Card, and envelops as well. We are increasing taxes on every items. But what can become a major means of our income, why we do not use it at an earliest.

Shri K. K. Shah : I am very thankful to you that you also wish that it should be started very soon. I assure you that it will be started very soon.

Shri Beni Shanker Sharma : Mr. Speaker I have not received the reply of my question I asked how many officers have been sent outside.

Shri K. K. Shah : There was no need to send any officer.

श्री राजशेखरन : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास बंगलौर को भी इस वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है ।

श्री के० के० शाह : जी हां , है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : सरकार के हाथों में होने से आकाशवाणी का प्रचार कार्यक्रम सत्तारूढ़ दल के पक्ष में रहता है, मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि क्या चुनाव के दौरान में राजनीतिक दलों को अपने प्रचार कार्यक्रम में समय देने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है । और क्या विभिन्न चुनाव कार्यक्रमों में विभिन्न उम्मीदवारों को भी समय देने का प्रस्ताव है ।

श्री के० के० शाह : यह आरोप उचित नहीं है । पिछले आम चुनावों के दौरान, विभिन्न दलों को समय का आवंटन करने के बारे में हमने चुनाव-आयोग से बात-चीत की परन्तु दुर्भाग्य से कोई समझौता न हो सका । इस बार भी हमने चुनाव-आयोग को लिखा है (**व्यवधान**) ।

Shri Rabi Ray : More time was sought for Congress, that is why there was no agreement ! All should he provided with equal time.

श्री के० के० शाह : जब तक कोई बात तय नहीं हो जाती तब तक किसी को समय देना सम्भव ही नहीं है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : समय के विक्रय के बारे में मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का क्या हुआ ?

श्री के० के० शाह : यह राजनैतिक दलों को नहीं बेचा जायेगा ।

श्री विक्रम चन्द महाजन : मंत्री महोदय ने कहा है कि स्टूडियों की कमी है इस लिये यह सेवा बढ़ाई नहीं जा सकती । क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या स्टूडियो बनाने में कोई आयातित वस्तुओं की आवश्यकता होती है; यदि नहीं और यदि सारा स्टूडियो भारतीय माल से बन सकता है, तो इन के बनाने में देरी क्यों है ?

श्री के० के० शाह : भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड वाले चाहते हैं कि हम उन्हें अग्रिम क्रयादेश दें ताकि वे उत्पादन का कार्यक्रम तैयार कर सकें क्योंकि इसमें कुछ वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। इसका अर्थ यह होता है कि हमें वित्तीय स्वीकृति लेनी होगी और हम अग्रिम वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि निश्चित कार्यक्रम के अनुसार क्रयादेश दिये जा सकें।

Shri Onkarlal Berwa : I want to know what policy has been adopted by Government in regard to broadcast of advertisements, how many advertisements were received under that policy, how many of them were rejected by you, and what steps have you taken to simplify this policy ?

श्री के० के० शाह : प्रत्यायन के बारे में इसके कुछ नियम निर्धारित किये हैं। उस प्रत्यायन के अनुसार विज्ञापन-एजैन्सियों को प्रत्यायन दिये जाते हैं। यदि कोई प्रत्यायन नहीं दिया जाता तो इसके बाद यह सुविधा दी जाती है कि यदि वे कोई बैंक गारंटी अथवा नकद पैसा देते हैं, तो उन्हें समय भी दिया जाता है। और इस बारे में "पहले आओ, पहले पाओ" वाली पद्धति का अनुकरण किया जाता है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : विक्री को उन्नति के लिये जहां तक व्यापारिक प्रसारण के समय का सम्बन्ध है; क्या मैं जान सकता हूं कि यह सब काम आकाशवाणी सम्भालेगी या फिर इस उद्देश्य के लिये किसी विज्ञापन-एजेन्सी या किसी अन्य कमीशन एजेन्टों की नियुक्तियां की जायेंगी।

श्री के० के० शाह : किसी को भी एकमात्र विक्रेता एजेन्सी देने का हमारा विचार नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to ask whether you have formulated any code for this commercial Broadcast as to what sorts of advertisements should be accepted because it is possible that Government might like to reject certain advertisements sent by certain foreign companies ?

Secondly, is it true that certain small news papers will be affected by this broadcast ? If so, what plan has the Government thought about it ?

Shri K. K. Shah : We have a plan. It has been kept in view that the producers in in our country may get more benefits and there should be no competition with them.

Secondly, there has been no disadvantage to either small or big news papers.

Shri Kanwar Lal Gupta : Have you made any code ?

Shri K. K. Shah : Yes Sir, we have.

श्री मनुभाई पटेल : इन प्रसारणों में सरकार की नीति का विरोध करने वाली मदें नहीं प्रसारित की जा सकतीं। क्या मंत्री महोदय को ज्ञात हुआ है कि कुछ दिन पूर्व यह बताया गया था कि उन्होंने कहा है कि आकाशवाणी पर इन प्रसारणों में शराब के विज्ञापन भी प्रसारित किये जायेंगे ? यह समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है।

श्री के० के० शाह : मैं ने यह नहीं कहा कि ऐसे विज्ञापन प्रसारित किये जायेंगे। मैंने तो कहा था कि इस बारे में विचार किया जायेगा, परन्तु हमने निर्णय किया है कि शराब के विज्ञापन हम स्वीकार नहीं करेंगे।

Shri Kushok Bakula ; I want to know from the Minister of Information and Broadcasting whether he is aware of anti-India propoganda in Balti language from 'Azad Kashmir Radio'. If so, is it replied to back in a Laddakhi language ? if no, what is the reason ?

Shri K. K. Shah : This question is about commercial advertisements .

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या मैं जान सकता हूं कि रेडियो सीलोन द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जा रही है तथा हमारी सरकार अपने रेडियो कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या-क्या प्रयत्न कर रही है ताकि रडियो सीलोन की लोकप्रियता कम हो तथा हमारे कार्यक्रमों की लोकप्रियता बढ़े ?

श्री के० के० शाह : मैं अपने माननीय मित्र को सहर्ष बताना चाहता हूं कि रेडियो सीलोन की बुकिंग बहुत कम हो गई है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : कितने प्रतिशत ?

Shri Onkar Lal Bohra : Mr. Speaker, it is the policy of the Government to give maximum advertisements to small news papers particularly to those of Indian languages but I have received a statement according to which 80% of advertisements of Public Undertakings go to the foreign language news papers and the 20% to those of local Indian languages. So, I want to know what steps the Government is going to take so that the small news papers may get the maximum of the advertisement ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न व्यापारिक प्रसारण से सम्बन्धित है । परन्तु वह समाचार-पत्रों की बात कर रहे हैं । मैं नहीं जानता कि यह मुख्य प्रश्न से कैसे निकलता है ।

श्री समर गुह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विज्ञापनों के प्रकारों के बारे में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होगी, और यदि हां, क्या अशिष्ट साहित्य के व्यापारियों को भी अपने साहित्य का विज्ञापन देने की स्वतन्त्रता होगी अथवा सरकार इस पर कोई प्रतिबन्ध लगायेगी ?

श्री के० के० शाह : जैसा कि मैंने कहा है, इसके लिये एक संहिता बनी है और वही विज्ञापनों को नियंत्रित करती है । अत: अशिष्ट चीजों का प्रसारण नहीं होगा ।

बिहार में परमाणु संयंत्र

***1714. श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में एक परमाणु संयंत्र की स्थापना के लिये बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिहार में परमाणु क्षमता का विकास करने के काम पर केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी धनराशि व्यय की है और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस पर अनुमानत: कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

उप-मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) :(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बिहार राज्य में परमाणु खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण, विकास तथा उत्पादन और यूरेनियम धातुक मिल की स्थापना पर लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किये गये हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस पर खर्च की जाने वाली धनराशि के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

Shri S. C. Jha ; Mr. Speaker, In regard to minerals, Bihar is a number one state in India and also in regard to some minerals, it tops even the whole world. I can say upto the extent that in general, India's economy has a base in Bihar. If Bihar moves to some other way the whole Indian economy might paralyse. But Bihar is not going to do any such thing whereas Government of India has been ignoring Bihar at every step. Projects like that of kosi canal etc. are at a standstill there. Similarly nuclear plant is also being neglected. In this connection, I want to ask the Prime Minister what are main difficulties or reasons in regard to the installation of nuclear plant in Bihar, and what steps is the Government taking to remove those. If no steps are being taken then, what are the reason therefor?

डा० सरोजिनी महिषी : अपने प्रश्न के प्रथम भाग में जो जानकारी माननीय सदस्य ने दी है वह ठीक नहीं है ।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि बिहार की उपेक्षा नहीं की गई है । भारतीय युरेनियम निगम लिमिटिड वहां स्थापित कर दिया गया है तथा सिंहभूम क्षेत्र में काम हो रहा है ; और सिंहभूम, नर्वपहाड़ तथा भातिन आदिकी ताम्र पट्टियों, जहां यूरेनियम धातुकों और भण्डारों का पता लगा है तथा जहां प्राप्त होने वाले माल तथा इस सम्बन्ध में नियुक्त परमाणु शक्ति आयोग की विशिष्ट समिति द्वारा किये गये अध्ययन, के बारे में जांच और सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

Shri S. C. Jha : My point was about the hesitations and reasons in this regard. It has not been answers whether there is enough raw material or not.

डा० सरोजिनी महिषी : भारत की शक्ति सर्वेक्षण समिति ने सर्वेक्षण किया है तथा कहा है जो स्थान कोयला खानों के समीप हैं वहां परमाणुशक्ति बिजली संयंत्र लगाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद न होगा । और यह विचार किया गया है कि वहां जो भी कच्चा माल उपलब्ध है, चाहे कोयला, तेल हो, या फासिल ईंधन हो, उससे बिजली उत्पन्न करना सस्ता रहेगा न कि परमाणुशक्ति संयंत्रों द्वारा । यही कारण है कि बिहार में परमाणु शक्ति संयंत्र नहीं है ।

Shri S. C. Jha : I want to know how much amount was allocated for nuclear development in Bihar during 1968-69 plan?

डा० सरोजिनी महिषी : युरेनियम निगम लिमिटिड की कुल अधिकृत धनराशि 15 करोड़ रुपये है । इसमें से लगभग 12.5 करोड़ रुपये यूरेनियम खानों तथा मिल पर लगा दिये गये हैं । वर्ष 1968-69 के दौरान युरेनियम खानों से शुद्ध किये गये शुद्ध यूरेनियम का मूल्य लगभग 120 लाख रुपये है ।

श्री शिव नारायण : क्या यह सच है कि क्योंकि आजकल बिहार में कोई स्थायी सरकार नहीं है इसलिये इस मामले में भारत सरकार अधिक प्रगति नहीं कर पा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह !

श्री समर गुह : जब कि बिहार में जादुगुडा के स्थान पर सब से बड़े यूरेनियम-भण्डार हैं और उसे खोदने के लिये वहां एक संयंत्र भी स्थापित कर दिया गया है ; फिर क्या कारण है कि एक ओर तो शुद्धिकरण के लिये और दूसरी ओर आसोटोपों को अलग अलग करने के लिये एक संयंत्र वहां से एक हजार मील दूर हैदराबाद में लगाया जाता है, दूसरे, हमारे पास अप्सरा, ज़रलीना और एक अन्य, तीन रीएक्टर भी मौजूद हैं। इन तीन रिएक्टरों में प्लूटोनियम भारी मात्रा में जमा होता रहा है। इस उप-उत्पाद को सरकार किस काम में उपयोग कर रही है ?

डा० सरोजिनी महिषी : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, हैदराबाद में इलैक्ट्रोनिक्स निगम भी स्थापित किया गया है तथा वहां एक फ्यूल कम्प्लैक्स भी बनाया जा रहा है। जादुगुडा से प्राप्त यानों के प्रक्रम का काम भी स्थापित होने वाले उस बड़े कम्प्लैक्स का एक अंग है। इसी कारण वह वहां स्थापित किया गया है ।

श्री समर गुह : यह उत्तर नहीं है। हजारों टन धातुक निकाले जायेंगे तथा भेजे जायेंगे और उन में से कुछ पौंड का ही उत्पादन होगा ।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न संख्या 33।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

रेल के माल डिब्बे न मिलने के कारण पड़ा खाद्यान्न

अ० सू० प्र० 33. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री मीठा लाल मीना :

क्या रेलवे मन्त्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल के माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण राजस्थान में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर खाद्यान्न से भरे हुए सैकड़ों ट्रक खड़े हैं;

(ख) क्या खाद्यान्न के मालिकों और ट्रक मालिकों की परेशानी के लिए सरकारी उपेक्षा तथा भ्रष्ट तरीके उत्तरदायी हैं; और

(ग) क्या सरकार माल डिब्बों की व्यवस्था करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ताकि राजस्थान से खाद्यान्न विभिन्न गन्तव्य स्थानों को भेजा जा सके ?

रेल मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) सम्बन्धित रेल प्रशासनों को इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। 1 अप्रैल से 4 मई, 1968 तक राजस्थान में स्थित विभिन्न स्टेशनों से बड़ी लाइन के 1897 और मीटर लाइन के 7267 माल डिब्बों में खाद्यान्न लादे गए। यदि व्यापारियों द्वारा बड़ी लाइन के 1485 और मीटर लाइन के 6225 माल डिब्बों की मांग रद्द नहीं करायी जाती तो और अधिक माल डिब्बे भेजे जा सकते थे।

श्री सु० कु० तापड़िया : किराये दर लेने वालों को डिब्बों की निर्यात सप्लाई से अधिक रेल दुर्घटनाएं अधिक नियमित रूप से होती हैं। सदैव की तरह, मन्त्री महोदय के उत्तर का अधिकतम भाग एक विकृत चित्र प्रस्तुत करता है और एक बहुत गलत धारणा पैदा करता है। वह कहते हैं यदि व्यापार रद्द न होता तो अधिक माल भेजा जाता। मुझे आशा है कि वह यह भी याद रखेंगे कि डिब्बों की मांगों और वास्तविक सप्लाई के मद में बड़ी लम्बी प्रतीक्षा के कारण ही यह मांगें रद्द होती हैं। खाद्यान्न व्यापारी इतने लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते और सम्भवत: वे अपना माल ट्रकों द्वारा भजते हैं।

इस यार्ड के लिए एक किरायेदार को डिब्बा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक कितने दिन प्रतीक्षा करनी होती है ?

राजस्थान सरकार द्वारा 1-4-68 से मोटे अनाज के आवागमन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाये जाने के बाद से व्यापारियों द्वारा बिना अपने माल के भार की जांच किए ही डिब्बों के लिए भारी संख्या में पंजीकरण कराया गया। यही मुख्य कारण है कि उतनी मांगें रद्द हुई हैं।

दूसरे, वरियताओं के अनुसार हमारे पास भारतीय खाद्य निगम तथा उच्च वरियता पाने वाली राज्य सरकारों का लेखा है। दूसरी श्रेणी में खाद्यानों के लाए-लेजाने के बारे में व्यापारियों द्वारा पंजीकृत कराई गई वरियत (घ) और (ङ) है। इन्हीं वरियताओं के अनुसार खाद्यान्नों का आवागमन होता है। इन्हीं वरियताओं के कारण यह सम्भावना रहती है। पंजीकरण होने की तारीख के बाद डिब्बों के आने-जाने में विलम्ब हो जाता है। मुझे प्राप्त जानकारी के आधार पर पंजीकरण की तारीख अधिक से अधिक एक मास अथवा एक मास 10 दिन पीछे की रही है।

श्री सु० कु० तापड़िया : पहले प्रश्न के सम्बन्ध में उन्होंने फिर एक गम्भीर आरोप लगाया है कि जब व्यापारी किराए पर डिब्बों की मांग करते हैं तो अपनी अपनी आवश्यकताओं का ठीक अंकन नहीं करते। कल ही उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा है कि डिब्बों पर एकाधिकार करने के लिए अनाज व्यापारी भारी संख्या में तथा थोक में पंजीकरण कराते हैं। वह दिनों की ठीक संख्या नहीं बता सकते। वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह संख्या 30 से 50 की मध्य होती है। स्वाभाविक ही है कि व्यापारी इतनी लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते और वे अपना माल ट्रकों द्वारा, भेज देते हैं। इन परिस्थितियों में यदि वे पंजीकरण को रद्द न करायें तो फिर क्या करें ? अत: जानते हुए भी वह गलत बात क्यों बताते हैं ?

दूसरी मजेदार बात यह है कि ज्यों ही कुछ डिब्बे यार्ड में आते हैं कि उन में से कुछ 'अस्वीकृत' घोषित कर दिए जाते हैं और जब वे एक बार अस्वीकृत घोषित कर दिए जाते हैं तो फिर वे व्यापारियों को उनकी बुकिंग की वरियता के अनुसार नहीं दिए जाते। इस का परिणाम यह हुआ कि पिछले दो मास में राजस्थान में अस्वीकृत डिब्बों की संख्या बहुत ऊंची पहुंच गई। राजस्थान में, पिछले दो मासों में वहां विभिन्न यार्डों में कितने डिब्बे भेजे गए तथा उन में से कितने डिब्बे इस प्रकार अस्वीकृत घोषित किए गए ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, हमने निम्नलिखित प्रकार से डिब्बे चलाए हैं :—

पश्चिम रेलवे, बड़ी लाईन, सरकार के लिए 1 अप्रैल से 4 मई तक 441 डिब्बे, तथा व्यापार के नाम में 1456 डिब्बे। पश्चिम रेलवे, मीटर लाईन पर सरकार के लिए 383 डिब्बे तथा व्यापार के लिए 2364 डिब्बे। उत्तर रेलवे, मीटर लाईन, सरकार के लिए 416 डिब्बे तथा व्यापार के लिए 4104 डिब्बे।

यह सत्य है कि कुछ प्रकार के खाद्यान्नों जिनकी वर्षा तथा अन्य चीजों से रक्षा करनी होती है, के लिए जब कुछ डिब्बे उपयुक्त नहीं पाए जाते तो उन्हें हटा दिया जाता है तथा उनके स्थान पर उपयुक्त डिब्बे दिए जाते हैं। इस समय मेरे पास इस से सम्बन्धित सारा विवरण नहीं है।

Shri Meetha Lal Meena : Mr. Speaker, if there is a competition in respect of corruption in various Railway departments, the first Gold Medal should go to the Railway Minister Shri C.M. Poonacha, in Rajasthan in Kota Division of western Railways the traders have to experience great inconvenience in regard to their loading the luggage and the Railway employees are indulging in corruption quite openly. The godown officers deliberately reject the fit wagons and allot to the traders of their own choice and charge Rs. 100 to Rs. 200 from each. They charge Rs. 50/- for each fit wagons also even while provide it on due turn. In stead of providing full wagon, they take more interest in loading the goods in piece meals because in this way they charge four annas a bag from the traders, quite openly. It should be investigated and for this, the trader's documents can well be seen. On the 24th April, 1968, in Gangapur city, huge quantity of goods was loaded, but as I said, they load 90% of the goods in piece meals to get 4 annas a bag and do not give closed wagons, because in this way they get lesser amount in brive. They get only Rs. 25/- a wagon.

Similarly, in the Jaipur Division of Western Railways, although more than a month has elapsed since registrations of wagon was made at Jaipur, Sikar station etc., yet no wagon is available. The situation is that there are as many as 500 registrations made in the godown at Jaipur junction. Now will the Railway Minister assure to order the investigation into the open corruption going on there in this regard? Will he also assure us to cleanse the system there in the Jaipur Division?

Secondly, how many registration for wagons on broad gauge and narrow gauge lines have been withdrawn by the traders, how many were confiscated by the Railways and how much has been the income so made by the Government?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक भ्रष्टाचार तथा अन्य बातों के बारे में शिकायत का प्रश्न है, यदि माननीय सदस्य मुझे किसी विशिष्ट घटना के बारे में बताएं तो मैं उसका पूरी जांच कराके इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करूंगा। जहां तक पंजीकरण वापस लेने का प्रश्न है जो पश्चिम रेलवे में बड़ी लाईन पर 737 तथा छोटी लाईन पर 5488 डिब्बों के पंजीकरण वापस लिये गए। इस से उनके अग्रिम पंजीकरण और डिब्बे किराए पर लेने की भावना का काफ़ी प्रमाण मिलता है। आसामियों लादने के लिए माल हुए बिना ही डिब्बों की मांगें कीं तथा बाद में रद्द करदी।

Shri Meetha Lal Meena : It is not so. The traders cannot endure to stop the luggage. What will they do if they stop the movement of the foodgrains?

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं।

Shri Meetha Lal Meena : My question has not been replied as to how many traders made registrations and how many registrations were withheld.

Mr. Speaker : It requires notice.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : रेलवे ने अपनी ओर से दी वरियता निश्चित कर रखी है तथा उन्होंने सामान को क, ख, ग, तथा 1, 2, 3, 4 आदि श्रेणियों में बांट रखा है। उन्हीं वरियताओं के अनुसार मांगें पंजीकृत होती हैं। अत: मांगों की संख्या बढ़ती जाती है जबकि उपलब्ध कराए गए डिब्बों की संख्या .....

अध्यक्ष महोदय : रेल मन्त्री यह जानते हैं : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या वह डिब्बोंके उचित उपयोग तथा जहां उनकी मांग है वहां उन्हें शीघ्र प्रदान करने के बारे में कुछ करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न राजस्थान से सम्बन्धित है, यह एक सामान्य प्रश्न नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know whether you could not provide wagons due to non receipt of clearance for three days on account of an accident between Ratlam and Dohad; also whether it is true that there was a demand of 5,000 wagons from Ramganj Mandi Indragarh Mandi and Baramandi but you could provide only 1500? Have their demands been met? What do you propose to do about the goods lying on those stations.

श्री चे० मु० पुनाचा : कोटा के समीप उस क्षेत्र से राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में डिब्बों के भेजे जाने में हुई अस्थायी रुकावट के कारण कुछ कठिनाईयां अवश्य उत्पन्न हुई थीं। वह रुकावट लगभग 85 घन्टे तक रही थी।

Shri Onkar Lal Berwa : The goods are lying blocked.

अध्यक्ष महोदय : 85 घन्टे बाद उन्होंने वह रुकावट दूर कर दी है।

Shri Bhola Nath ; The hon. Minister has been receiving telegrams from Alwar almost every day regarding non-availability of wagons. I myself have also written to him. On the other hand, during the Budget he says that the income has gone down because the people do not use the wagons. Secondly he was stated something every funny that he has scraping during those days when there is a good crop particularly and the movement of grains cannot be stopped. There should be a clarification in this behalf. Actually, this irregularity is all due to corruption there. If the hon. Minister provides, people are ready to have open wagons also provided that some tirpals are also provided. The traders are not in position to block the grains particularly when there is good crop of grain and barley. Their complaint can very well the removed if the movement of the foodgrains are permitted in open wagons covered with Tirpals.

श्री चे० मु० पुनाचा : माननीय सदस्य द्वारा दिय गये सुझाव पर विचार किया जा सकता है और मैं इस पर विचार करूंगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : Just now, several hon. Members have pointed out that a lot of corruption is going on in this matter. I want to stress upon the hon. Minister that it is quite true and if he is prepared to depute some senior officers to find out the facts in those Markets he will come to know that the goods are loaded

there only on paying extra money. The hon. Minister always says that passenger traffic causes loss to the Railways and that goods traffic is not available in plenty. May I know whether he will assure us that there would be no shortage of wagons in Rajasthan and other surplus states during the crops and all such demands would be met; so that the Railways might also get profit. I want to know whether he would depute some senior officer to hold inquiry there?

श्री चे० मु० पुनाचा : यही हमारा प्रयत्न रहा है। यह सच इस बात से भी सिद्ध हो जाता है कि उस क्षेत्र में हमने एक मास में 1456, 2364 और 4104 डिब्बों पर माल का लदान किया है जिसकी तुलना में सरकारी माल के लिए दिए गए डिब्बों की संख्या इतनी नहीं है। इससे रेलवे को इस रुचि का स्पष्ट ज्ञान होता है कि वे अपनी पूरी क्षमता का कहां तक उपयोग करना चाहते हैं तथा किस प्रकार इस क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त उपज के सम्भालते हैं। इस बारे में हम जो कुछ आवश्यक है वह करेंगे क्योंकि अनाज को आने-जाने में रेलवे की भी बड़ी रुचि है क्योंकि इससे हमें पैसा मिलता है। परन्तु हमारे पास और भी दूसरी वरीयताएं होती हैं और हमें उन्हीं वरियताओं के अनुसार दूसरे माल को भी भेजना होता है।

Shri Heerji Bhai : I want to know from the hon. Minister whether the Government propose to give compensation to the foodgrain dealers and porters who could not get the Railway wagons?

श्री चे० मु० पुनाचा : इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Maharaj Singh Bharati : There are both broad gauge and meter gauge in Rajasthan and as stated by the hon. Minister, priority will be given to the Government if it purchase foodgrains on large scales. I want to know from the hon. Minister whether the Railways have suggested that, in respect of the markets from where the foodgrains will be purchased for the Food Corporation's godowns, if the loading of goods is made on meter-gauge those goods may be sent through meter-gauge to those godown which are situated on the meter gauge ? According to my information, the goods are loaded on broad gauge and will reach the godown which are situated on meter gauge line. This would cause the, Change of wagons and unloading from broad gauge and reloading to meter gauge. Have you arranged some co-ordination with the Food Corporation in order to make good for the shortage of wagons?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस सुझाव की जांच की जाएगी और मैं मामले पर विचार करूंगा।

श्री समर गुह : क्या यह सत्य है कि जब श्री जगजीवन राम अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कलकत्ता गए तो.....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न राजस्थान से सम्बन्धित है। यदि आप कलकत्ता को बीच में लायेंगे तो दूसरे मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद आदि को भी बीच में लायेंगे।

श्री समर गुह : वह वैसा ही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल तथा खाद्य आयुक्त ने श्री जगजीवन राम को बताया कि कुछ व्यापारी कृत्रिम कमी दिखाकर मूल्य बढ़ाने के उद्देश्य से हावड़ा स्टेशन पर अपना माल भेजने में देरी कर रहे हैं। यह एक गम्भीर शिकायत है। राज्यपाल ने श्री जगजीवनराम को बताया कि जब तक सरकार उन व्यापारियों को बेईमानी के बारे में कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनायेगी जोकि रेलवे के शैडों और गोदामों का बड़े नियमित ढंग से प्रयोग कर रहे हैं तथा यदि माल की डिलीवरी

सम्बन्धी नियम नहीं बदला जायेगा तो राज्य सरकार के लिए वस्तुओं की कमी और मूल्यों की वृद्धि को रोकना असम्भव हो जाएगा। क्या यह सत्य है कि श्री जगजीवन राम से यह शिकायत की गई थी और उन्होंने यह शिकायत रेल मन्त्री को भेज दी थी, और यदि हां, तो रेल मन्त्री द्वारा क्या उपाय किए गए हैं।

श्री चे० मु० पुनाचा : हमें इस तथ्य का पता लगा है और हम अब खाद्य मन्त्रालय से इस बारे में बात-चीत कर रहे हैं कि इन दुष्कृत्यों को कैसे समाप्त किया जा सकता है।

श्री के० पी० सिंह देव : क्या सरकार का विचार शीघ्रता से माल भेजने के लिए राजस्थान में क्यु० टी० एस० लागू करने का है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इसका सम्बन्ध दूसरे ऊंची दर वाले यातायात से है और जहां तक खाद्यान्नों का प्रश्न है, हम रेलवे में पंजीकृत लदान की मांगके अनुसार कार्य-वाही करते हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : मन्त्री महोदय ने कहा है कि डिब्बे टूट-फूट गए थे तथा उन्हें रद्द करना पड़ा परन्तु यह सत्य तो रहता है कि आवश्यकता के समय डिब्बे नहीं मिलते। इस दृष्टि से, क्या मन्त्री महोदय हमें बता सकते हैं कि वह छोटी और बड़ी लाइनों पर अधिक डिब्बे उपलब्ध कराने तथा और अधिक डिब्बों के निर्माण और उन्हें देने के बारे में वह क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : पुराने डिब्बों को बदलने तथा आवश्यकतानुसार नए डिब्बे जोड़ने का हमारे पास एक नियमित कार्यक्रम है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विमानों का पता लगाने वालों के रूप में होम गार्डों की नियुक्ति

*1710. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई योजना विचाराधीन है कि काम पर बुलाये जाने पर कम ऊंचाई पर उड़नेवाले विमानों का पता लगाने तथा उनकी सूचना निकटतम विमान सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष में देने के लिए होम गार्डों को नियुक्त किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस स्तर पर विचाराधीन है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). यह सूचना प्रकट करता लोक हित में नहीं होगा।

इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम

*1711. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और इस पर कितना पूंजीगत व्यय करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इलैक्ट्रानिक्स में भाभा कमेटी रिपोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों को सामने रखते हुए सरकार का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए इलैक्ट्रानिक्स कमेटी का पुनस्संगटन किया गया है। कमेटी आवश्यकतम आवश्यकताओं को ध्यान रखती है, अभिकल्पन और विकास के लिए हस्तगता किए जा रहे अनुसन्धान का अनुसरण करती है, तथा जहां आवश्यक हो मार्गप्रदर्शन करती है, ऐसे क्षेत्रों की शनाख्त करती है कि जहां देशीय उत्पादन बढ़ाया जा सके, और ऐसी क्षमता को बढ़ावा देती है।

Rules for Broadcasting Talks by Hindi and English Writers in A.I.

***1715. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether some rules have been framed in regard to the broadcasting of talks of the Hindi and English writers and of other persons giving talks in these languages from All India Radio:

(b) if so, the details thereof;

(c) the rate at which remuneration is paid to persons giving talks in English and Hindi;

(d) whether there is any difference between the rates of remuneration being paid to the persons of both the said categories, if so, the reasons therefor; and

(e) whether Government propose to remove this disparity and if not, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) and (b) An "A.I. R. Code" for broadcasts on All India Radio has been formulated and a copy thereof has been laid on the Table of the House on the 14th December, 1967.

(c) There is no prescribed rate for payment of remuneration to talkers. The fees paid to them very according to the nature of the talks, the standing of the talker in his own field of specialisation and the particular programme in which the talk is broadcast.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

भारत के अकालग्रस्त क्षेत्रों के फोटो का प्रदर्शन

***.1716 श्री कार्तिक ओराओ :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 1966 और 1967 में आपातकालीन भोजन-व्यवस्था कार्यक्रम के अन्तर्गत "यूनीसेफ़" "कैयर" और "रैड क्रास" जैसे अन्तर्राष्ट्रीय

संगठनों ने जिन्होंने अकालग्रस्त क्षेत्रों में काम किया था, अमरीका और अन्य देशों में प्रदर्शन के लिए भारत की नंगी और भूखी जनता के फोटो लिए थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख). सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जो सहायता कार्य में लगा था, ने अप्रैल 1966 और 1967 में बिहार में सूखे के चित्र लिए हों और विदेशों में भेजे हों। तथापि, सरकार को यह पता लगा है कि कुछ विदेशी स्वयम्सेवी संगठनों ने विदेशों में ऐसे कुछ चित्र प्रदर्शित किए हैं जो आपत्तिजनक थे। हमारे दूतावासों को कहा गया कि वे तथ्य बतायें।

Publicity of Boundaries of India Through AIR

***1717. Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the steps taken to publicise through A.I.R. the correct boundaries of our country?

The Ministrer of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): The correct boundaris of India are publicised when required, through A.I.R. by means of talks and news items as and when events of current interest require such publicity. In our programmes directed to school students the boundaries of India are described in talks relating to lessons in Geography.

भारतीयों दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती

***1718. श्री बाबुराव पटेल** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दो भारतीय दूतावासों के नाम क्या हैं जिनमें वर्ष 1967 में कर्मचारियों की संख्या में कटौती की गई थी और जिसके परिणामस्वरूप 7 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की वार्षिक बचत हुई है;

(ख) अन्य दूतावासों में इस प्रकार के परीक्षण न करने के क्या कारण हैं;

(ग) फालतू तथा अनावश्यक पदों के समाप्त किए जाने में अनुमानतः कितनी राशि बचाई जा सकती है;

(घ) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित हमारे उच्चायोग में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी होने का कई बार अनुमान लगाया गया है और कोई 200 कर्मचारी फालतू पाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार किन कारणों से इन अनावश्यक कर्मचारियों को सेवामुक्त नहीं कर रही है और इस प्रकार धन की बचत क्यों नहीं कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री (ब० रा० भगत) : (क) भारत का हाई कमीशन, लन्दन और भारत का राजदूतावास, स्टाकहोम। 1967 के दौरान जिन अन्य मिशनों की जांच की गई, वे थे: बूडापैस्ट, पैरिस, रंगून, हांगकांग और टोकियो।

(ख) विदेश सेवा निरीक्षकों ने फरवरी- मार्च 1968 में कैनबरा, सिडनी, सूवा, मनीला, नोमपेन्ह, सिंगापुर और वैलिंगटन का निरीक्षण पूरा कर लिया है। और जगहों की जांच चल रही है। इस प्रक्रिया में देर तो अनिवार्यत: लगती ही है।

(ग) उपर्युक्त मिशनों के बारे में निरीक्षकों की सिफारिशें मिल गई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। इन सिफ़ारिशों में कोई 50,000/- रु० प्रति वर्ष की किफ़ायत का अनुमान लगाया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) इस दिशा में वित्त मन्त्रालय और संबद्ध मन्त्रालयों की सलाह से कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रमंडल के देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

*1719. **श्री स० चं० सामन्त : क्या वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मूलक व्यक्तियों की स्थिति पर विचार करने के लिए, जिन्हें विदेशों में अपने घर छोड़ने को बाध्य किया गया है तथा हाल के आप्रवास अधिनियम के परिणामस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन में जिनके प्रवेश पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रमण्डल के देशों के प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाए जाने के प्रयास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रयास किस स्थिति में हैं और क्या ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया ज्ञात हुई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल

*1720. **श्री स० कुण्डू : क्या प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय छात्र सेना दल में प्रशिक्षण के तरीके में परिवर्तन करने का तथा उसे नया रूप देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्णा) : (क) और (ख): एन० सी० सी० सीनियर डिवीज़न प्रशिक्षण को अधिकतर रुचिकर, उद्देश्यपूर्ण और रक्षा विषयों में अभिविन्यस्त करने का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन है। अब फैसला किया गया है कि आगामी शिक्षा वर्ष से इतिहास (जो गए युगों के दौरान यौद्धकला और आयुधों के संबंध में व्यापक चित्र उपस्थित करेगा), विशेषकर अपने देश के संबंध में सैनिक भूगोल ज्ञान देश के रक्षा ढांचे, रक्षा-अभिविन्यास विषयों पर वक्तव्य और विचार विमर्ष इत्यादि कुछ नए विषयों को पुरस्थापित करना चाहिए। आयुध प्रशिक्षण के सिलेबस में शामिल होगा, आधुनिक हथियारों का ज्ञान, जो यहां और अन्य देशों के प्रयोग में हैं। काम की विशेष

मदें भी रूटीन की विभिन्नता के लिए तथा छात्रों को स्थानीय लोगों से संपर्क बनाने के योग्य बनाने के लिए शिविर सिलेबस में शामिल होंगी।

भारतीय नौसेना द्वारा विदेशियों को दिया गया प्रशिक्षण

*1721. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना विदेशियों को प्रशिक्षण देती आ रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने विदेशियों को प्रशिक्षण दिया गया है और वे व्यक्ति किन-किन देशों के थे तथा इस सम्बन्ध में कितना धन व्यय किया गया है;

(ग) क्या इन देशों ने यह सुझाव दिया है कि भारत से एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि-मंडल को इन देशों में जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) लंका, मलेशिया, इण्डोनेशिया, घाना, नाईजीरिया, ईथोपिया और ईराक के लगभग 1500 विदेशी सैविवर्ग को अब तक भारतीय नौसेना में प्रशिक्षण दिया गया है।

भारतीय नौसेना में विदेशियों के प्रशिक्षण में अन्तर्गत खर्च के विस्तार सहज प्राप्य नहीं है। जिन देशों से विदेशी आते हैं वह साधारणत: शिक्षा शुल्क, गोलीबारूद की लागत, मैस और खाने का खर्च और वास्य भवनों तथा संबंधित खर्च सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर खर्च अदा करते हैं।

(ग) और (घ) : घाना, मलेशिया और ईराक ने भारत से विशेषज्ञों के एक दल के लिए प्रार्थना की थी। प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी, और विशेषज्ञों के एक दल ने इन देशों का भ्रमण किया था।

नागा फेडरल सेना के डिप्टी कमाण्डर-इन-चीफ द्वारा जारी किया गया गुप्त परिपत्र

1722. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा फडरल सेना के डिप्टी कमान्डर-इन-चीफ ने अपने जवानों को एक गुप्त परिपत्र जारी किया है कि वे भारतीय सेना द्वारा बहुत अधिक उकसाने वाली कार्यवाही की जाने पर भी जून, 1968 तक कोई कार्यवाही न करें; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही बन्द रखने सम्बन्धी समझौते की अवधि को न बढ़ाने के सरकार के निर्णय से परिपत्र का कोई सम्बन्ध है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत): (क) सरकार को इस बारे मे कोई जानकारी नहीं है कि छिपे नागाओं ने इस तरह का कोई परिपत्र जारी किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

प्रेस परिषद के अध्यक्ष

*1723. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रैस परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष ने परिषद के निर्णय के विरुद्ध 1967 में विदेशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो 1967 में उनके विदेशी दौरे पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा मंजूर किये जाने के क्या कारण थे जबकि यह दौरा प्रैस परिषद के निर्णय के विरुद्ध किया गया था।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह): (क) से (ग). भारतीय प्रैस परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जे० आर० मधोलकर के इंग्लैंड के दौरे के बारे में मई 1967 में प्रैस परिषद् की आपतकालीन बैठक में चर्चा हुई थी। परिषद् के कुछ सदस्यों का विचार यह था कि परिषद् के अध्यक्ष का ब्रिटिश प्रैस परिषद के साथ बातचीत करने के लिए इंग्लैण्ड जाना अभी ठीक नहीं होगा।

2. फिर भी ब्रिटिश हाई कमीशन नई दिल्ली ने श्री जे० आर० मधोलकर को ब्रिटेन की सरकार के अतिथि के रूप में 10 दिन इंग्लैण्ड में ठहरने के लिए आमन्त्रण दिया। इस अवधि में राष्ट्रमंडल कार्यालय ने उनके ब्रिटिश प्रैस परिषद आदि के साथ बातचीत करने की व्यवस्था की थी। श्री मधोलकर ने यह यात्रा अपने खर्च पर की और उन्होंने इस प्रयोजन के लिए परिषद की धन-राशि को खर्च नहीं किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह यह महसूस करते थे कि उनके लिए ब्रिटिश प्रैस परिषद की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है जिससे भारतीय परिषद के मामले के साथ निपटने में सहायता मिलेगी। यह दौरा निजी था अत: इसमें परिषद के निर्णय के उल्लंघन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

3. श्री मधोलकर को 105 पौंड के मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा दी गयी थी, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	पौंड
(क) ब्रिटिश सरकार के निमंत्रण की अवधि के दौरान प्रासंगिक खर्च करने के लिए।	15
(ख) उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में उक्त अवधि से अधिक ठहरने हेतु 5 दिन के लिए 10 पौंड प्रतिदिन के हिसाब से खर्च।	50
(ग) डाक्टरी परीक्षा के लिए खर्च (यह खर्च एक विशेषज्ञ द्वारा जारी किए गए एक प्रमाण-पत्र के आधार पर दिया गया था। जिसमें लिखा था कि यह परीक्षा आवश्यक है)	40
	105

4. श्री जे० आर० मधोलकर ने परिषद के अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया है। केन्द्रीय सरकार ने 1 मार्च, 1968 से उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है।

दिल्ली के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा

*1724. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाने के बारे में योजना आयोग और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी परिषद् के बीच अब तक कोई विचार-विमर्श हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली की योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व दिल्ली प्रशासन के नेताओं के साथ ऐसा विचार-विमर्श करने का है। ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

विज्ञापन प्रसारणों के सम्बन्ध में संहिता

*1725. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञापन प्रसारणों के सम्बन्ध में कोई आचार संहिता बनाई गई है; और

(ख) यदि हां तो, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है जिसमें आकाशवाणी की वाणिज्यिक प्रसारण सेवा सम्बन्धी आचार संहिता की मुख्य मुख्य बातें दी हुई हैं।

विवरण

आकाशवाणी की व्यापारिक प्रसारण सेवा के सम्बन्ध में बनाई गई आचार संहिता के मुख्य उपबन्ध

(1) विज्ञापन देश के कानून के अनुसार होने चाहिए। जनता की नैतिकता शिष्टता तथा धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध नहीं होने चाहिएं;

(2) विज्ञापनों में किसी वंश, जाति, रंग, सम्प्रदाय या राष्ट्रीयता का उपहास नहीं किया जाना चाहिए उनमें भारतीय संविधान के उद्देश्यों सिद्धान्तों या उपबन्धों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए;

(3) विज्ञापनों में लोगों को जुर्म करने, गड़बड़ी करने, हिंसा या कानून भंग करने या विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बिगाड़ने के लिए उत्तेजित नहीं करना चाहिए। विज्ञापनों में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें आपराधिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहन मिले। इसी प्रकार उन्हें राष्ट्र चिन्ह, या संविधान के किसी भाग या किसी राष्ट्रीय नेता अथवा सरकार के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए;

(4) विज्ञापनों में सच्चाई होनी चाहिए तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए और लक्षार्थ तथा भूलों के माध्यम से जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए;

(5) व्यापारिक प्रसारण तथा दूरदर्शन के कार्यों के सम्बन्ध में आकाशवाणी के महा-निदेशक को भारतीय विज्ञापन परिषद द्वारा जारी की गयी 'भारत में विज्ञापन के लिए नियमों की संहिता, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं, के अनुसार कार्य करना होगा;

विज्ञापन देने वालों को सामान्य जनता की अनभिज्ञता या अंधविश्वास से लाभ उठाने से रोकने के लिए संहिता में विशेष उपबन्ध रखे गए हैं। बच्चों के विज्ञापन-कार्यक्रमों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि माता-पिता अथवा अध्यापक वर्ग के अधिकारों में किसी प्रकार की कमी न हो।

हिमालय के अंचल में बसे राज्यों का सम्मेलन

*1726. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपसी हित के मामलों पर चर्चा करने के लिए हिमालय के अंचल में बसे मिज राज्यों का सम्मेलन बुलाने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन कब होने की सम्भावना है और इस सम्मेलन की अस्थायी कार्यसूची क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या चीन की भारत के प्रति बढ़ती जा रही शत्रुता को दृष्टि में रखते हुए सरकार हिमाचल के अंचल में बसे मिज पड़ोसी राज्यों के निकट परामर्श से काम करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) तक : माननीय सदस्य ने जिस तरह के सम्मेलन का सुझाव दिया है, सरकार उस तरह के सम्मेलन को बुलाना आवश्यक नहीं समझती। इस तरह के सम्मेलन से जो उद्देश्य पूरा हो सकता है वह निरन्तर निकट और घनिष्ट संपर्क तथा सलाह मशवरा करके भी पूरा हो जाता है और उच्चतर स्तर पर एक-दूसरे के यहां आ जाकर इसे और मजबूत करते रहते हैं।

भारत-बर्मा सीमा आयोग का प्रतिवेदन

*1727. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** :
श्री स्वेल :

क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-बर्मा सीमा आयोग का प्रतिवेदन महा-सवक्षकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सीमा का रेखांकन कब आरंभ होने की आशा है; और

(घ) कितना क्षेत्र बर्मा को जाने की सम्भावना और इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग): यह आवश्यक नहीं कि सीमा आयोग की रिपोर्ट महा-सर्वेक्षकों द्वारा अनुमोदित की ही जाए। अपनी पहली बैठक में सीमा आयोग ने दोनों प्रतिनिधि मंडलों के सर्वेक्षण अधिकारियों को यह काम सौंपा था कि संबद्ध तकनीकी मामलों की जांच करके भारत-बर्मा सीमा को अंकित करने के बारे में प्रस्ताव संयुक्त सीमा आयोग के विचारार्थ उसके सम्मुख पेश करें। दूसरी बैठक में सीमा आयोग ने मोटे तौर पर वे सभी सिफ़ारिशें अनुमोदित कर दीं जो दोनों देशों के महा सर्वेक्षकों ने उसके सामने रखी थीं। इस स्थिति में सभी सम्बद्ध ब्यौरा बताना सम्भव न होगा। उम्मीद की जाती है कि नक्शों से संबद्ध तथा कतिपय दूसरे अध्ययन पूरे हो जाने पर वास्तविक सीमांकन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और आगामी सर्दियों तक सीमांकन-कार्य शुरू हो जाने की प्रत्याशा की जाती हैं।

(घ) कोई भारतीय प्रदेश बर्मा के पास नहीं जाएगा। इस आयोग का कार्य-सीमा का वास्तविक अंकन करना है जिस पर पहले ही सहमति हो चुकी है और जो उस सीमा क़रार में चित्रित है जिसपर पिछले वर्ष दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे।

ir U. N. Publications

*1728 **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether in 1960 Government raised in U.N.O. the issue of Jammu and Kashmir having been excluded from Indian territory in U.N.O. records;

(b) whether it is also a fact that the United Nations Secretariat has not so far taken any action in this regard;

(c) if so, the steps recently taken by Government to seek a clarification in this regard?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): (a) to (c). The attention of the Hon'ble Member is invited to Starred Question No. 252 and No. 58 answered in the Lok Sabha respectively on November 14, 1966 and February 14, 1968. Government have no further information to add, except to state that our Permanent Mission in New York is in touch with the U.N. Secretariat and has urged them to expedite the necessary corrective action.

नेपाली सैनिकों की सेवा-मुक्ति

*1729. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत से प्रशिक्षित नेपाली सैनिक सेवा मक्त किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इन नेपालियों को भारतीय सेना में नियुक्त करने की कोई योजना है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि गोरखा नेपाली नागरिकों को, 1947 में भारत, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए त्रिपक्षीय करार के अन्तर्गत भारतीय सेना में भरती किया जा सकता है इसलिए उनमें से ऐसे व्यक्तियों को अपने यहां लेने के लिए कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं जिन्हें यूनाइटेड किंगडम को सरकार छोड़ दे ।

लंदन में एक रेलगाड़ी में एक एशियाई महिला के धड़ का पाया जाना

*1731. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 4 अप्रैल, 1968 को लन्दन से वोलवेरहैम्पटन के निड्डस शहर के लिए चलने वाली एक रेलगाड़ी में एक रक्तरंजित सूटकेस में एक एशियाई महिला का धड़ पाया गया जिसे 18 वर्ष से 30 वर्ष की एक पंजाबी सिख स्त्री समझा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि सुनियोजित तरीके से की गई इस निर्मम हत्या से यह संकेत मिलता है कि इस लड़की का वध अश्वेत लड़कियों, विशेषकर भारतीय अथवा पाकिस्तानी लड़कियों, के प्रति घोर घृणा का एक अंग हैं; और

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से इस बारे में कोई पूछताछ की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). सरकार ने इस आशय की खबर अखबार में देखी है और लन्दन-स्थित अपने हाई कमीशन से विस्तृत सूचना मांगी है ।

भारत के बारे में पेरिस में टेलीविजन प्रसारण

*1732. **श्री वे० कु० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार को पता है कि फरवरी, 1968 में पेरिस में टेलीविजन प्रसारण में भारत को सापों, बन्दरों तथा भिखारियों के देश के रूप में दिखाया गया था; और

(ख) क्या इस संबंध में भारतीय विदेश कार्यालय ने कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). क्तिोल दगोलिश द्वारा भारत में ली गई एक लघु फिल्म फरवरी 1968 में "ट्विून आफ़ दा एक्सप्लोरर" नामक क्रम के अन्तर्गत टेलीविज़न पर दिखाई गई थी । इसमें टोडाओं का जीवन और तौर-तरीके चित्रित किए गए थे और कतिपय भूतपूर्व रजवाड़ों की झांकियां पेश की गई थीं । हमारी सूचना के अनुसार, न तो इस फिल्म में और न इसकी टिप्पणिका में कोई भारत-विरोधी भावना थी । परिणामस्वरूप, कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

रूस के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत

*1733. **श्री देवकीनन्दन पटौदिया : श्री दामानी :**
श्री बी० नरसिम्हा राव : श्री हिम्मत सिंहका :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रूस के प्रधान मन्त्री के साथ हाल में बातचीत हुई थी;

(ख) किस प्रकार की बातचीत हुई;

(ग) क्या रूस के प्रधान मन्त्री ने भारत और पाकिस्तान के विवादों को सुलझाने के लिए कोई सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). मास्को लौटते समय सोवियत प्रधान मन्त्री थोड़े समय के लिए जब दिल्ली में रुके थे उस समय उनके साथ आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श हुआ था। इस तरह की बातचीत का ब्यौरा बताना सामान्य सुस्थापित व्यवहार के प्रतिकूल होगा।

आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्ट

*1734. **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 को आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में कुल कितने स्टाफ़ आर्टिस्ट थ;

(ख) क्या विभिन्न भारतीय भाषाओं के समाचार वाचकों तथा एनाउन्सरों को अंग्रेजी भाषा के समाचार वाचकों तथा एनाउन्सरों के बराबर उपलब्धियां मिलती हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनकी भर्ती तथा स्थायीकरण का सामान्य माध्यम (चैनल) क्या है और उनके ठेके की अधिकतम अवधि कितनी होती है; और

(घ) क्या सरकार उन्हें अंशदायी पेंशन योजना में शामिल करने का विचार कर रही है और यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क): 2,461।

(ख) जी, हां। अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के एनाउन्सरों और समाचार वाचकों के फ़ीस के वेतनमान एक समान हैं।

(ग) रेडियो पर घोषणाओं और आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों के सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर विज्ञापन लगाने के अतिरिक्त भर्ती, समाचार-पत्रों और आकाशवाणी के

कार्यक्रम पत्रिकाओं में विज्ञापन देने के द्वारा की जाती है। एनाउन्सर तथा समाचार वाचक स्टाफ़ आर्टिस्टों की श्रेणी में आते हैं। नियमित सेवा के स्टाफ़ आर्टिस्टों से अभी तक 5 वर्ष का करार किया गया है जिसकी अवधि फ़िर से बढ़ाई जा सकती है।

(घ) जी नहीं। स्टाफ़ आर्टिस्ट करार के आधार पर रखे जा रहे हैं। वे अंशदायी भविष्य निर्वाह निधि (कन्ट्री ब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड) के सदस्य बन सकते हैं। परन्तु अंशदायी पेंशन योजना के नहीं।

केरल में चीनी फिल्मों का प्रदर्शन

*1735. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन-निर्मित फ़िल्में केरल राज्य में दिखाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन फिल्मों का विषय क्या है;

(ग) ये फिल्में किस ने सप्लाई की हैं तथा किस को;

(घ) क्या ये फ़िल्में केन्द्रीय सरकार की जानकारी और अनुमति से दिखाई जाती हैं; और

(ङ) क्या ये फिल्में विशेष दर्शकों को विशेष उद्देश्य से दिखाई जाती हैं और यदि हां, तो वे दर्शक कौन हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) (क) से (ङ). सरकार के पास अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि चीन निर्मित फिल्में केरल में दिखाई जा रही हैं। तथापि, उस राज्य में, अप्रमाणित फिल्मों को दिखाये जाने के बारे में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। वर्तमान कानून के अन्तर्गत कोई भी फिल्म तब तक प्रदर्शित नहीं की जा सकती जब तक वह केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रमाणित न हो जाए या उसको इस प्रकार के प्रमाण पत्र के लिये विशेष छूट न मिल जाए। यहां तक कि राजनयिक बैग द्वारा आयातित फिल्में भी दूतावास की सीमा के बाहर तब तक प्रदर्शित नहीं की जा सकती जब तक कानून के अन्तर्गत प्रमाणित न हो जाए या उसको प्रदर्शित करने की छूट न मिल जाए।

Life Pension to Widows of Army Officers

*1736. **Shri Y. S. Kushwah.** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have considered the question of providing life pension to the widows of the army officers who laid down their lives;

(b) if so, the details of the decision taken thereon; and

(c) whether the said decision would be implemented in the case of the widows of the Jawans also who laid down their lives?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) and (c). Widows of officers of the Defence Services and the Jawans who are killed in action or whose death is regarded as attributable to or aggravated by service in the Armed Forces are granted family pensions. The grant of family pension is continued throughout the life of the widow, unless she proves unworthy of it or remarries; in the

case of widows of the Jawans family pension is continued, even if the widow remarries the real brother of her deceased husband.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library See. No. LT-1224/68]

विद्रोही नागाओं को चीन द्वारा सप्लाई किये गये हथियार

1736. क—श्री समर गुह : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन ने विद्रोही नागाओं को कौन-कौन से और कितने-कितने हथियार सप्लाई किये हैं;

(ख) क्या इन चीनी हथियारों में असामान्य उच्च शक्ति वाले बम और लैण्ड राकेट भी शामिल हैं ;

(ग) क्या चीन ने ये चीनी हथियार सीधे सप्लाई किये हैं तथा पाकिस्तान के माध्यम से भी भेजे हैं; और

(घ) क्या चीन और पूर्वी पाकिस्तान में छापामार युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 2000 से अधिक नागा नागालैण्ड वापिस आ गये हैं ताकि वे को उन सप्लाई किये नवीनतम चीनी हथियारों को चला सकें ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). माननीय सदस्यों ने जो सूचना मांगी है वह चूंकि वर्गीकृत प्रकृति की है इसलिए उसे बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। माननीय सदस्य का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या 1146 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसका उत्तर 10 अप्रैल, 1968 को लोक-सभा में दिया गया था।

Defence Research and Development Institutions

***10069. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of Defence Research and Development Institutions established in view of the defence requirements of the country;

(b) the number of Defence Services personnel, Commissioned and non-Commissioned engaged therein; and

(c) the number of Defence Research and Development Institutions proposed to be established in 1968?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) 28 Research & Development Establishments/Laboratories (including two functional groups at Research and Development Headquarters), 3 Field Laboratories, and 2 Agricultural Research Farms have been established under the Defence Research and Development Organisation. . .

(b) Commissioned Officer 238

Non-Commissioned personnel 405

(c) As a result of bifurcation of research, development and inspection functions in the field of Clothing and General Stores, a Research and Development Laboratory will be added to the R&D side with the existing staff and equipment. A new Naval Scientific and Technological Laboratory is expected to be set up in 1968-69.

प्रकाशन प्रभाग के पास बिना बिक्री पुस्तकों का स्टाक

10071. श्री मुरासोली मार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से बिना बिक्री पुस्तकों का इस समय प्रकाशन प्रभाग के पास जो स्टाक है उसका नकदी मूल्य आज कितना है;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा बिना बिक्री ऐसी पुस्तकों के स्टाक का नकदी मूल्य कितना है;

(ग) यह निर्णय किस अधिकारी द्वारा किया जाता है कि विभिन्न मंत्रालयों के प्रत्येक प्रकाशन की कितनी प्रतियां प्रकाशित की जायें तथा किस आधार पर पुस्तकों की मांग का अनुमान लगाया जाता है;

(घ) क्या सरकार भविष्य में कम संख्या में इतनी प्रतियां प्रकाशित करायेगी;

(ङ) बिना बिक्री इन पुस्तकों को बेचने के लिये बनाई गई योजना का ब्योरा क्या है; और

(च) इनकी बिक्री से कितना नकद मूल्य प्राप्त होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी।

(ग) जब प्रकाशन जनता के लिये बिक्री के लिये होते हैं, तो 5,000 प्रतियों तक को छापने के आर्डर का निर्णय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए निदेशक, प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है :—

(1) क्या प्रस्तावित प्रकाशन की जनता में सीमित या बड़ी मांग है,

(2) इसकी महत्ता, शैक्षणिक तथा सूचना प्रद उपयोगिता, तथा

(3) भूतकाल में ऐसे ही प्रकाशन की बिक्री के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसकी बिक्री का मूल्यांकन 5,000 प्रतियों से अधिक प्रतियां छापने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

(घ) प्रभाग पहले ही कम से कम प्रतियों को छापने का आर्डर देता है जो कि साधारणतया 3,000 प्रतियों की छपाई का होता है। कई मामलों में प्रकाशनों को छापने का आर्डर इससे भी कम निर्धारित किया जाता है अर्थात् 1,500 से 2,000 प्रतियों तक। उन मामलों में पुस्तकों की छपाई का आर्डर अधिक संख्या में निर्धारित किया जाता है जब कि प्रभाग की राय में प्रकाशन की अधिक बिक्री की संभावना हो।

(ङ) और (च) प्रभाग के प्रकाशनों की बिक्री की व्यवस्था व्यापारिक आधार पर, व्यापारिक चैनलों जिसमें लगभग 3000 पुस्तक बिक्रेता हैं तथा भारत और विदेश में बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थाओं और पुस्तकालयों को सीधे भेज कर की जाती है। बिना बिक्री पुस्तकें अधिकतर वे पुस्तकें होती हैं जिनका स्थायी महत्व है जो धीरे-धीरे बिकती हैं परन्तु जिनकी मांग देर तक रहने वाली है। इन पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने का

बराबर प्रयत्न किया जा रहा है । स्टाक में में बची पुस्तकों की बिक्री से होने वाली आय का पहले से अन्दाज़ा लगाना संभव नहीं ।

भारतीयों के ताइवान जाने पर पाबंदियां

10073. श्री अदिचन : क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जो भारतीय व्यापार के लिये अथवा किन्हीं अन्य उद्देश्यों से ताइवान जाना चाहते हैं, उन पर गत कुछ महीनों से कड़ी पाबन्दियां लगाई जा रही हैं तथा उन्हें वीसा प्राप्त करने के लिये बहुत सी कठिन औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो नये नियमों के अन्तर्गत भारतीयों पर क्या-क्या नई पाबन्दियां लगाई गई हैं; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है, कि भारतीयों को विशेषकर जिन के ताइवान में व्यापारिक हित हैं, उस देश में जाने के लिये वीसा प्राप्त करने की समुचित सुविधायें दी जायें ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). ताइवान जाने के इच्छुक कुछ भारतीय राष्ट्रिकों ने हांगकांग स्थित हमारे कमीशन को बताया है कि हांगकांग में ताइवान के कौंसली प्रतिनिधि ने उनसे कहा है कि वे ताइवान के लिए अपने पासपोर्ट पर पृष्ठांकन कराएं अथवा भारतीय कौंसली कार्यालय से प्राप्त ऐसा पत्र पेश करें जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि भारतीय पासपोर्टधारी ताइवान जा रहा है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, ताइवान जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों और ताइवान से भारत आने वाले लोगों के हलफनामे पेश करने पर वीजा दिए जाते हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप है। हम वर्तमान व्यवहार का अनुसरण कर रहे हैं और हमें इसकी जानकारी नहीं है कि किसी भारतीय राष्ट्रिक को ताइवान की यात्रा करने के लिए वीजा न दिया गया हो। इसलिए हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम वर्तमान व्यवहार को बदलें, यह व्यवहार पारस्परिक है और संतोषजनक नीति से चलता आ रहा है।

उड़ीसा में मोनाजाइट का पाया जाना

10074. श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के पूर्वी तट पर मोनाज़ाइट पाया गया है;

(ख) इस निक्षेप की औद्योगिक क्षमता कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन निक्षेपों को निकालने का है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) उड़ीसा के समुद्र तट के सर्वेक्षण द्वारा, जो अभी जारी हैं, यह पता लगा कि वहां की समुद्र तटीय रेत में मोनाज़ाइट विद्यमान है ।

(ख) इन भंडारों में मोनाज़ाइट की मात्रा का अनुमान लगाने का कार्य अभी शेष है।

(ग) इस बारे में अभी कुछ भी कह सकना सम्भव नहीं है।

Foreign Spies

No.10075. Shri Kanwar Lal Gupta:
Shri T. P. Shah:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have sent any protest note during the last three years to some foreign countries in connection with the activities of foreign spies and provision of funds to Indian and Indian institutions by foreign agencies;

(b) if so, the names of such countries and the reasons for which such notes were sent to them; and

(c) the replies received from them in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning, and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

आज़ाद हिन्द सरकार का भूतपूर्व मुख्यालय

10076. श्री समर गुह : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सम्बद्ध सरकारों की सहायता से आजाद हिन्द सरकार का भूतपूर्व मुख्यालय तथा सिंगापुर और रंगून में नेताजी के निवास स्थान को खरीदने तथा उनको स्वतंत्रता आंदोलन के स्मारकों के रूप में सुरक्षित रखने का सरकार का विचार है?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी) : जी नहीं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के महानिदेशक

10077. श्री जुगल मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा महानिदेशक का पद, वेतन तथा कर्तव्य क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : सुरक्षा महानिदेशक के पद का दर्जा क्या हो इस विषय में अभी कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं। लेकिन उन्हें विभाग प्रमुख घोषित कर दिया गया है। अधिकारी का वेतन 3250.00 रु० (स्थिर) है। सुरक्षा महानिदेशक कुछ सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा योजनाओं के लिये जिम्मेदार है।

केन्द्रीय गुप्तचर विभाग

10078. श्री जुगल मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को सीधे मंत्रिमन्डल सचिवालय अथवा प्रधान मंत्री के सचिवालय को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : जी नहीं।

इल्मेनाइट के निर्यात में कमी

10079. श्री जुगल मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में केरल से विदेशों को इल्मेनाइट का निर्यात कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना कम हुआ है और उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

10080. श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों की ओर से कोई ऐसा ब्योरा मिला है कि विभिन्न क्षेत्रों में उनको क्या-क्या संसाधन उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार ने उस आधार पर अथवा स्वतंत्र रूप से विभिन्न राज्यों के औद्योगिक विकास के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) चौथी योजना के व्यापक मार्ग-निर्धारण का निश्चय होने के बाद, औद्योगिक विकास के लिए मार्ग-दर्शक सिद्धांत तैयार किये जायेंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दृश्य-श्रव्य प्रचार विभाग की प्रदर्शन शाखा का पुनर्गठन

10081. श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दृश्य-श्रव्य प्रचार विभाग की प्रदर्शन शाखा का 1967 में पुनर्गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किस योजना के अन्तगत और प्रत्येक वर्ष इससे कितना वित्तीय भार पड़ता है ;

(ग) कितने अधिकारियों को वास्तव में लाभ पहुंचता है और प्रत्येक को क्या लाभ पहुंचा है;

(घ) क्या सरकार उसी क्षेत्रीय अधिकारी को 20 प्रतिशत अधिक वेतन दे रही है और उनका कैसे चयन किया गया है; और

(ङ) प्रति वर्ष 20 प्रतिशत अधिक वेतन देने से सरकार को कितनी हानि हो रही है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). जी, हां। वित्त मंत्रालय के स्टाफ इंसपेक्शन यूनिट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये ब्रांच को पुनर्गठित करने के लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ।

(ग) पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप प्रदर्शनी शाखा के 27 अधिकारी अतिरिक्त उपलब्धियों के हकदार हुए। इसका विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1225/68]**

(घ) और (ङ). जी, हां। स्टाफ इंसपेक्शन यूनिट की सिफारिश के अनुसार 350-800 रुपये के वेतनमान में प्रादेशिक प्रदर्शनी अधिकारियों के पद, जो केन्द्रीय सूचना सेवा में सम्मिलित थे, समाप्त कर दिये गये और 400–900 रुपये के वेतन मान में प्रदर्शनी इंसपेक्टर के दो पद बनाये गये। जब तक इंस्पेक्टरों के इन पदों की भर्ती के नियमों को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक तदर्थ आधार पर, पहले काम कर रहे 2 प्रादेशिक प्रदर्शनी अधिकारियों को अनुभव और रिकार्ड के आधार पर इंसपेक्टरों के पद पर रखा गया है। इन 2 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर 3,500 रुपये प्रतिवर्ष व्यय होगा।

नेफा में विमानों में सामान गिराने वाले उपकरणों का प्रयोग

10082. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथन्** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में सामान गिराने वाले प्रयुक्त उपकरणों का मूल्य कितना है ;

(ख) इनमें से कितने उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है और शेष उपकरणों का प्रयोग न करने के क्या कारण है; और

(ग) फालतू उपकरणों की मात्रा तथा मूल्य कितना है और सरकार का विचार इन उपकरणों का किस प्रकार उपयोग करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सप्लाई गिराने के साज सामान के भण्डार के लिए उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी में रक्षा मंत्रालय के कोई डिपू/अग्रिम आर्डनेन्स डिपु नहीं है। उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी प्रशासन के पास सप्लाई गिराने के साज सामान सम्बन्धी विस्तार सहज प्राप्य नहीं है।

शक्तिशाली ट्रांसमीटर

10083. **श्री बेदव्रत बरुआ** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमावर्ती क्षेत्र में रेडियो प्रसारण का समय और क्षेत्र अधिक बढ़ाने के लिए जिन दो

शक्तिशाली ट्रांसमीटरों को वर्तमान वर्ष में चालु किये जाने की संभावना है उनकी क्षमता कितनी होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : जलंधर के ट्रांसमीटर के अतिरिक्त, जो पहले ही चालु है, दो उच्च शक्ति के मीडियम वेव ट्रांसमीटर-एक कलकत्ता में और दूसरा डिब्रूगढ़ में चालू साल में चालु होने की आशा है। पश्चिम बंगाल, आसाम नेफा और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसारण देने के लिए उनकी क्षमता पर्याप्त है।

Atomic Power Plant in Uttar Pradesh

10084. Shri O. P. Tyagi: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up an atomic power plant in Uttar Pradesh;

(b) if so, the time by which the said plant would be set up; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) The Atomic Energy Commission is currently making feasibility studies for new atomic power stations in various regions in the country, including Uttar Pradesh;

(b) It is not possible to indicate the time at this stage.

(c) Does not arise.

मद्रास के मेले में पश्चिमी जर्मनी द्वारा प्रचार सामग्री का वितरण

10086. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व जर्मनी के हित के प्रतिकूल कुछ महीने पहले मद्रास में हुई प्रदर्शनी मेले में पश्चिम जर्मनी द्वारा प्रचार सामग्री के वितरण की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस मामले की पूर्व जानकारी थी ;

(ग) यदि नहीं, तो यह बात सरकार की जानकारी में कब आई ;

(घ) क्या पश्चिम जर्मनी का भारत में इस प्रकार की सामग्री परिचालित करने का काम उचित है; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग), (घ) और (ङ). सरकार का ध्यान कतिपय प्रचार सामग्री की ओर आकर्षित किया गया है जो कि जर्मन संघीय गणराज्य के प्राधिकारीगण मद्रास के व्यापार एवं उद्योग मेले में अपने पंडाल में वितरित कर रहे हैं। इसमें अन्य चीजों के साथ-साथ युरोप के कुछ ऐसे नक्शे भी हैं जो कि मौजूदा सीमाओं से मेल नहीं खाते सरकार को इस बारे में पहले मालूम नहीं था लेकिन ज्यों ही इस सामग्री की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया गया त्यों ही उसने जर्मन संघीय गणराज्य के नई दिल्ली स्थित राजदूतावास का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। बाद में इस राजदूतावास ने भारत सरकार को सूचित किया कि सम्बद्ध प्रचार सामग्री का वितरण बन्द कर दिया गया है।

अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की प्रतिरक्षा

10087. **श्री गणेश** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की नौसेना की गश्त से संतुष्ट है;

(ख) वर्ष 1967 में तथा मार्च, 1968 तक नौसेना की गश्ती नावों ने कितनी बार उन द्वीप समूहों की गश्तें लगाई; और

(ग) उपरोक्त अवधि में नारकोंडम, वृहत नीकोबार तथा लैंडफाल द्वीपों की कितनी बार नौसैनिक गश्तें लगाई गईं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : नारकोंडम, वृहत निकोबार और लैन्डफाल समेत अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की नौसेना को प्राप्य संसाधनों के आधार पर गश्त की जाती है। ऐसी गश्तों की आवृत्ति प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

नेपाल के समाचारपत्रों द्वारा भारत के विरुद्ध आरोप

10088. श्री देवव्रत बरुआ : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल के समाचारपत्रों ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि वह पड़ोसी उप-महाद्वीपों के साथ व्यापार का विस्तार करने के नेपाल के प्रयत्नों में नेपाल को सहयोग नहीं दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस आरोप का खंडन करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) नेपाल के कुछ अखबारों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं।

(ख) हमारे राजदूतावास ने अखबारों को विस्तृत वक्तव्य देकर यह समझाया है कि यह आरोप निराधार हैं। हमारे राजदूतावास नें 10 अप्रैल 1968 को जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1236/68]**

Staff of Planning Office at Gorakhpur

10089. Shri Molahu Prasad: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the total number of employees working in the Planning Office Gorakhpur, Uttar Pradesh, categorywise; and

(b) the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other castes among them, separately?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs.(Shrimati Indira Gandhi): (a) The Planning Commission has at present no Office in Gorakhpur, Uttar Pradesh.

(b) Does not arise.

Indian High Commission in London

No. 10090. Shri Madhu Limaye: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that most of the employees in the Indian High Commission in U.K. have been working there prior to India achieving independence and their service-conditions are governed by "British Treasury Rules" and not by the Rules of the Indian Civil Service, whereas the new employees who have gone there from India come within the purview of the Rules of the Indian Service;

(b) whether it is a fact that because of these two types of rules, the employees coming within the purview of the British Treasury Rules enjoy more benefits and facilities than the other employees;

(c) whether it is also a fact that the Indian employees who have accepted the citizenship of England and who come within the purview of the British Treasury Rules would be paid pension in sterling; and

(d) if so, the reasons for having the two types of rules there?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). It is a fact that many employees in the Indian High Commission in the U.K. have been working there with the Government of India prior to independence. Suhch employees have been governed by the terms and conditions of service based on those obtaining, from time to time, under the British Treasury Rules. Apart from these, there are also India-based officers and staff who are totally governed by Indian service rules. There is a further category of local employees, in office grades, who are governed by a scheme known as the London Local Cadre Scheme with Rupee scales of pay and allowances which was introduced, essentially on considerations of economy, with effect from 1-4-1963. It is correct that those governed by conditions based on the British Treasury Rules enjoy more benefits and facilities than those in the London Local Cadre in the Rupee scales. The future of the latter is under examination.

(c) The payment of pension to local staff is not based on nationality. All local staff are paid retirement benefits in pounds sterling, if admissible, irrespective of their nationality.

(d) As explained above, there are three categories of employees in the High Commission and this was inevitable in the light of the changes that have taken place.

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में गुप्त विचार-विमर्श की कार्यवाही की जासूसी

10091. श्री मधु लिमये : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "दिल्ली मार्च 14" के साथ 15 मार्च 1968 के लन्दन 'टाइम्स' में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि पश्चिम के औद्योगिक देशों के बीच होने वाले गुप्त विचार-विमर्श की अविकसित देशों द्वारा जासूसी किये जाने के प्रयत्न की आशंका के कारण संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में पर्दे के पीछे एक गम्भीर राजनयिक विवाद उत्पन्न हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक विरोध व्यक्त किया गया है, और

(ग) उपरोक्त समाचार तथा उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित विरोध के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) लन्दन टाइम्स की यह खबर तथ्यत: गलत थी और अंकटाड के सचिवालय ने प्रेस नोट नं० 6 दिनांक 18-3-1968 के जरिये, जिसकी प्रति संलग्न है, इस बात को अस्वीकार किया है कि किसी प्रकार की जासूसी की गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–1226/68]

(ग) सरकार यह महसूस करती है कि यह मामला सम्बद्ध समाचार-पत्र और अंकटाड सचिवालय के बीच का है और इस सचिवालय की अस्वीकृति को ध्यान में रखते हुए कोई और कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा गया।

परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने की संधि के बारे में यूगोस्लाविया का दृष्टिकोण

10092. श्री शिव चन्द्र झा :

श्री वीवीकन :

श्री अंबचेजियान :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने की संधि के बारे में युगोस्लाविया के रवैये के सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री की सिक्किम तथा भूटान की यात्रा

10093. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री का विचार सिक्किम तथा भूटान की यात्रा पर जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या विशेष कारण हैं विशेषत: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल में उप-प्रधान मंत्री वहां गये थे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी हां। प्रधान मंत्री सिक्किम और भूटान के शासकों के निमंत्रण पर वहां की सद्भावना यात्रा पर गई थी और 3 से 6 मई तक वहां ठहरी थीं।

प्रेस परिषद् के अध्यक्ष का त्यागपत्र

10094. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस परिषद् के अध्यक्ष ने अपना त्याग-पत्र प्रधान मंत्री को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने सरकार के विरुद्ध क्या आरोप लगाये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अध्यक्ष प्रेस परिषद् के सम्बन्ध में संसत्सदस्यों की सलाहकार समिति की स्थापना किये जाने पर आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) (क) जी, हां।

(ख) से (घ). श्री जी० आर० मधोलकर ने प्रधान मंत्री को अपने पत्र में, उस परिस्थितियों जिन में प्रेस परिषद पर सलाहकार समिति बनाई गई तथा उसके उद्देश्यों और रचना के बारे में टिप्पणी की। सरकार ने श्री मधोलकर का त्यागपत्र 1 मार्च, 1968 से स्वीकार कर लिया है। सलाहकार समिति की अगली बैठक में उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिये आमंत्रित किया गया है।

भारत के आदिवासियों के बारे में वृत्त चित्र

10095. श्री कार्तिक ओराओ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी वृत्त चित्र तैयार किया है, जिसमें भारत में आदिवासियों विशेषकर उनका धर्म, उनकी जीवन पद्धति, उनकी रसम और रिवाज, उनकी आदतें उनके नाच और गाने तथा जिन कठिन परिस्थितियों में वे काम कर रहे हैं, वे दर्शाये गये हों, ताकि आम लोगों को, जो उनसे अनभिज्ञ हैं, उनके बारे में जानकारी दी जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। एक विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है जिसमें उन फ़िल्मों के नाम दिए हुए हैं जो फ़िल्म प्रभाग द्वारा अब तक बनाई गई हैं या बनाई जा रही हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1227/68]**

(ख) सवाल नहीं उठता।

फिल्म उद्योग में आदिवासी

10096. श्री कार्तिक ओराओ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़िल्म उद्योग में प्रशिक्षण लेने वाले युवक आदिवासियों को कुछ छात्रवृत्तियां देने का सरकार का विचार है ताकि फ़िल्म उद्योग के सम्बन्ध में उन्हें अन्य उन्नत समुदायों के बराबर के स्तर पर लाया जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): भारतीय फ़िल्म संस्थान में कुछ छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है जो जाति, धर्म और सम्प्रदाय का विचार किए बिना योग्यता के आधार पर की जाती है। आदिवासी उम्मीदवारों के लिए विशेष आरक्षण करने का कोई इरादा नहीं है।

Tours of Director-General, A.I.R.

10097. Shri Shashibhushan Bajpai: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of times the Director-General, All India Radio went on foreign tour ever since he took charge of his office;

(b) whether he has ever toured Nagaland, Ladakh and Barmer border areas during the said period; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) Twelve times-twice on official tours in his capacity as Director General, All India Radio, and the rest to attend international conferences, etc. in his personal capacity.

(b) No. Sir.

(c) Director General has to tour the Stations/Offices of All India Radio if there are pressing circumstances necessitating his personal visit. Normally periodical tours are undertaken by other Senior Officers.

Propaganda Officers in Border Areas

10098. Shri Shashibhusan Bajpai: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of officers who have been posted on the border areas for propaganda work and the number of those among them who have applied for transfers to the Ministry; and

(b) the nature of special incentives given by Government to those persons who have been doing good propaganda work on the border areas through the A.I.R. ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) Four officers and 64 staff members are working in border areas under the Field Publicity Organisation and six officers 25 staff and 207 artistes under the Song and Drama Division. There are no posts for border publicity work in A.I.R. Requests for transfer were received from 19 persons working in the Field Publicity Organisation during the last 12 months. In so far as the Song and Drama Division is concerned, no request for transfer from the border areas has been received.

(b) Central Government have already sanctioned varying scale of special allowances (including hill allowance where applicable) for their staff working in some of the border areas.

Deputy and Assistant Directors in A.I.R.

10099. Shri Shashibhushan Bajpai: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of Officers of the status of Deputy Director in A.I.R. who are working for the propagation and spread of Indian languages; and

(b) the particulars of experts of Indian languages (language-wise) as are working on the post of Deputy Director and Assistant Director?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Indian Broadcasting Service

10100. Shri Shashibhushan Bajpai: Wiill the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government propose to constitute Indian Broadcasting Service on the pattern of Indian Administrative Service and Indian Police Service with a view to organising

a band of experts who may be engaged in the propogation of various programmes broadcast by the All India Radio; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) There is no such proposal under consideration at present.

(b) Does not arise.

चीनी अधिकारियों द्वारा भारत सरकार की सम्पत्ति जब्त की जाना

10101. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 4 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2876 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनियों ने ल्हासा, यातंग और गार्तोक में भारतीय सम्पत्ति को जब्त करने के क्या कारण बताये हैं और भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) भारत में चीन की सम्पत्ति का विवरण क्या है और वह कितने मूल्य की है और वह कहां स्थित है और किस कार्य के लिये उसका प्रयोग किया जाता है; और

(ग) चीनियों द्वारा जब्त की गई हमारी सम्पत्ति के बदले इस सम्पत्ति को जब्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) चीनियों ने तिब्बत में भारतीय सम्पत्ति पर कब्जा करने के कोई वाजिब कारण नहीं बताए हैं । विदेश मंत्रालय, पीकिंग द्वारा चीन-स्थित भारतीय राजदूतावास को दिए गए नोट नं० (67) लिंग यी फा त्जू नं० 193 दिनांक 2 सितम्बर 1967 की एक प्रति इसके साथ लगी है। (पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1228/68)

(ख) चीन के पास नई दिल्ली में ऐसी कई इमारतें हैं जिनका चीनी राजदूतावास के कार्यालयों और उनके कर्मचारियों के रिहायशी क्वार्टरों के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस सम्पत्ति का अब मूल्य क्या है, इसकी जानकारी नहीं है । हां 1955 में चीन सरकार को 30.595 एकड़ जमीन पट्टे पर दी गई थी; उसकी कीमत 13,76,775 रु० थी और इस पर लघुकृत भूमि किराया 12,23,800 रुपए था।

(ग) चीनी सरकार की इकतरफा और अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए सरकार ने समुचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखा है । लेकिन, वर्तमान स्थिति में यह बताना सार्वजनिक हित में न होगा कि हमारे हितों की रक्षा के लिए कौन-कौन से उपाय बरते जाएंगे।

पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय लोग

10102. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार भारत सरकार से अनुरोध कर रही है कि 60 से अधिक गूंगे, बहिरे तथा पागल मुसलमानों को, जो इस समय लाहौर में नजरबन्दी शिविर में हैं, भारतीय राष्ट्रजनों के रूप में स्वीकार करे ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के नजरबन्दी शिविरों में अधिकतर तथा कथित भारतीय नजरबन्द ऐसे मुसलमान हैं, जो कोढ़ तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें भारत को सौंप कर पाकिस्तान छुटकारा पाना चाहता है; और

(ग) इन तथाकथित भारतीय राष्ट्रजनों को भारत न आने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) पाकिस्तान सरकार ने पिछले दो वर्ष में जितने व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रिक कह कर देश प्रत्यावर्तन के लिए कहा है उनमें से 60 गूंगे, बहरे या पागल हैं। बहरहाल, पाकिस्तान सरकार ने इन व्यक्तियों को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार पर जोर नहीं दिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जिन लोगों को भारत में वापस लेने की बात कही जाती है उनके राष्ट्रीय दर्जे के बारे में सम्बद्ध राज्य सरकारों की सलाह से अच्छी तरह जांच-पड़ताल की जाती है और सिर्फ उन्हीं को भारत प्रत्यावर्तित करना स्वीकार किया जाता है जो कि भारतीय राष्ट्रिक पाए जाते हैं।

भारतीय उच्च आयोग, लंदन

10103. श्री बाबूराव पटेल : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग में 800 से अधिक कर्मचारी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके वेतनों पर प्रति वर्ष कितना खर्च आता है;

(ग) कितने कर्मचारी भारतीय हैं तथा कितने गैर-भारतीय;

(घ) क्या अब लन्दन में यह शानोशौकत तथा खर्च जारी रखना जरूरी है, जबकि विश्व की एक बड़े शक्ति के रूप में ब्रिटेन का दर्जा बहुत गिर गया है; और

(ङ) इस उच्च आयोग के खर्च में भारी कमी न की जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ग) लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या 794 है जिसमें से 557 भारतीय हैं और 237 अभारतीय।

(ख) वर्ष 1967–68 के लिए रु० 11,905,470।

(घ) और (ङ). विदेश सेवा के निरीक्षकों ने मार्च-अप्रैल में लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन का निरीक्षण करने के बाद पदों में काफी कमी करने की सिफारिश की है। कुछ किफायत पहले ही की जा चुकी है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की मौजूदा संख्या 794 है जब कि 1967 में 931 थी। सम्बन्ध मंत्रालयों के परामर्श से कर्मचारियों की संख्या में और भी कमी करने पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय प्रेस परिषद् के पास की गई शिकायतें

10104. **श्री देवकी नन्दन पटौदिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रेस परिषद् को ऐसे समाचारपत्रों के बारे में जो समाचारपत्रों द्वारा अश्लीलता या कामभावना को बढ़ावा दे रहे हैं कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कितने मामले उसके ध्यान में आए हैं।

(ख) इस समय परिषद् ऐसे कितने मामलों पर विचार कर रही है जो देश में साम्प्रदायिक भावना भड़काने से सम्बन्धित हैं;

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित समाचारपत्रों के पृथक-पृथक नाम क्या हैं ;

(घ) क्या प्रेस परिषद ने उपरोक्त मामलों में समाचार पत्रों द्वारा पालन किए जाने के लिये कोई नैतिक आचरण संहिता बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो समाचार पत्रों ने इस संहिता का कहां तक पालन किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) चार शिकायतें मिली हैं जो अश्लील या कुरुचिपूर्ण बताए गये हैं।

(ख) एक शिकायत।

(ग) : (अ) अश्लील लेख

(1) "मदर इंदिया" (दो मामले)

(2) "नया जमाना"

(3) "ब्लिट्ज़"

(ब) साम्प्रदायिक लेख

(1) "मदर इंडिया"

(घ) और (ङ). समाचार-पत्र और पत्रिकाएं अधिकांशतया एक ऐसी संहिता का अनुसरण कर रहे हैं जो लिखित रूप में तो नहीं है, परन्तु वह अभ्यास और प्रथाओं से बनी है। परिषद् ने निर्णय किया है कि वह यथा समय अपने निर्णयों पर आधारित एक नैतिक संहिता बनायेगी।

इंग्लिस्तान में भारतीय उप-उच्चायुक्त के साथ श्री फिजो की मुलाकात

10105. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा नेता श्री जेड० ए० फिजो हाल में भारतीय उप-उच्चायुक्त से लन्दन में मिले हैं तथा उन्होंने नागा समस्या के बारे में कुछ प्रस्ताव रखे हैं;

(ख) क्या वह इस समस्या पर केन्द्र के साथ भी सीधी बातचीत करना चाहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

झांसी में आकाशवाणी केन्द्र

10106. श्री स० चं० सामन्त : : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी में 20 किलोवाट क्षमता का आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के काम में कितनी प्रगति हुई है, जिसके बारे में भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री ने यह घोषणा की थी कि वह केन्द्र चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया जायेगा; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई वैकल्पिक प्रस्ताव भी हैं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). बुन्देलखण्ड के क्षेत्र का सर्वे कर लिया गया है और झांसी में एक केन्द्र स्थापित किया जाना है, और एक पर्याप्त शक्ति का ट्रांसमीटर उस क्षेत्र में लगाया जायेगा। यह चौथी पंचवर्षीय योजना के वर्तमान मसौदे में शामिल है परन्तु इनका कार्यान्वित करना साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

510 Workshop, Meerut Cantt.

10107. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the employees of 510 workshop, Meerut Cantt. do not have sufficient work and if so, the efforts being made to provide them with work;

(b) whether Government have changed the method of production by using new designs of machines and by using iron in place of wood but have not trained the new employees in this new method as a result of which the employees are rendered idle and Government get the work done on contract basis from outside; and

(c) if so, the scheme under consideration to train the employees in new methods.

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir; there is sufficient work lead for employees of 510 Army Base Workshop .

(b) and (c). The workshop has not changed the method of production by the use of designs of machines. However, due to the general shortage of timber hard of the correct specifications in the country, use of substitute material such as Mild Steel Sheets and angel irons is considered and adopted where possible. The employees are suitably guided, and no special training scheme is considered necessary. It is not correct that the employees have been rendered idle or that the work is got done on contract basis from outside.

Ceasefire in Nagaland

10108. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to further extend the ceasefire period, which expired on the 30th April, in Nagaland; and

(b) if so, the time upto which the said period has been extended and the reasons therefor in view of the fact that Nagas have constantly been violating the agreement in this regard?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and, Minister of External affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir.

(b) The period of the agreement on the Suspension of Operations has been extended up to 30th June 1968. The decision of the Government was taken in consultation with the Government of Nagaland.

पश्चिम एशिया का संकट

10109. श्री चेंगलराया नायडू :

श्री अंबचेजियान :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य ने अनुरोध किया है कि पश्चिम एशियाई संकट से उत्पन्न समस्याओं का संयुक्त राष्ट्र पुनः अध्ययन करे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?.

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्रोही नागाओं को प्रोत्साहन देने के कारण पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र

10110. श्री हेम बरुआ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं को युद्ध सामग्री आदि की सहायता देकर उन्हें भारत के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहन देने के कारण पाकिस्तान सरकार को हाल में सरकार ने कड़ा विरोध-पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पाकिस्तान ने क्या उत्तर दिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पाकिस्तान सरकार को 16 अगस्त 1967 को एक विरोध-पत्र भेजा गया था ।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने इस बात को मानने से इनकार किया है कि वह उपद्रवियों को सहायता दे रही है ।

रोडेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका की जनता द्वारा सशस्त्र विद्रोह

10111. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोडेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका की जनता ने उन देशों की रंगभेद तथा फासिस्ट सरकारों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बात को देखते हुए कि उक्त दोनों सरकारों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही करने में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा राष्ट्रमन्डल विफल रहे हैं, या भारत सरकार का विचार इन देशों के देश-भक्तों के सशस्त्र आंदोलनों का समर्थन करने का है;

(ग) यदि हां, तो किस रूप में समर्थन दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी हां। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया है। वह स्वतंत्रता सेनानियों को साज़-सामान का समर्थन भी दे रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Radio Station at Motihari

10112. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government have selected some site in Motihari for the setting up of a Radio station;

(b) if so, the details in this regard;

(c) if not, the reasons due to which initial steps have not so far been taken;

(d) the amount allocated for undertaking the initial work in this regard; and

(e) if no amount has been allocated, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) to (e) The draft Fourth Five Year Plan did not include any provision for the setting up of a radio station at Motihari. Some Members of Parliament had however, suggested that a separate station might be set up at a suitable location in the Saran or Champaran district of Bihar, for which Motihari or Bettiah might be considered. Since this area is beng served already by the Patna Station, the setting up of a radio station at Motihari can be considered only after the prior commitments are fulfilled.

Development of Film Industry

10113. Shri O. P. Tyagi: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of Committees appointed so far by the Central and State Governments to give suggestions for the development of film industry:

(b) whether the Central and State Governments have implemented the suggestions given by these committees; and

(c) if not, the object of Government in appointing these Committees and spending public funds on them?

The Minister of Information and Broadcatsting (Shri K. K. Shah): (a) The Central Government appointed two Film Enquiry Committees one in 1927 under the Chairmanship of Shri T. Rangachari and another in 1949 under the Chairmanship of Shri S. K. Patil, The West Bengal Government set up a Committee in 1965 headed by Justice K. C. Sen and the Maharashtra Government set up a Committee in 1966 under the Chairmanship of Shri P. G. Kher.

(b) and (c) In the light of the recommendations made by the Patil Committee, some major steps concerning the industry were taken *e. g.* the setting up of the Film Finance Corporation; the Film Institute of India; the Children's Film Society; the Hindustan photo Film Company; the Indian Motion picture Export Corporation and the institution of National Awards for Films.

Report from the Government of Maharashtra regarding implementation of recommendations is awaited. In so far the Government of West Bengal is concerned, the State Government has set up a West Bengal State Film (Production and Development) Committee which is considering the recommendations of the K. C. Sen Commission regarding the rehabilitation of the West Bengal Industry.

अमृतसर में आकाशवाणी केन्द्र

10114. श्री बलराज मधोक : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में मीडियम वेव के ट्रांजिस्टर तथा रेडियो आकाशवाणी के जालन्धर केन्द्र की अपेक्षा लाहौर स्टेशन को अधिक अच्छी तरह पकड़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तानी प्रचार सामग्री का अनावश्यक प्रचार होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का विचार अमृतसर में आकाशवाणी का केन्द्र खोलने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) पंजाब के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में, जो जलन्धर की अपेक्षा लाहौर केन्द्र के अधिक नजदीक है, लाहौर केन्द्र का सिगनल अच्छा होगा।

(ख) हाल ही में जलंधर में एक और शक्तिशाली ट्रांसमीटर चालू हो गया है, जो अमृतसर में संतोषजनक सिगनल देने योग्य है । अतः अमृतसर में अकाशवाणी का पृथक केन्द्र खोलने का विचार नहीं है।

सिंगापुर में दक्षिण-पूर्व एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन

10115. श्री बलराज मधोक :

श्री म० ला० सोंधी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1968 में सिंगापुर में हुए दक्षिण-पूर्व एशियाई मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में भारत ने पर्यवेक्षक के नाते भाग लिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्मेलन ने आर्थिक मामलों पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच और अधिक सहयोग करने का निर्णय किया है और इस उद्देश्य के लिये एक स्थायी समिति बनाने का निर्णय भी किया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) इसमें हिस्सा लेने वाले राष्ट्रों ने अगले सम्मेलन की तैयारी करने के लिए और "क्षेत्रीय सहयोग को कारगर रूप में बढ़ाने से सम्बद्ध बुनियादी समस्याओं पर एक या अधिक अध्ययन दल बनाने पर विचार करने के लिए" एक कार्यकारी समिति का गठन करने का निश्चय किया।

(ग) चूंकि भारत ने इस सम्मेलन में सिर्फ एक प्रेक्षक की हैसियत से हिस्सा लिया था, भागीदार के रूप में नहीं इसलिए इस निर्णय से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। बहरहाल, भारत सरकार क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का समर्थन करती है क्योंकि इससे दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति और विकास में सहायता मिलेगी।

अरब लीग

10116. श्री हेम बरुआ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अरब-लीग किन-किन देशों का प्रतिनिधित्व करता है;

(ख) इस संस्था के विशिष्ट कार्य क्या है; और

(ग) क्या अरब लीग को विश्व के किसी अन्य देश द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). अरब लीग की स्थापना 1945 में सात स्वतंत्र अरब राज्यों में हुई एक संधि के अन्तर्गत हुई थी। इस संधि के अनुसार इस लीग का उद्देश्य होगा "भागीदार राज्यों में पारस्परिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाना, उनकी राजनीतिक गतिविधियों में तालमेल बैठाना ताकि उनमें निकट सहयोग हो सके, उनकी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता की रक्षा करना और सामान्य रूप से अरब राज्यों के कार्यों और हितों की देखभाल करना"। इस समय अरब लीग के चौदह सदस्य हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं :—मोरक्को, अल्जीरिया, तूनीसिया, लीबिया, संयुक्त अरब गणराज्य, सूडान, जोर्डन, लबनान, सीरिया, इराक, कुवेत, सऊदी अरब, यमन, और दक्षिण यमन लोक गणराज्य। अरब लीग के नई दिल्ली स्थित कार्यालय का मुख्य काम अरब देशों के और अरब लीग के बारे में सूचना आदि देना है।

(ग) अरब लीग के कार्यालय बहुत-से देशों में हैं, जिनमें ये भी शामिल हैं : संयुक्त राज्य अमरीका, स्विटजरलैन्ड, जर्मन संघीय गणराज्य, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, इटली, कनाडा, अर्जन्तीना, फ्रांस और जापान।

Allotment of Land for Military Officers in M.P.

10117. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether a condition has been laid down that Military Officers and Jawans having more than three children would not be allotted land in Madhya Pradesh;

(b) if so, whether prior approval of his Ministry was obtained in the matter; and

(c) the impact of this condition on the allotment of land to military officers and Jawans?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Ordnance Factories in Madhya Pradesh

10118. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the number of Ordnance Factories in Madhya Pradesh;

(b) whether it is a fact that more ordanance factories are likely to be set-up in Madhya Pradesh in 1968-69 ; and

(c) if so, the time by which they are likely to be set up alongwith the names of the places?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). There are 3 factories already working in Madhya Pradesh. Apart from these, a Vehicles Factory is under establishment at Jabalpur. This factory is expected to be commissioned in 1970. There is no proposal at present to set-up any other ordnance factories in Madhya Pradesh.

रेडियो और उसके पुर्जे बनाने के उद्योग

10119. श्री स० चं० सामन्त : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो तथा उसके पुर्जे बनाने के उद्योगों में असाधारण मन्दी आने के क्या कारण हैं;

(ख) इस मन्दी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने अपने माल के मूल्य किन कारणों से बढ़ाये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री, (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सरकार को रेडियो निर्माण और इलेक्ट्रानिकी संघटकों के उद्योग में किसी अवपात का ज्ञान नहीं है।

(ग) उत्पादन के आधिक्य और बेहतर तकनीकों के प्रयोग के कारण बी० ई० एल० में इलेक्ट्रानिकी संघटकों के निर्माण की लागत कम होती जा रही है। इस बात को सामने रखते हुए बी० ई० एल० ने अपने ट्रांज़िस्टरों डायोडों के मूल्य में 1-1-1968 से लगभग 18 प्रतिशत कमी कर दी है।

नागालैण्ड के लोगों को शिक्षित करने का अभियान

10120. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड के लोगों को चीन के प्रभाव के खतरों से अवगत कराने के लिये 11 अप्रैल, 1968 से एक राज्य व्यापी अभियान आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह योजना किन एजेन्सियों के जरिये चलाई जायेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). नागालैन्ड राज्य सरकार ने एक आंदोलन आरम्भ किया है जिसका उद्देश्य यह है कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर यह बताया जाए कि चीन के साथ ऐसे अवैध सम्पर्क रखने में कितना खतरा है जो कि उग्रवादी छिपे नागाओं ने स्थापित किए हैं। राज्य सरकार के नेताओं, चर्च नेताओं और नागालैण्ड के अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने राज्य के विभिन्न भागों में आयोजित बड़ी-बड़ी जन-सभाओं में भाषण दिए हैं। लोगों को यह आश्वास्त करने के लिए अन्य प्रचार साधनों का उपयोग किया जा रहा है कि कुछ छिपे नागा लोग जो नीति अपना रहे हैं, वह नागालैण्ड के लोगों और समूचे देश के हित में नहीं है।

प्रधान मंत्री का विदेशों का प्रस्तावित दौरा

10121. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब और सितम्बर, 1968 के बीच प्रधानमंत्री का किन-किन देशों का दौरा करने का विचार है;

(ख) इन दौरों का उद्देश्य क्या है और वे प्रत्येक देश में कितने समय तक ठहरेंगी; और

(ग) इन देशों का दौरा करने के निमंत्रण किन तिथियों को प्राप्त हुए थे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). बहुत पहले के निमंत्रणों पर जो कि समय-समय पर दुहराए जाते रहे हैं, प्रधान मंत्री ने मई और सितम्बर 1968 के बीच निम्नलिखित देशों की यात्रा करने का निश्चय किया है :—

सिंगापुर 19-5-1968 से 20-5-1968 तक।

आस्ट्रेलिया 21-5-1968 से 26-5-1968 तक।

न्यूजीलैण्ड 27-5-1968 से 28-5-1968 तक।

मलयशिया 29-5-1968 से 31-5-1968 तक।

इस यात्रा का उद्देश्य सम्बद्ध देशों की सरकारों के प्रमुखों से और दूसरे नेताओं से मिलना और आपसी हित के मामलों पर विचार-विनिमय करना है।

Indian Embassies in Geneva, London, Washington and New York

10122. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of External Affairs be pleased to State:

(a) the number of employees in Indian Embassies in Geneva, London, Washington and New York:

(b) the number of employees among them who are forei

(c) the number of employees among these foreigners who are working on Gazetted posts?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). The requisite information is given in the enclosed atatement.

[Placed in Library, *See* No. LT-1229/68]

Distt. Information Officers in U.P.

10124. Shri T. P. Shah: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the posts of District information Officers in U. P. have been abolished:

(b) whether it is also a fact that Journalists are put to great difficulty because of the abolition of these posts and they are not able to receive Govt. news even; and

(c) if so the reasons for abolishing these posts when these posts have not been abolished in other States?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) In November, 1967, the U.P. Government decided to keep unfilled all the 54 posts of District Information Officer except three in the districts of Chamoli, Uttar Kashi and Pithorgarh.

(b) The incumbents of 8 posts are on deputation with the Central Government and the remaining have been absorbed in the Family Planning Department of the State Government. Thus no hardship has been caused to the officers rendered surplus. The publicity work is now being looked after by a Deputy Collector in each district in addition to his normal duties.

(c) This decision was taken by the State Government as a measure of economy.

Government Advertisements in Bulandshahar Newspapers

10125. Shri T. P. Shah:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the names of the newspapers authorised by the District Magistrate in Bulandshahar to publish advertisements of Government and of Municipalities;

(b) the number of advertisements given to these newspapers during the last two years;

(c) whether it is a fact that advertisements of Govt. and Municipalities were given to such newspapers also as are not authorised to publish them during the period from Nov. 1967 to 15th April 1968; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) to (d). This is a matter which concerns the State Government. Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Training to Artistes in T.V.

10126. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1285 on the 17th April, 1968 and state the reasons for sending only one producer from the staff artistes category, out of the total of seventeen persons, sent abroad for training?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): Of the seventeen persons mentioned in the reply given to the Starred Question No. 1285 on 17-4-1968, eight were Engineers. The question of sending staff artists for the training course meant for Engineers did not arise. Also, Staff Artists could not be considered for courses intended for other categories of staff such as Programme Organisers, Editorial Staff etc. The selection of persons for training abroad in Television is made keeping in view their capacity for benefiting from such training and their duties in the Television Centre. A Staff artist when considered suitable is selected for such training.

Statistical Publications

10127. Shri Prakash Vir Shastri : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the number of regular and periodical statistical publications brought out by the Central Statistical Department and Central Statistical Organisation;

(b) the number of publications sent to the Members of Parliament, Universities and national and international statistical bodies;

(c) the reasons for not bringing out Hindi Editions of these publications;

(d) whether arrangements have been made to bring out Hindi editions of these publications in view of the Official Language Act; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of Extenral Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Nine.

(b) Number of publications distributed to:

(*i*) Parliament Members . .	3
(*ii*) Universities	6
(*iii*) National and international statisctical bodies	9

(c) to (e). Two of these publications, namely, (*i*) Estimates of national product and (*ii*) Annual Survey of Industries Volume I are bilingual (English and Hindi). The question of bringing out more of such publications in Hindi by stages is being considered.

सेलम जिले में यूरेनियम के निक्षेप

10128. श्री किरुतिनन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाड (मद्रास) के सेलम जिले में यूरेनियम के निक्षेप मिलने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है; और

(ग) इन निक्षेपों का उपयोग करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप सेलम जिले में यूरेनियम के कुछ प्राप्ति-स्थानों का पता लगा, लेकिन इन स्थानों पर यूरेनियम की मात्रा बहुत कम थी, वह बहुत निम्न ग्रेड का था और उसे निकालना अलाभकारक था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ए० पी० ओ० के ग्रेड में पदोन्नति

10029. श्री श्रीधरन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु-शक्ति विभाग में बिना परीक्षा के और वरिष्ठ योग्य सहायकों के हक की अवहेलना करके बहुत-से पर्सनल असिस्टेन्टों, सीनियर आफिसरों, स्टोर-कीपरों और यू० डी० सी० आदि को ए० पी० ओ० के पद पर पदोन्नत किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नियमानुसार ए० पी० ओ० के ग्रेड में पदोन्नति अणु-शक्ति विभाग द्वारा ली गई विभागीय परीक्षा के आधार पर की जाती है; और

(ग) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस ग्रेड में पदोन्नति केवल परीक्षा के परिणामों के आधार पर करने तथा यह देखने का है कि जो व्यक्ति बिना परीक्षा के पदोन्नत हो चुके हैं उन्हें परीक्षा पास करनी पड़े ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के संघटक यूनिटों में सहायक कार्मिक अधिकारियों के चयन का कार्य एतदर्थ नियुक्त चयन समितियों द्वारा प्रत्याशियों का केवल इंटरव्यू कर या लिखित टैस्ट के साथ इंटरव्यू किया जाता है।

(ग) इस आशय की शिकायतें मिली थीं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई, क्योंकि पदोन्नति का आधार, जैसा ऊपर बताया गया है, पूरी तरह लिखित टेस्ट या इंटरव्यू थे।

ए० पी० ओ० के ग्रेड की परीक्षा

10030. श्री श्रीधरन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु-शक्ति विभाग ने मई 1967 में ए० पी० ओ० ग्रेड के लिये परीक्षा ली थी तथा बाद में कुछ लोगों की अनुपूरक परीक्षा ली गई थी तथा इन दोनों परीक्षाओं में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के उम्मीदवार ही उत्तीर्ण घोषित किये गये थे;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि इन परीक्षाओं के लिये तैयार किय गये परीक्षा-पत्रों की जानकारी भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में पहले ही दे दी गई थी और इसी कारण उस केन्द्र के उम्मीदवार उत्तीर्ण घोषित किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या ए० पी० ओ० ग्रेड में पदोन्नति के लिये एक और परीक्षा लेने तथा उत्तीर्ण व्यक्तियों को अवैध रूप से पदोन्नत हुआ घोषित करने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सहायक कार्मिक अधिकारियों को चयन के लिये भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में मई, 1967 म एक लिखित टेस्ट का आयोजन किया गया था। आठ

सफल उम्मीदवारों में, चार विभागीय कर्मचारी तथा चार बम्बई स्थित अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारी थे। जुलाई 1967 में अधीक्षकों के लिये एक पृथक लिखित टेस्ट का आयोजन किया गया था और इसमें सफल उम्मीदवारों को इण्टरव्यू के बाद सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिये संधि

10131. श्री हेम बरुआ :
श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका और रूस द्वारा प्रस्तावित परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिये की गई संधि पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक विशेष अधिवेशन में हाल में विचार विमर्श किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने प्रारूप संधि में किन्हीं संशोधनों का प्रस्ताव किया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) महासभा के अधिवेशन में इस पर विचार हो रहा है जो कि न्यूयार्क में 24 अप्रैल से प्रारम्भ हुआ है।

(ख) भारत का विचार कोई संशोधन रखने का नहीं है क्योंकि संधि के प्रस्तावकों को उसके विचारों से पहले ही अवगत कराया जा चुका है और 18 राष्ट्रों को निरस्त्रीकरण समिति की बैठक में भी।

कानपुर-स्थित आयुध कारखाने में दुकानों का गिराया जाना

10132. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व सूचना दिये बगैर 10 अप्रैल, 1968 को आर्मापुर दुकानदार संघ, आयुध कारखाना, कानपुर की बहुत-सी दुकानें गिरा दी गई थीं;

(ख) क्या उन दुकानों से कोई सामग्री, भण्डार और नकदी गुम पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा प्रभावित दुकानदारों को मुआवजा देने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

लकड़ी के एक सौदागर द्वारा फैक्ट्री की भूमि पर किया गया अतिक्रमण स्थानीय पुलिस की सहायता से 10-4-1968 को हटाया गया था, कि जब फैक्ट्री प्रबन्ध द्वारा नोटिसों और प्रार्थनाओं के बावजूद भी उसने अतिक्रामित भूमि को खाली नहीं किया।

(ख) और (ग). आर्मापुर की दुकानदारों की समिति से प्राप्त एक शिकायत की जांच की जा रही है।

सैनिक स्कूल, कोरुकोंडा

10134. श्री वी० नरसिम्हा राव : क्या प्रतिरक्षा मंत्री सैनिक स्कूल, कोरुकोंडा के बारे में 20 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4566 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया किस्म के अनाज तथा अन्य मामलों के बारे में सैनिक स्कूल के प्रबन्धकों से प्रतिवेदन लेने के लिये सरकार ने इस बीच कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). स्थानीय प्रशासन बोर्ड के अध्यक्ष की टीका-टिप्पणी समेत प्रिंसिपल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, और विचाराधीन है।

बरमिंघम में भारतीय सहायक आयुक्त के विरुद्ध शिकायतें

10135. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरमिंघम-स्थित भारतीय उच्च आयोग की शाखा के प्रभारी सहायक आयुक्त के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उनकी बदली के आदेश जारी किये गये थे, लेकिन अभी तक उनकी क्रियान्विति नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). बरमिंघम-स्थित सहायक हाई कमिश्नर के आचरण के खिलाफ़ शिकायत मिली है। इस मामले में पूछताछ की गई है और सम्बद्ध अधिकारी को मुख्यालय पर वापस बुलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

पैराशूटों का उत्पादन

10136. श्री कंडप्पन :
श्री कृ० म० कौशिक :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री वी० नरसिम्हा राव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान से आदमियों को उतारने वाले पैराशूटों के उत्पादन के लिये अपेक्षित नायलन के कपड़े का अब भी आयात किया जा रहा है हालांकि स्थानीय उत्पादक उसका सफलतापूर्वक उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा और कितने मूल्य के नायलन के कपड़ का आयात किया गया; और

(ग) देशी कपड़े का प्रयोग करने की बजाय ऐसे कपड़े का आयात करने के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की सहायता से नायलन कपड़े के देशीय उत्पादन की स्थापना की जा रही है। देशीय उत्पादन से प्राप्य सप्लाईयों का पूर्ण लाभ उठाया जा रहा है। केवल फोरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही विदेश से कुछ राशिएं प्राप्त की जा रही हैं।

सीमावर्ती सड़कें

10137. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो मार्च 1968 तक कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं;

(ग) शेष मीलों में सड़कों का निर्माण कब तक होने की आशा है; और

(घ) सीमावर्ती सड़कों के निर्माण में देरी का क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री, (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) प्राप्य निधियों समेत संसाधनों का ध्यान रखते हुए सड़कों की पहुंच प्राप्त करने के लिये लक्ष्यों का प्रायः पालन किया गया है।

(ख) अन्त मार्च 1968 तक, 20 फुट से 4 फुट चौड़ी 2808 मील विभिन्न नई सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 2300 मील वर्तमान सड़कों / रास्तों का सुधार सम्पूर्ण किया गया है।

(ग) फोरी कार्यक्रम में सड़कों के निर्माण और सुधार आशा है 4-5 वर्षों की अवधि में सम्पूर्ण हो जायेंगे।

(घ) कुछ निहित सीमाएं हैं जिनके अनुसार हिमालय के प्रदेशों में निर्माण कार्य सम्पन्न किए जा रहे हैं। उनमें अधिकतम महत्वपूर्ण हैं :—

(1) निर्माण के लिए सीमित मौसम।

(2) लाजिस्टिक कठिनाई ।

(3) गाड़ियों का यातायात कि जब निर्माण कार्य प्रगतिशील हो।

Sainik School in Rewa (Madhya Pradesh)

10138. Shri Lakhan Lal Gupta : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether a Sainik School is being run by his Ministry in Rewa (Madhya Pradesh);

(b) if so, whether the question of opening such a Sainik School in the Adivasi area of District Bastar (Madhya Pradesh) is under Government's consideratio ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) The Sainik School at Rewa, like other Sainik Schools, is run by the Sainik Schools Society. The Defence Minister is the Chairman of the Society.

(b) No.

(c) The school at Rewa is expected to cater to the needs of all the people of Madhya Pradesh. Since the school has not yet reached its full strength of 525 boys, it would anyhow be premature to consider opening another school in Madhya Pradesh.

त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमा

10139. श्री माणिक्य बहादुर : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के साथ लगने वाले त्रिपुरा के कितने तथा किन-किन भागों की सीमा का अभी तक रेखांकन नहीं किया गया है और कितने भाग का रेखांकन किया जा चुका है;

(ख) क्या सीमा के वास्तविक रेखांकन के सम्बन्ध में त्रिपुरा सरकार द्वारा यह दावा किया गया कोई क्षेत्र, कि वह त्रिपुरा के भूतपूर्व महाराजा के शासनाधिकार के अन्तर्गत था, पाकिस्तान को दे दिया गया है, और क्या कोई ऐसा क्षेत्र विवादास्पद है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले किये जा चुके सीमा-रेखांकन कार्य के पुनर्विलोकन तथा अग्रेत्तर रेखांकन के लिये और योजनाएं बनाने हेतु 17 अप्रैल, 1968 को त्रिपुरा-सिल्हट सीमा के रेखांकन के बारे में भारत-पाकिस्तान का एक सम्मेलन हुआ था, और यदि हां तो उसमें किन-किन बातों पर विचार किया गया था; और

(घ) रेखांकन कार्य तथा खम्बे लगाने का काम पूरा करने के लिये क्या योजना बनाई गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान सीमा की कुल लम्बाई लगभग 550 मील है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में बंटी है :—

1. त्रिपुरा सिल्हट 188 मील (लगभग)।
2. त्रिपुरा-कोमिल्ला नोआखली 206 मील (लगभग)।
3. त्रिपुरा-चटगांव/चटगांव पहाड़ी क्षेत्र 156 मील (लगभग)।

त्रिपुरा-सिल्हट क्षेत्र में आजकल काम चल रहा है; यहां सीमा के लगभग 30 मील इलाके में खम्भे लगा दिए गए हैं।

त्रिपुरा-कोमिल्ला-नोआखली क्षेत्र में 186 मील तक सीमा खम्भे लगाए गए थे और इस सीमांकन के कार्य की परख की जाएगी।

अन्य क्षेत्र में अभी काम शुरू नहीं हुआ है।

(ख) सीमांकन के दौरान कोई भी क्षेत्र पाकिस्तान को नहीं सौंपा गया।

(ग) और (घ) : त्रिपुरा और पूर्व पाकिस्तान के भू-अभिलेख तथा सर्व-निदेशकों की एक बैठक 17 अप्रैल को इस उद्देश्य से हुई कि जो काम किया जा चुका है, उसका सर्वेक्षण किया जाए । अगले क्षेत्र-कार्य के दिनों का कार्यक्रम बनाने के लिए अब उनकी जुलाई 1968 में फिर मीटिंग होगी ।

सर ज़फ़रुल्ला खां के भाषण

10141. श्री देवकीनन्दन पाटौदिया : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह स्पष्ट करे कि सर जफरुल्ला खां द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काश्मीर के भारत में विलय के बारे में दिये गये भाषण कहां तक उचित हैं;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस बारे में कोई उत्तर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ने सर मुहम्मद जफरुल्ला खां के भाषणों के बारे में 19 मार्च 1968 को अन्तराष्ट्रीय न्यायालय के रजिस्ट्रार के नाम में एक पत्र लिखा था और इसकी एक प्रति 3-4-1968 को सदन की मेज़ पर रख दी गई थी ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में वायु सेना मुख्यालय की उपकरण शाखा में आग लगना

10142. श्री रवि राय : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में वायु सेना मुख्यालय के उपकरण निदेशालय की उपकरण शाखा संख्या 1 में 17 अप्रैल, 1968 को आग लग गई थी;

(ख) कितने कागजात जल गए थे;

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह सच है कि उसी रिकार्ड आफिस में पहले भी दो बार आग लग गई थी; और

(ङ) क्या वह एयर-वाइस मार्शल तथा एयर-कमोडोरों के कार्यालयों के कमरों के बिल्कुल निकट हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) घटना की जांच करने वाली कोर्ट आफ इंक्वायरी द्वारा अभी इस का निर्धारण किया जाना है ।

(ग) अगली कार्यवाही कोर्ट आफ इंक्वायरी की रिपोर्ट पर निर्भर है ।

(घ) यह बात सच है कि रामकृष्णपुरम में उपकरण निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय में दो अन्य अवसरों पर भी आग लगी थी—एक बार 10 मार्च, 1967 को और दूसरी बार 16-8-1967 को। इस में निदेशालय के विभिन्न अनुभाग अन्तर्ग्रस्त थे।

(ङ) जी हां।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग

10143. श्री नायनार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग के कार्य के पुनर्गठन सम्बन्धी पेंढारकर समिति के प्रतिवेदन में कर्मचारियों की भारी संख्या में छटनी औरतबादले की सिफारिश की गई है ;

(ख) क्या पेंढारकर समिति ने कोई अन्तिम निर्णय करने से पहले भारतीय नामक संस्था के विशेषज्ञों और कर्मचारियों के विचारों पर विचार किया था, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पेंढारकर प्रतिवेदन में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कार्य के पर्याप्त पुनर्गठन का सुझाव दिया गया है जिसमें उसके कार्य के कुछ भाग का विकेन्द्रीकरण तथा कर्मचारियों की संख्या में कमी भी सम्मिलित है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड 4 के अधिकारी

10144. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड 4 के अधिकारियों को आरम्भ में मूल वेतन 270 रुपए मिलता है;

(ख) 1960 से अब तक इस ग्रेड में कितने अधिकारी भर्ती किये गये हैं ;

(ग) उनमें से कितने अधिकारियों की पदोन्नति की गई है और किस-किस ग्रेड में और पदोन्नति में सामान्यतया कितना समय लगता है; और

(घ) ऐसे कितने अधिकारी शेष रह गये हैं और उनमें से प्रत्येक की पदोन्नति होने में कितना समय लग जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) 106 व्यक्ति जिनमें से 10 इस बीच केन्द्रीय सूचना सेवा को छोड़ गए हैं और इस समय 96 व्यक्ति काम कर रहे हैं।

(ग) और (घ): केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 के अनुसार, ग्रेड 4 के अधिकारी ग्रेड 4 के ड्यूटी पद पर 5 साल नौकरी करने के बाद, अगले ऊंचे ग्रेड में

अर्थात् ग्रेड 3 में (द्वितीय श्रेणी—राजपत्रित—350–25–500–30–590–द० आ०–30–800 रुपए) पदोन्नति के लिए पात्र हैं। भाग (ख) में उल्लिखित अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी इस शर्त को पूरी नहीं करता।

केन्द्रीय सूचना सेवा में भर्ती

10145. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले सात वर्षों में केन्द्रीय सूचना सेवा में भिन्न वर्गों में खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से, पत्रकारों, राज्य सरकारों तथा उपक्रमों से कितने अधिकारी भर्ती किये गये ;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों की उच्चतर वर्गों में पदोन्नति की गई है; और

(ग) विद्यमान कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के क्या अवसर उपलब्ध हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1230/68]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सूचना सेवा के विभिन्न ग्रेडों में खाली स्थान केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 के अनुसार पदोन्नति द्वारा इस प्रकार भरे जाते हैं :—

सेलेक्शन ग्रेड :—

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (सीनियर स्केल) }
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर स्केल) } निचले ग्रेड से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (सीनियर स्केल) }

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर स्केल) निचले ग्रेड से 87½ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा

ग्रेड 1—निचले ग्रेड से 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

ग्रेड 2—अस्थायी खाली स्थानों में निचले ग्रेड से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।
स्थायी खाली स्थानों में निचले ग्रेड से 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

ग्रेड 3—निचले ग्रेड अर्थात् ग्रेड 4 से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

केन्द्रीय सूचना सेवा के पदों के ग्रेड बढ़ाना

10146. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1967 से अब तक केन्द्रीय सूचना सेवा के कितने पदों के ग्रेड बढ़ाये गये हैं और ग्रेड बढ़ाये गये पदों की संख्या कितनी है और कितना अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ा है, और

(ख) केन्द्रीय सूचना सेवा के शेष पदों के ग्रेड कब तथा किस प्रकार बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) (क) एक, 250 रुपए प्रति मास।

(ख) एक छोटी विभागीय समिति केन्द्रीय सूचना सेवा के वेतन और ग्रेड ढांचे सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है जो चन्दा समिति और प्रशासनिक सुधार आयोग की सम्बन्धित सिफारिशों पर विचार कर उनमें संभाव्य सुधारों को सुझाएगी।

केन्द्रीय सूचना सेवा के पद

10147. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1960 से केन्द्रीय सूचना सेवा के कुछ पदों को निकाल दिया गया है। उसमें सम्मिलित कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे पद कौन-कौन से हैं और ऐसा क्यों किया गया है और प्रत्येक के वित्तीय परिणाम क्या होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **पुस्तकालय में रखा गया।** **[देखिये संख्या एल० टी०-1231/68]** पदों के कर्तव्यों को देखते हुए उनको केन्द्रीय सूचना सेवा में सम्मिलित किया जाता है या निकाला जाता है। अत: पदों को सम्मिलित करने/निकालने से कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता।

Intrusion of Tibetans into India

10148. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Tibetan nationals have intruded into India;

(b) if so, the number of Tibetan nationals who have intruded into India since November, 1967 to-date;

(c) the number of persons among them who have been repatriated and the estimated number of those who are still in India; and

(d) the action taken by Government for their repatriation ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The migration of Tibetan refugees cannot really be described as intrusion since they are people in distress who are fleeing from religious persecution at the hands of the Chinese Government.

(b) 242 Tibetan refugees have taken refuge in India. Of these 111 have come from Nepal.

(c) None have been repatriated so far. 242 Tibetan refugees are still in India.

(d) Orders have been issued for the deportation of Tibetans who have come from Nepal. The question of repatriation of the refugees coming direct from Tibet does not arise. Government's policy with regard to these refugees is indicated in the reply given to the following questions copies of which are placed on the Table of the House:—

(i) Lok Sabha Unstarred Question No. 1479 dated 21-2-1968. [Placed in Library. See No. LT-1232/68.]

(ii) Lok Sabha Unstarred Question No. 6282 dated 3-4-1968 [Placed in Library. See No. LT-1232/68.]

एच० एफ० 24 सुपरसोनिक विमान का इंजन

10149. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त अरब गणराज्य से विमानों के इंजन प्राप्त करने के प्रयत्न विफल होने के बाद हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में बनाये जा रहे एच० एफ० 24 सुपरसोनिक विमानों के लिए उपयुक्त इंजन प्राप्त करने हेतु क्या वैकल्पिक उपाय किये गये हैं; और

(ख) यदि किन्हीं देशों से उपयुक्त इंजन देने के प्रस्ताव हुए हैं, तो किन-किन देशों से ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख): एच० एफ० 24 में स्थापित किए गए ई–300 इंजन के उड़ान विकास परीक्षण अभी यु० ए० आर० में प्रगतिशील हैं, और एच० एफ० 24 के लिए ई–300 इंजन की योग्यता के सम्बन्ध में अभी पक्का निर्णय लिया जाना है।

Personal Staff of Prime Minister

10150. **Shri Dinkar Desai :**
Shri S. M. Joshi :
Shri George Fernandes :
Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Deven Sen :
Shri J. H. Patel :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total number of employees working at her residence and office which include her offices at Rashtrapati Bhawan, Rail Bhavan, South Block, in the Ministry of External Affairs, Planning Commission and the Department of Atomic Energy;

(b) the total number of officers working at her residence and in offices referred to in part (a) above;

(c) the total number of officers mentioned in part (b) above who get their pay and allowances from the organisations and funds with which she is associated;

(d) the total number of security staff in uniform and plain clothes working at her residence and in offices mentioned in part (b) above;

(e) the total number of Press Attaches, Directors of Information and Information Officers working in the Press and Public Relations Department of the Prime Minister;

(f) the total number of staff cars attached to her residence and officers as stated above; and

(g) the total annual expenditure on all the employees as mentioned in parts (a) to (f) above ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No portion of the Prime Minister's Secretariat is located in Rashtrapati Bhavan or the Yojna Bhavan building in which Planning Commission is located. The Ministry of External Affairs, the Planning Commission and the Atomic Energy Department are not part of the Prime Minister's Secretariat.

The total number of persons employed in the Prime Minister's Secretariat, which functions as a regular Department of Government, is 203.

(b) No staff has been specifically or exclusively earmarked for work at the office at Prime Minister's residence. Members of the Personal Staff or other officials of the Secre-

tariat are deployed to attend to various official duties at the residence as requirted from time to time.

(c) All members of the Prime Minister's Secretariat draw their salaries from Consolidated Funds of India.

(d) Staff for the Prime Minister's security is detailed by the Delhi Administration, and they are not members of the Prime Minister's Secretariat. Their strength and specific deployment is determined from time to time by the Delhi authorities concerned.

(e) The Prime Minister's Secretariat has an Information Adviser and a Deputy Information Adviser supported by a small Research Unit. A Deputy Principal Information Officer, belonging to the Press Information Bureau of the Ministry of Information and Broadcasting, also deals with Press relations work relating to the Prime Minister's Secretariat as also the Cabinet Secretariat.

(f) There are four staff cars in the Prime Minister's Secretariat including the vehicle attached to the Prime Minister herself; and

(g) The total expenditure on Prime Minister's Secretariat during 1967-68 was about Rs. 16·91 lakhs.

परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने की संधि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार करने पर अमरीका की धमकी

10151. श्री म० ला० सोंधी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे समाचार पढ़े हैं कि यदि भारत ने परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने की संधि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया, तो अमरीका भारत को सहायता बन्द करने की धमकी का प्रयोग करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को अमरीका की सरकार से इस आशय का कोई समाचार नहीं मिला है ।

पेशावर के निकट अमरीकी इलेक्ट्रानिक अड्डा

10152 श्री म० ला० सोंधी :
श्री दामानी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "वाशिंगटन पोस्ट" के एक समाचार की ओर गया है कि पेशावर के निकट स्थित इलेक्ट्रानिक अड्डे की सहायता से पाकिस्तान भारत के सिग्नल सुन सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि यह एक गुप्त प्रतिष्ठान है इसलिए इस तरह की खबरों की सत्यता की जांच करना मुश्किल है। अमरीका सरकार ने बार-बार यही कहा है कि इस अड्डे का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध जासूसी करने के लिए नहीं किया जा रहा है।

Canteen Stores Department

10153. Shri S. M. Joshi : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total value of imports made annually for Canteen Stores Department under his Ministry;

(b) the amount spent annually on the import of liquor and house-hold and other goods; and

(c) the steps being taken to reduce the import of such goods in future ?

The Minister of state (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra): (a) Total value of imports made by the Canteen Stores Department (India) during the last five years is as given below:—

1963-64 . . .	Rs. 8,06,000 (£ 62,000)
1964-65 .	Rs. 23,13,350 (£ 1,77,950)
1965-66	Rs. 12,37,600 (£ 95,200)
1966-67 . . .	Rs. 23,73,000 (£ 1,13,000)
1967-68 .	Rs. 24,00,000 (£ 1,19,841)

(b) A statement showing the amount spent during the last five years on import of liquor and other items is attached. [*Placed in Library. See No. LT*-1233/68.]

(c) Import policy of the Canteen Stores Department (India) is reviewed annually with a view to ensuring that such items as are available and/or manufactured in the country are not imported by the CSD(I) and that the amount spent on imports is kept to the minimum.

भारत में उपग्रह छोड़ने का केन्द्र

10154. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि भारत को उपग्रह छोड़ने का केन्द्र बनाना चाहिय;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक बन कर पूरा हो जायेगा; और

(ग) यह केन्द्र कहां पर स्थापित किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) उपग्रह छोड़ने वाला एक केन्द्र स्थापित करने की योजना का अध्ययन किया जा रहा है।

सेना में अधिकारियों की सेवानिवत्ति की आयु

10155. श्री वासुदेवन नायर : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) सेना में अधिकारियों को कितनी आयु होने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है अधिकारियों को निर्धारित आयू के होने से पहले ही अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1967 में कितने अधिकारियों को सेवा निवृत किया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सेना के विभिन्न अंगों और सेवाओं में अफसरों के विभिन्न वर्गों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए आयु सीमाओं और कई उच्चतर पदों में नियुक्ति की अवधि के नियम, कि जिनकी सम्पूर्ति के पश्चात् अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु से पहले ही रिटायर कर दिया जाता है, 1967–68 वर्ष की रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के 127 से 131 पृष्ठों पर दिए गए है।

(ख) जी हां । ऐसे मामले किन्हीं पद विशेषों से सेवावधि की सम्पूर्ति पर पैदा होते हैं या अयोग्यता, अनुशासन या डाक्टरी अयोग्यता के कारणों वश समय से पहले सेवा की समाप्ति पर।

(ग) 41

रेडियो देहाती फोरम

10156. श्री राजदेव सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांवों के साथ सम्पर्क बनाये रखने के लिये 10,000 रेडियो देहाती फोरम स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या फोरमों के कार्यकरण के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्यक्रम के विस्तार के साथ-साथ निकट भविष्य में ऐसा करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 31 दिसम्बर, 1967 को 15, रेडियो ग्रामीण फोरम थे।

(ख) जी हां, अमरनाथ विद्यालंकार के नेतृत्व में योजना प्रचार पर अध्ययन दल ने रेडियो ग्रामीण फोरम का पूर्ण सूचना योजना के एक भाग के रूप में मुल्यांकन किया और दल इस परिणाम पर पहुंचा कि "इसमें सन्देह नहीं कि फोरमों का ग्रामीण जीवन पर आम असर होता है, विशेषकर खेती और इससे सम्बन्धित चीजों के प्रगतिशील तरीकों के प्रचलन के बारे में" विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के द्वारा कई अन्य अध्ययनों ने भी रेडियो ग्रामीण फोरमों के द्वारा ग्रामीणों को शिक्षित और प्रेरित करने के बारे में कहा। युनेस्को, एफ-ए-ओ तथा एकेफ आदि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी यह सिफारिश की है कि अन्य विकासशील देशों को भी यह फोरम योजना अपनानी चाहिए । हमारे देश में ही कई राज्यों ने चतुर्थ पंच वर्षी योजना के दौरान इस योजना का विस्तार करने की योजना बनाई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नागालैंड शांति पर्यवेक्षकों के साथ बैठक

10157. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री अदिचन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 24 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8348 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छिपे नागाओं तथा शान्ति पर्यवेक्षक दल की बैठक के परिणाम का ब्योरा प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस क़रार में प्रमुखत: निम्नलिखित बातें आती हैं :—

1. इस बात का स्पष्ट आश्वासन है कि दोनों पक्ष कार्रवाई बन्द रखने से सम्बद्ध क़रार की शर्तों का सम्मान करेंगे ।

2. छिपे नागाओं ने इस बात की पुष्टि की है कि इस क़रार का सम्मान करने में उनका यह आश्वासन भी शामिल है कि वे (छिपे नागा) दूसरे देशों से हथियार और गोला-बारूद आदि का आयात नहीं करेंगे ।

3. शीघ्र क्रियान्वयन का सुनिश्चय करने के लिए दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हुए कि कार्रवाई बन्द रखने से सम्बद्ध क़रार विषयक मामलों में वे नागालैण्ड शांति पर्यवेक्षक दल के सर्वसम्मत निर्णयों को स्वीकार करेंगे ।

4. मोकोकचुंग और तुएनसांग में दो शांति उपकेन्द्र खोलने पर भी सहमति हुई थी ।

5. यह भी निश्चय किया गया था कि छिपे नागा कर्मचारियों के मामलों पर पुलिस की हिरासत में विचार किया जाएगा ।

भारत सरकार इन निर्णयों का स्वागत करती है । जहां तक उसका सवाल है उसने हमेशा ही इस क़रार की शर्तों का पालन किया है और वह आशा करती है कि छिपे नागा भी अपनी बात निभाएंगे ।

नायलोन कपड़ा

10158. श्री स० कंडप्पन :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री वि० परसिम्हा राव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री प्र० के० सिंह देव :
श्री नन्दकुमार सोमानी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नायलोन कपड़े से आदमी गिराने के पैराशूट बना सकता है;

(ख) इस प्रयोजन के लिये नायलोन कपड़े की अनुमानत: कितनी मांग है;

(ग) देश में उत्पादन से वह कहां तक पूरी होती है; और

(घ) उपरोक्त प्रयोजन के लिये पिछले तीन वर्षों में कुल कितना तथा कितने मूल्य के नायलोन कपड़े का आयात किया गया था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) से (घ): नाईलोन कपड़े की मांग पैराशूटों के लिए मांग पर निर्भर है। इस उद्देश्य के लिए नाईलोन कपड़े की मांग प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

विदेशी समाचार अभिकरण

10159. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कुल कितने विदेशी समाचार अभिकरण हैं जिनमें भारतीय काम करते हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, 16 विदेशी समाचार एजेंसियों, जिन्हें पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रत्यायन सुविधाएं दी हुई हैं, भारत में काम कर रही है। एक विवरण जिसमें इनका ब्योरा दिया हुआ है, सदन की मेज़ पर रख दिया गया है। उनमें कितने भारतीय काम कर रहे हैं इसके बारे में सरकार के पास जानकारी नहीं है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1234/68]**

भारतीय चलचित्र संस्था का विदेशों के साथ सम्पर्क

10160. श्री राजदेव सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह विचार कर रही है कि भारतीय चलचित्र संस्था को अन्य उन्नत देशों की ऐसी ही संस्थाओं के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करना चाहिये, ताकि उसे पता चलता रहे कि अन्य देशों की ऐसी ही संस्थाओं में क्या कार्य किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार भारतीय संस्कृति के अनूरूप पाठ्यक्रम में सुधार करने तथा अन्य विदेशी संस्थाओं की तरह पाठ्य को लम्बा करना व्यावहारिक समझती है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। भारतीय फ़िल्म संस्थान पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क केन्द्र सिनेमा और टेलीविज़न स्कूल पैरिस का सदस्य है जिससे विश्व के सभी सिनेमा स्कूल सम्बद्ध हैं।

(ख) भारतीय फ़िल्म संस्थान के पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए समय-समय पर विचार किया जाता है। तथापि, पाठ्यक्रम को लम्बा करना फ़िलहाल उचित नहीं समझा जाता।

चीनी परमाणु प्रक्षेपणास्त्र

10161. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री अंबचेजियान :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री रा० बरुआ :**
श्री अ० सि० सहगल : **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया :**
श्री म० ला० सोंधी : **श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन अपने परमाणु प्रेक्षेपणास्त्रों को ताइवान के सामने म्यूकी प्रान्त में तथा तिब्बत में स्थापित करेगा, जिनका लक्ष्य सम्भावतः भारत होगा;

(ख) यदि हां तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (ग): सरकार ने न्यूयार्क टाईम्ज़ में दिए गए समाचार पर आधारित समाचार पत्रों में कई परिकल्पित रिपोर्टें देखी हैं, परन्तु उनकी पुष्टि करना या झुटला पाना संभव नहीं होगा।

चीन की नाभीकीय क्षमता के विकास और उसके अपनी रक्षा पर प्रतिकार को पुनरीक्षण अधीन रखा जाता है।

आकाशवाणी में तकनीकी सहायक

10162. **श्री अब्दुल ग़नी दार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले आकाशवाणी में तकनीकी सहयकों के पदों को सहायक इंजीनियरों के पदों में मिला दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि तकनीकी सहायकों के पुराने वेतनक्रम में वही पद वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक के नये पद नाम में बनाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो आकाशवाणी में इस तरह के विलय तथा उसी केडर तथा वेतनक्रम को पुनः आरम्भ करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां; 1 जुलाई, 1959 से।

(ख) जी, नहीं। आकाशवाणी के इंजीनियरी प्रभाग के पुनगर्ठन के अंग के रूप में सीनियर इंजीनियरी सहायक के पद नवम्बर, 1966 से बनाये गये थे। इन पदों के लिये जो कार्य और अर्हताएं निर्धारित हैं वे भिन्न हैं।

(ग) (1) दोनों प्रकार के पदों का विलय इसलिये किया गया क्योंकि उनके कर्तव्य और शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें एक जैसी थी।

(2) तकनीकी सहायक का ग्रेड फिर से लागू किया गया है।

आकाशवाणी में राजपत्रित तकनीकी अधिकारियों के पद

10163. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में 1962 के बाद राजपत्रित तकनीकी अधिकारियों के कुल कितने पद बनाये गये हैं;

(ख) 1962–68 में श्रेणी 3 के तकनीकी कर्मचारियों (जिनमें इंजीनियरी सहायक शामिल नहीं हैं) के कुल कितने पद बनाये गये; और

(ग) ऊंचे तथा निचले तकनीकी संवर्गों के पद बनाने के बारे में आकाशवाणी मे क्या अनुपात निर्धारित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : इस धारणा के आधार पर कि तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों से अर्थ उन अधिकारियों और स्टाफ से है जो आकाशवाणी के इंजीनियरी क्षेत्र में काम करते हैं, सूचना इस प्रकार :—

(क) 1963 से मार्च, 1968 तक, सहायक केन्द्र इंजीनियरी के 110 पद, जो इन पदों की संख्या के बराबर ही सहायक इंजीनियरों के पदों के बदले बनाये गये थे। कुल मिलाकर 276 पद बनाये गये । इस प्रकार वास्तविक रूप में 166 पद बनाये गये ।

(ख) 152 पद ।

(ग) आकाशवाणी में ऊंचे और निचले तकनीकी संवर्गों के पद बनाने के बारे में कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया जाता । किस प्रकार का काम है और विभिन्न स्तरों पर कार्यभार कितना है, इसको देखते हुए विभिन्न तकनीकी संवर्गों में वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पद बनाये जाते हैं ।

रामलीला दल को अंदमान और नीकोबार द्वीप समूह में भेजना

10163–क. श्रीणेश : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1967 में एक राम लीला दल अन्दमान और निकोब र द्वीप समूह में भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) उस दल पर कितना धन व्यय किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय समन्वय के लिए गीत तथा नाटक प्रभाग की सामान्य गतिविधियों के अंग के रूप में ।

(ग) 36,687 रुपए 37 पैसे ।

Land for Ex-Servicemen in Delhi

10163-B. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Defence be pleased to state

(*a*) whether Government propose to allot lands for cultivation and houses to ex-Servicemen in the Capital ; and

(b) if so, the names of the places where and the basis on which lands and houses would be allotted to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) Yes, Sir.

(b) A proposal is under consideration to allot about 100 to 200 acres of land to a Cooperative Society of Ex-Servicemen for cultivation, at a site yet to be decided. Also applications are being considered by the Gaon Panchayats for leasing out Gaon Sabha land on lease for cultivation for a period not exceeding three to four years. So far land has been leased out to 4 ex-servicemen. As regards lands for housing, Government have recently decided to allot land not exceeding 400 acres in Pitampura and Narela to the Sainik Cooperative House Building Society, Delhi, for construction of residences for service personnel. In addition to this, 24 flats have been constructed at Naraina for ex-servicemen.

Ordnance Factory, Muradnagar

10163.-C Shri Nihal Singh : Will the Minister of Defence be pleaseed to state :

(a) the acreage of land on which the Ordnance Factory in Muradnagar, Uttar Pradesh has been set up and the acreage of land lying unused;

(b) the number of years for which it has been lying unused and the names of the products grown on the said land, if any, and the amount for which this land has been given on lease during each of the last five years;

(c) whether Government have paid the amount in full to the farmers from whom the land was purchased and if not, the reasons therefor; and

(d) the time by which the said payment would be made to the farmers ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Painters at Hindon Airport

10163-D Shri Nihal Singh : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the painters taken from the Army and employed in the Hindon Airport, Ghaziabad have sent complaints to Government to the effect that they are being paid less salary; and

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b) No such complaints have been received by Government. However, it has been ascertained that an application was received by the Commander, Air Force Station, Hindon from one painter who had been given alternative employment in the Air Force, after having been declared surplus in an Army unit. The application is under examination of the local administrative authorities in consultation with the audit authorities concerned.

पाकिस्तान जाने वाले भारतीय लोगों को दिये गये वीजा

10163-ङ. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन भारतीय लोगों को पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जाती है उनको पाकिस्तान द्वारा कितने प्रकार के वीजा दिये जाते हैं;

(ख) क्या भारत सरकार या पाकिस्तान की सरकार सम्पत्ति पालिक या पेंशनभोगी व्यक्ति के मामले में कोई प्रतिबंध लगाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जहां तक भारत सरकार को मालूम है, 1965 की लड़ाई के बाद से पाकिस्तान भारतीयों को पाकिस्तान जाने के लिए थोड़े समय की यात्रा के 'सी' वर्ग के वीजा ही देता है, इसके अलावा तो वह 'डी' वर्ग के ही वीजा और देता है जो कि पाकिस्तान स्थित भारतीय मिशनों में जाने वाले राजनयिकों और कर्मचारियों को ही दिए जाते हैं। दूसरे वर्गों के वीजा नहीं दिए जा रहे हैं।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने पाकिस्तानी संपत्तिमालिकों को अथवा पेंशन पाने वालों को वीजा देने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। इस तरह के मामलों में भारतीय राष्ट्रिकों को वीजा देने के बारे में पाकिस्तान सरकार की नीति ज्ञात नहीं है।

———

अविलम्बनीय लौक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTLNTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हरियाणा के इंजीनियरों द्वारा पुलिस की सहायता से उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों से गुड़गांव नहर हैडवर्क्स का बलपूर्वक कब्जा लिये जाने का समाचार

श्री तुलशी दास जाधव (बारामती) : **मैं सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"हरियाणा के इंजिनियरों द्वारा पुलिस की सहायता से उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों से गुड़गांव नहर हैडवकर्स का बलपूर्वक कब्जा लिये जाने का समाचार"

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : 6 मई, 1968 को गुड़गांव नहर स्थायी हैड-वर्क्स पर हुए सूचित झगड़े को समझने के लिए यह आवश्यक है कि गुड़गांव नहर परियोजना की मुख्य बातों का पता हो। भाखड़ा नहरों, यमुना नदी तथा आगरा नहर का प्रयोग करते हुए गुड़गांव नहर भाखड़ा प्रणाली से पानी लेती है।

आगरा नहर, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पूर्व ओखला-हैडवर्क्स से आरम्भ होकर दिल्ली के क्षेत्र में 6 मील तक गुजरती हुई हरियाणा में दाखिल होती है और 44 मील तक इस राज्य में प्रवाहित होती है। यह नहर 1874 में चालू हुई थी और तब से यह उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं देने के निमित्त बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। हरियाणा में यह नहर 60,000 एकड़ तथा उत्तर प्रदेश में 4 लाख एकड़ में पानी की सप्लाई करती है।

सन् 1961 में पंजाब सरकार ने गुड़गांव नहर परियोजना तैयार की थी। भाखड़ा परियोजना का जल दिल्ली के लगभग 80 मील प्रतिस्रोत करनाल के निकट यमुना नदी में डाला जाता है और ओखला में रोक कर आगरा नहर में डाल दिया जाता है। गुड़गांव

जिले में 2.5 लाख एकड़ भूमि की तथा राजस्थान के भरतपुर जिले में 60,000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए आगरा नहर के पांचवें मील पर गुड़गांव नहर को दायीं ओर से निकालना है।

गुड़गांव नहर पहले दस मीलों को छोड़कर लगभग पूर्ण हो चुकी है। इन पहले दस मीलों में एक करोड़ रुपये की लागत के कार्य अभी किए जाने हैं। इस कार्य को पूर्ण होने में और 2 वर्ष लग सकते हैं। गुड़गांव नहर के आंशिक निर्माण से भी फायदा उठाने के लिए केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के सिंचाई व बिजली मन्त्रियों से जनवरी, 1966 में विचार-विमर्श किया और एक फैसले पर पहुंच गए। इस फैसले के अनुसार हरियाणा को आगरा नहर से 5वें मील की बजाये 15वें मील पर अस्थाई तौर पर पानी लेना है किन्तु उसे गुड़गांव नहर के पहले 10 मीलों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। इसके अनुसार, हरियाणा जैसे पहले कहा गया है, यमुना में पानी के पड़ने के बाद आगरा नहर के 15वें मील से गुड़गांव नहर में से 200 क्यूसक पानी ले रहा है। इस पानी को हरियाणा में 30,000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।

गुड़गांव नहर परियोजना में दो नई शाखाएं नामशः चैन्सा और रामपुर शामिल हैं जिनसे हरियाणा में क्रमशः 49,000 और 27,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी। ये शाखाएं गुड़गांव नहर के बांए किनारे से निकलेंगी और क्रमशः 9वें तथा 15वें मील पर आगरा नहर को उपयुक्त चिनाई संरचनाओं से पार करेंगी तथा आगरा नहर के बाईं ओर पड़ने वाली भूमि की सिंचाई करेंगी।

जनवरी, 1966 में हुई बैठक में यह मान लिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार सीधे आगरा नहर से निकलने वाली दो शाखाओं के लिये अपेक्षित जल तब तक देगी जब तक कि गुड़गांव नहर की पहली पहुंच पूरी नहीं हो जाती। यह प्रबन्ध इस बात पर निर्भर था कि हरियाणा सरकार जैसा कि ऊपर कहा गया है, 9वें और 15वें मील पर आगरा नहर पर स्थाई क्रास चिनाई संरचनाओं के निर्माण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को खर्चा देगी। हरियाणा ने यह खर्चा नहीं दिया है और संरचनाएं अभी तक बननी शुरू नहीं हुईं।

इस बीच हरियाणा ने चैन्सा और रामपुर दो नई शाखाओं को बना लिया और उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की इजाजत मांगी कि वे उन्हें अस्थाई तौर पर सीधे रूप से पानी लेने के लिये आगरा नहर से मिलने वाली छोटी-छोटी नालियां बना लेंने दें। यह मान लिया गया। किन्तु उत्तर प्रदेश के मुख्य इन्जीनियर ने इस बात पर जोर दिया कि स्थाई प्रबन्धों सम्बन्धी कार्य को भी इसके साथ ही शुरू कर देना चाहिए और इसके लिए उसने यह इच्छा प्रकट की कि हरियाणा 1966 में हुए करार के मुताबिक संरचनाओं की लागत को जमा कर दें। 27 अप्रैल, 1968 को उत्तरप्रदेश के अधिशासी इन्जीनियर ने यह मान लिया कि हरियाणा अधिकारियों द्वारा सम्पर्क नालियों की खुदाई की जाए और कि वह अपने सुझावों को मुख्य इन्जीनियर की स्वीकृति के लिये भेज दें। हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने इस मंजूरी के पहले ही कार्य शुरू कर दिया।

4 मई, 1968 को उत्तर प्रदेश के मुख्य इन्जीनियर ने स्थल का निरीक्षण किया और कार्य को बन्द करा दिया क्योंकि हरियाणा ने चिनाई की स्थाई क्रास संरचनाओं की लागत

[डा० कु० ल० राव]

की अदायगी के लिये कोई कार्यवाही नहीं की थी। 5 तारीख की रात को लगभग 8 बजे, हरियाणा के अधिकारियों ने पुनः कार्य आरम्भ कर दिया। 6 तारीख की प्रातः को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने इसका विरोध किया और हरियाणा के स्थानीय अधिकारियों ने हिफाजती तौर पर पुलीस बुला ली। यह भी आरोप लगाया गया है कि गुड़गांव नहर में पानी की सप्लाई में बाधा डाली गई।

जब उत्तर प्रदेश के सिंचाई व बिजली विभाग के सचिव ने यह मामला मेरे ध्यान में लाया, मैंने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के एक सदस्य को घटना स्थल पर जाने और मामले की जांच करने के लिये कहा। कार्य 7 तारीख की प्रातः से बन्द कर दिया गया।

7 मई को मैंने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य इन्जीनियरों, उत्तर प्रदेश के सिंचाई व बिजली विभाग के संयुक्त सचिव और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें निम्नलिखित फैसले किये गए :—

(1) चैन्सा तथा रामपुर शाखाओं को अस्थाई कनेक्शन देने के लिय हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश को शीघ्र ही 50,000 रुपये की राशि दे। यह कार्य उत्तर प्रदेश के इन्जीनियरों को करना चाहिये और इस मास के अन्त तक पूरा करना चाहिए;

(2) अगले दो मास के अन्दर स्थायी कार्य के लिये डिजाइन केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की सलाह से पूरे कर लिये जाएं। इस बीच स्थायी कार्यों के लिये 3 लाख रुपये की राशि हरियाणा को उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस मास के अन्त तक जमा कर देनी चाहिए।

यह दुर्भाग्य ही है कि ऐसी घटना घटी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि इस मामले पर अब पूर्ण समझौता हो चुका है। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि वे इस कार्य को कार्यान्वित करने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। उन्होंने इस बात का भी विश्वास दिलाया है कि वे गुड़गांव नहर परियोजना के अन्तर्गत नई भूमियों की सिंचाई के हेतु जल देने के लिये आगरा नहर के सुचारू प्रचालन को सुनिश्चित कर देंगे।

Shri Tulsidas Jadhav : This particular water dispute has been pending since long and considering the fact that it was not being settled, the Central Government should have interfered and get it settled by this time. There are similar disputes in other States as well such as the one between Maharashtra, Mysore and Andhra. In all such cases Government should take suitable steps to settle the disputes amicably. I would also like to know as to why no steps have been taken to realise the amount due from Haryana which that State owed to Uttar Pradesh ?

डा० कु० ल० राव : इस मामले में पानी के बारे में कोई विवाद नहीं था। वास्तव में उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में परस्पर काफी सहयोग है। प्रश्न केवल यह था कि हरियाणा ने धनराशि की अदायगी नहीं की थी। हरियाणा धन की कमी के कारण धन की अदायगी स्थगित करना चाहता था। केवल हाल ही में वहां कुछ मामूली सी गड़बड़ हुई। जब हमें उनकी जानकारी मिली तो कुछ ही घण्टों में ही उस समस्या का समाधान कर दिया गया।

Shri Ram Charan (Khurja) : Central Government is responsible for the aforesaid incident in as much as it was used as an election stand for which they tried to involve the two States. The Government should appoint an Enquiry Commission which should go into this incident.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी): इस मामले में उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने ऐसा व्यवहार किया है कि मानों वे दोनों स्वतंत्र राज्य हों। क्या सरकार ने उन्हें इस प्रकार के व्यवहार के सम्बन्ध में चेतावनी दी है ?

डा० कु० ल० राव : इस विशिष्ट मामले के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति पैदा हो गई है। अन्यथा इस में कोई ऐसी बात नहीं है।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : This dispute is due to lack of water supply. I want to known as to why the implementation of Kishan Project was postponed and by what time the same will be taken up so that Uttar Pradesh, Haryana, Delhi and Rajasthan have no cause to quarrel in future. Judicial enquiry should be held in the conduct of Government officials involved in this incident.

डा० कु० ल० राव : किशाऊ परियोजना के बारे में छानबीन इस समय हो रही है। यह एक काफी बड़ी योजना है, अतः मैं यह नहीं कह सकता कि इस योजना को चौथी योजना में क्रियान्वित किया जा सकेगा। क्योंकि चौथी योजना में वही परियोजनाएं ली जा रही हैं जिनके सम्बन्ध में काम शुरू हो चुका है।

दूसरी बात यह है कि इस मामले में वास्तव में पानी का कोई विवाद नहीं है। हरियाणा की जनता भाखड़ा से पानी प्राप्त कर रही है और आगरा नहर तथा यमुना नदी के पानी का भी प्रयोग कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने हरियाणा के साथ पूरा-पूरा सहयोग किया है। समस्या केवल पानी के वितरण के लिये पाइप जोड़ने की है, बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी कहते हैं कि स्थायी व्यवस्था के लिये हरियाणा सरकार धन दे क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि यदि अस्थायी व्यवस्था चलती रही तो हरियाणा कभी भी स्थायी व्यवस्था नहीं करेगा। केवल इतनी सी बात है।

Shri Molahu Prasad : May I know the reason as to why Kishau Dam Project has been postponed and the difficulty in taking it up ?

डा० कु० ल० राव : किशाऊ परियोजना विचाराधीन है। इस पर काफी लागत आयेगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The relations between the two neighbour States Haryana and U.P. State have been cordial but in this matter they have not behaved in the proper manner. It was not proper for the engineers of Haryana to take such a serious action under police protection. An impartial enquiry should be held against the engineer responsible for this action. Government should assure this House that such an enquiry would be held. So that we may find out the man behind this incident.

डा० कु० ल० राव : नहर पूरी बन चुकी है। केवल उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र अभी बाकी है। पानी का कोई विवाद नहीं है। नहर का यह भाग भी अब पूरा हो जायेगा।

[डा० कु० ल० राव]

बात केवल धन की अदायगी तथा रामपुर और उन दो नहरों के कनैक्शन देने की है। इस में कोई असाधारण बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा रखूंगा।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAERS LAIE ON THE TABLE

उत्तर प्रदेश नगर महापालिकायें (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 12)

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): श्री सत्यानारायण सिंह की ओर से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिकायें (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 12) की एक प्रति जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1205/68]**

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सभा को राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

राज्य-सभा ने अपनी 29 अप्रैल 1968 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि 1 मई, 1968 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रल, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक-सभा की लोक-लैखा समिति से सहयोजित करने के लिये राज्य-सभा के सात सदस्यों को नाम निर्देशित किया जाये और राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित किये गये हैं, सूचित भी किये :—

(1) श्री अरुण प्रकाश चटर्जी
(2) श्री किजेडथ दामोदरन
(3) श्री मोहन मानिकचंद धारिया
(4) प्रोफैसर शान्ति लाल कोठारी
(5) श्री एस० एस० मारिस्वामी
(6) श्री एन० आर० मुनिस्वामी
(7) श्री तारकेश्वर पाण्डेय

सदस्यों की दोष सिद्धि

Conviction of Members

अध्यक्ष महोदय : मुझे गाजियाबाद के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्राप्त दिनांक 7 मई, 1968 के एक तार की सूचना सभा को देनी है जिसमें बताया गया कि लोक-सभा सदस्य श्रीमती गंगा देवी और सुन्दर लाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447 के अन्तर्गत एक अपराध में 7 मई, 1968 को दोष सिद्ध किया गया और पांच सौ रुपये का जुर्माना अदा करने की सज़ा प्रत्येक को दी गई या जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को तीन महीने के कठोर कारावास की सज़ा दी गई है। इन सदस्यों पर किये गये जुर्माने की अदायगी के लिये दस दिन का समय देने की उनकी प्रार्थना स्वीकार किये जाने के शीघ्र बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है ।

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति

Committee on Private Member's Bills and Resolutions

इकत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इकत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

8 मई, 1968 को आसाम के पुनर्गठन के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

Statement By Home Minister on the 8th May 1968, regarding reorganisation of Assam.

6 मई, 1968 'स्टेट्समैन' में मैं ने एक समाचार पढ़ा था कि मंत्रिमंडल की आन्तरिक कार्य समिति ने आसाम के पुनर्गठन के लिये एक सूत्र की स्वीकृति दे दी है जिस में पहाड़ी जिलों को उपसंघ का दर्जा देने की कल्पना की गई है । इस प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार करती रही है । इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ दिन पहले आन्तरिक काय समिति की एक बैठक में इस मामले पर विचार किया गया था । परन्तु समिति ने किसी सूत्र विशेष का अनुमोदन नहीं किया है, वस्तुतः यह मामला मंत्रिमंडल के विचाराधीन है ।

आसाम के पुनर्गठन के बारे में हमने 27 नवम्बर, 1967 को संसद में दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था । हम इस बात पर सहमत हो गये थे कि यह प्रश्न बड़ा कठिन और राष्ट्रीय हित में सन्तोषजनक समाधान ढूंढने के लिये निरन्तर प्रयास करने चाहिये । हम इस सम्बन्ध में निरन्तर प्रयास करते रहे हैं और अब इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जाने वाला है । मैं इतना कह देना चाहता हूं कि अब तक 'उपसंघ' शब्द का विचार हमारे मस्तिष्क में नहीं आया है और सरकार ने किसी सूत्र विशेष का अनुमोदन नहीं किया है ।

अनपर्ती स्टेशन पर रेल दुर्घटना

Railway Accident At Anaparti.

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सूचना मिली है कि आज सबेरे लगभग 01.48 बज दक्षिण-मध्य रेलवे में राजमंड्री-वालटेर खण्ड के अनपर्ति स्टेशन पर 38 डाउन मद्रास-हावड़ा जनता एक्सप्रैस गाड़ी की एक डाउन-माल-गाड़ी के पिछले भाग से टक्कर हो गयी। इस टक्कर के कारण 38 डाउन जनता एक्सप्रेस गाड़ी का इंजन और उसके पीछे लगा हुआ पार्सल यान पटरी से उत्तर कर उलट गये और माल गाड़ी का ब्रेक-यान और पीछे लगा हुआ माल डिब्बा पटरी से उतर गये। माल गाड़ी के दो और माल डिब्बे भी पटरी से उतर गये। 38 डाउन जनता एक्सप्रैस का ड्राइवर और एक फायरमैन मारे गये। माल गाड़ी का गार्ड और एक अन्य रेल कर्मचारी भी दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मारे गये।

38 डाउन जनता एक्सप्रैस गाड़ी में सफर करने वाले लगभग 27 यात्रियों को मामूली चोटें पहुंची। 38 डाउन जनता एक्सप्रेस के द्वितीय फायरमैन को गम्भीर चोटें पहुचीं हैं और उसे राजमंड्री अस्पताल में ले जाया गया है।

दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अन्य रेल अधिकारियों के साथ घटनास्थल के लिए चल पड़े हैं।

दुर्घटना के कारण की जाँच की जा रही है।

केन्द्रीय विधियाँ (जम्मू तथा कश्मीर पर विस्तार) विधेयक—**जारी**

Central Laws (Extension to Jammu and Kashmir Bill)

श्री हो० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): पहले मेरा विचार इस चर्चा में भाग लेने का नहीं था परन्तु बाद में कुछ ऐसे वक्तव्य दिये गये थे कि मैं ने इस चर्चा में

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. Deputy Speaker *in the Chair.*

भाग लेना उचित समझा। हम सब काश्मीर समस्या का कोई समाधान चाहते हैं परन्तु केवल घोषणाओं से काम नहीं चलता। हमें इस समस्या के समाधान के लिये पूरी ज़िम्मेदारी से काम लेना चाहिये। मेरा विचार यह है कि जब तक काश्मीर की जनता यह नहीं महसूस करती कि भारत उनका है तब तक यह कहने का कोई लाभ नहीं होगा कि काश्मीर भारत का है। शेख अब्दुल्ला ने कुछ उत्तेजनात्मक वक्तव्य दिये हैं परन्तु हमें उनके व्यक्तित्व को समझना चाहिये। उन्होंने हमारे देश की बहुत सेवा की है। शेख अब्दुल्ला की उपस्थिति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सरकार को इस समस्या के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

यह कहना उचित नहीं कि सितम्बर 1965 में पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण के

दौरान केवल हिन्दू दौर था। वर्ष 1947 में ब्रिगेडियर उसमान तथा वर्ष 1965 में हविल्दार अब्दुल हमीद खान के बलिदान को भूल नहीं सकते।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen hours of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER *In the Chair.*]

श्री ही० ना० मुकर्जी : हमारे देश में अनेकता में एकता परिलक्षित होती है। काश्मीर के बारे में ऐसा निर्णय किया जाना चाहिए जो पाकिस्तान को भी स्वीकार्य हो। इस बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं कि काश्मीर में आत्म निर्णय के अधिकार का प्रयोग पहले ही किया जा चुका है और अब यह बात समाप्त हो गई है। वास्तव में हमें परस्पर मिलकर इस समस्या के समाधान के लिये व्यवहारिक उपाय ढूंढने चाहिये। वास्तव में, हम चाहें या नहीं, काश्मीर का मामला विश्व का मामला बन गया है। हमें बार-बार एक ही बात को नहीं दोहराते रहना चाहिये कि काश्मीर समस्या का समाधान हो चुका है।

सत्याग्रहियों पर तथाकथित लाठी प्रहार के बारे में

Re. Alleged Lathi Charge on Satyagrahis.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : We have seen the peaceful satyagrahis being lathi charged just an hour before and as a result thereof many people were injured. Two former Ministers of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh were humiliated. I condemn the police excesses. I request the hon'ble Home Minister to make a statement on this subject. I also demand judicial enquiry in the matter

Shri Madhu Limaye : I request to adjourn the discussion on the Bill introduced by Shri Vidya Charan Shukla so that we may discuss this matter in the House in which police excesses have taken place.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के बाहर जो कुछ हुआ है उससे सभा की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। यदि किसी मामले की सूचना गृह-मंत्री को दी जाती है तो वह उचित तरीके से दी जा सकती है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली पुलिस केन्द्रीय सरकार के अधीन है। अतः गृह-मंत्री को इस मामले की जांच करवानी चाहिये तथा सभा में एक वक्तव्य देना चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The charges levelled by Shri Kanwar Lal Gupta are very serious and hon'ble Home Minister should make a statement on this subject.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ये बातें ठीक हैं तो उनका पता लगाया जायेगा । यह केवल एक पक्ष का कथन है ।

केन्द्रीय विधियां (जम्मू तथा कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक—जारी

Central Laws (Extension to Jammu and Kashmir) Bill—*contd.*

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : इस विधेयक में काश्मीर पर कुछ केन्द्रीय अधिनियमों के विस्तारण की व्यवस्था है, जिसका मैं स्वागत करता हूं । मैं इस बात से भी प्रसन्न हूं कि 'जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सिवाय' शब्दों को कुछ केन्द्रीय अधिनियमों से निकाला जा रहा है, यदि ये शब्द निकाल दिये जायें तो ये अधिनियम अपने आप ही कश्मीर पर लागू हो जायेंगे । सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये । इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 370 का मामला उठाया गया है । इस सम्बन्ध में स्व० प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि इस अनुच्छेद का धीरे-धीरे ह्रास किया जायेगा । इस विचार से भी यह विधेयक उचित ही है । सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है । कश्मीर को सरस्वती की पीठभूमि कहा गया है ।

कश्मीर के मामले में कश्मीरियों के दृष्टिकोण के बारे में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिये ।

यह कहा गया है कि हमें कश्मीर केवल एक घरेलू मामला नहीं समझना चाहिये । इस सम्बन्ध में पं० नेहरू ने कहा था "मैं अपने खून के अन्तिम कतरे तक कश्मीर को अन्तर्राष्ट्रीय गुन्डागर्दी का अड्डा बनाये जाने का विरोध करूंगा ।" हम अब भी इसी स्थिति पर सुदृढ़ हैं और इसे इसी प्रकार बनाये रखेंगे ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Indian Government always adopted a wrong policy in the case of Kashmir. When this state was emerged with India, the Government promised to give it a special states. It is the main cause of trouble.

Sheikh Abdulla has always been giving an objectionable statement. Although he was arrested thrice yet he was released everytime under pressure.

The recent statement given the Sheikh should be seriously considered. Pro-Sheikh papers are agitating openly in the state against the Indian Government. Severe action should be taken against them. As a result of it the communal tension in the state has increased a lot.

The case of Permeshwari Handu is still pending in the Court. Immediate decision should be taken in this matter. But nothing has been done in this matter. As a result of it the Hindu people residing in the Kashmir Valley are considering themselves to be unsafe.

Kashmir is an integral part of India. Therefore, all the laws applicable to the other States of the country should also be applicable to Kashmir.

Article 370 should be abolished. A new and bigger state should be created and Jammu, Ladhak and Kashmir Valley should be included in it. So that it may be useful for the safety of the country.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : विधेयक का सम्बन्ध कुछ केन्द्रीय विधियों को जम्मू और कश्मीर पर लागू करना है। इस बारे में कोई विरोध नहीं किया गया है। कुछ सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि यह कुछ कानूनों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि समस्त कानूनों को उस राज्य पर लागू किया जाना चाहिये।

जहां तक कश्मीर के सामान्य प्रश्नों का सम्बन्ध है, स्थिति बहुत स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कश्मीर के मामले को हम विवादग्रस्त राज्य क्षेत्र नहीं समझते। हम कश्मीर को ऐसा क्षेत्र भी नहीं समझते कि जिसके सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया जा सके कि यह भारत का अंग नहीं है। हमारी ऐसी स्थिति है और हम इस स्थिति से कभी भी नहीं हटना चाहते।

यह कहा गया है कि कश्मीर की समस्या का समाधान करते समय हमें काश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये और यह पता लगाया जाना चाहिये कि क्या वे भारतीय क्षेत्र में प्रसन्न हैं अथवा नहीं। यदि जम्मू और कश्मीर के लोगों की निष्ठा या देश भक्ति पर शक है तो उसे समाप्त किया जाना चाहिये। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में जम्मू तथा कश्मीर के लोगों ने भारत की कार्यवाही और पाकिस्तान के विरुद्ध हमारे युद्ध प्रयासों का पूरा समर्थन किया।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि कश्मीर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में भारत का अभिन्न अंग बना है। इन्हीं विशेष परिस्थितियों के ही कारण संविधान में कुछ विशेष उपबन्ध किये गये हैं। वहां पर धीरे-धीरे हमारे कानूनों को लागू किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वहां पर असाधारण परिस्थितियां हैं। अतः जम्मू तथा कश्मीर के मामलों पर विचार विमर्श करते समय काफी विवेक की आवश्यकता है। कश्मीर का भविष्य निश्चित किया जा चुका है और अब इस प्रश्न को फिर से उठाया नहीं जा सकता।

जम्मू और कश्मीर में हुए चुनावों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतें देश के अन्य भागों से भी प्राप्त हुई होंगी। कश्मीर के मामले में इन शिकायतों को उछाला गया है। जम्मू तथा कश्मीर में अनेक चुनाव याचिकायें दायर की गई हैं और प्रस्तुत जानकारी के अनुसार दायर की गई सभी चुनाव याचिकाओं का फैसला उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान उम्मीदवारों के पक्ष में किया गया है। यदि कुछ अनियमितता होती तो उच्च न्यायालय उस चुनाव को रद्द कर सकता था। अतः यह स्वीकार करना होगा कि देश के अन्य भागों की तरह जम्मू तथा कश्मीर में भी चुनाव निष्पक्ष ढंग से हुए।

सुझाव दिया गया है कि शेख अब्दुल्ला के साथ समझौते के लिये बातचीत की जानी चाहिये। मैं नहीं जानता कि शेख अब्दुल्ला के साथ क्या बात-चीत की जानी चाहिये और शेख अब्दुल्ला के साथ बात-चीत करने के बारे में क्या औचित्य है। उनके अपने विचार हैं जो देश को विदित हैं और हमारे अपने विचार हैं जिससे देश परिचित है। यदि इन बातों को ध्यान में रखते हुए भी कोई बातचीत की गई तो वह कश्मीर और देश

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

के हित में नहीं होगी, मेरे विचार से मामला फिर से नहीं उठाया जा सकता । मुझे आशा है सभा सरकार के विचार से सहमत होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि कतिपय विधियों के जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर विस्तारण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर खण्डवार चर्चा करेंगे ।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण): मैं संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Prakash Vir Shastri : I beg to move amendment No. 20.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) : जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कश्मीर का अपना विशेष स्थान है ।

चाहे कुछ भी कठिनाइयां हों नागालैंड भारत का अंग है । इसी प्रकार कश्मीर भी भारत का अंग है और उसका भारत के राज्यों के परिवार में अभूतपूर्व स्थान है ।

श्री मधोक का संशोधन तर्कपूर्ण है फिर भी समझ में नहीं आता कि इस सम्बन्ध में विभेद को क्या बरता गया है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मैं श्री मधोक से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन पर जोर न दें ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यद्यपि जम्मू और कश्मीर देश का अभिन्न अंग है परन्तु विशेष परिस्थितियों के कारण यह धारा संविधान में शामिल की गई है । उसको भी धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है । अतः मैं श्री मधोक से यह निवेदन करूंगा कि श्री मधोक अपने संशोधन को वापिस लें ।

श्री बलराज मधोक : मैं अपना संशोधन संख्या 19 वापिस लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा उन्हें अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन संख्या 19 को सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The amendment No. 19 was by leave withdrawn.

Shri Prakash Vir Shastri : I withdraw my amendment No. 20.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा उन्हें अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 20 को सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

Amendment No. 20 was, by leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 3 to 6 were added to the Bill

अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय : संख्या 12 से 18 बहुत से सरकारी संशोधन हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं संशोधन संख्या 12 से 18 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। तीन अधिनियमों के सम्बन्ध में विधेयक की अनुसूची में जोड़ने के लिये कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं दिया गया है। जब तक वित्तीय ज्ञापन नहीं दिया जाता तब तक हम विधेयक के बारे में आगे कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सर्व प्रथम यह निर्णय किया जाना चाहिये कि इन तीन अधिनियमों को जिन्हें संशोधन द्वारा अनुसूची में शामिल किया जाना है, विज्ञापन की आवश्यकता है। इन सब अधिनियमों के सम्बन्ध में कोई वित्तीय ज्ञापन संलग्न नहीं किया गया है। यह केवल उन्हीं मामलों में संलग्न किया गया है जिनमें आवश्यक था।

अध्यक्ष महोदय: इसे विस्तार से बतायें। सामान्य जानकारी उपयुक्त नहीं होगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने इस बारे में जांच की है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वित्तीय विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि इन तीनों अधिनियमों को अनुसूची में सम्मिलित किया जाना है अतः मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अधिनियमवार जानकारी दें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि आप इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आपको इस विषय पर बाद में चर्चा करनी होगी। मेरे पास इस समय विस्तृत जानकारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस विषय पर बाद में वक्तव्य देंगे।

भारतीय सिक्का टंकण (संशोधन) अधिनियम विधेयक

Indian Coinage Amendment Bill

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब भारतीय सिक्का टंकण (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेगी।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय सिक्का टंकण अधिनियम, 1906 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]

भारतीय सिक्का टंकण अधिनियम, 1906 की धारा 6 के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार है कि वह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के बाद एक रुपये से कम मूल्य के उन सिक्कों का निर्माण कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे । वर्तमान परिस्थितियों में इस सम्बन्ध में संशोधन करने की आवश्यकता है । एक रुपये से अधिक मूल्य के चांदी के तथा किसी मिश्रित धातु के सिक्के और विशेषकर स्मारक सिक्के जारी करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम में उचित संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है । ताकि सरकार को 100 रुपये मूल्य तक के सिक्के बनाने का अधिकार मिल सके । विधेयक का यही उद्देश्य है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा 1968 में आधा डालर और दो डालर के बीच के मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करने के विचार को दृष्टिगत करते हुए इस मामले पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है । विश्व की खाद्य तथा कृषि की समस्या को हल करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सदभाव का वातावरण तैयार करने की दृष्टि से खाद्य तथा कृषि संगठन ने 1968 में विधिमान्य प्रस्तुति के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्मारक सिक्कों को जारी करने के कार्य में शमिल होने के लिये भारत सरकार को आमंत्रित किया है । 1968 में खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ सिक्का टंकण के मामले में शामिल होने का प्रस्ताव किया गया है । इसके परिणामस्वरूप विदेशों में विशेष स्मारक सिक्के बेचकर विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता मिलेगी भारत तथा विदेशों में सिक्कों की बिक्री से होने वाली आय सिक्के जारी करने पर होने वाले व्यय से कम होगी ।

स्मारक सिक्का चालू सिक्कों से भिन्न होता है । यदि इस सिक्के का मूल्य सामान्य सिक्कों से अधिक रखा जाये तो इससे लाभ होगा क्योंकि इसकी विदेशों में अधिक बिक्री हो सकती है । चांदी का प्रयोग करके इन सिक्कों को आकर्षक बनाया जा सकता है और स्मारक सिक्कों के लिए हमारे देश में पर्याप्त चांदी उपलब्ध है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह अनुभव किया गया है कि सरकार को एक रुपये से अधिक मूल्य के सिक्के जारी करने का अधिकार होना चाहिये ।

जारी किये जाने वाला प्रस्तावित सिक्का दस रुपये का चांदी का सिक्का होगा और जिसका वजन लगभग 16 ग्राम और जिसका व्यास 34 मिलीमीटर होगा । इस सिक्के का आकर्षक नमूना तैयार करने के लिये सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा नमूने मंगाय गये हैं । इस सिक्के को 16 अक्तूबर को, जो खाद्य तथा कृषि संगठन का स्थापना दिवस है, जारी करने का प्रस्ताव है ।

भारतीय सिक्का टंकण अधिनियम में संशोधन करने से भविष्य में और भी स्मारक सिक्के जारी करने में सहायता मिलेगी । भारत सरकार ने हाल ही में एक रुपये के अलावा पचास पैसे के सिक्के, बीस पैसे के सिक्के और अक्तूबर, 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर दस रुपये मूल्य का चान्दी का सिक्का जारी करने का निर्णय किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया "कि भारतीय सिक्का टंकण अधिनियम, 1906 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : (मंदसौर): मेरे विचार से इस युग में सिक्कों का कोई विशेष उपयोग नहीं है। खाद्य और कृषि संगठन का विचार विभिन्न देश के सिक्के जारी करने का है। सरकार ने यह बताया है कि इस पर सरकार का $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया व्यय होगा। इससे हमें क्या लाभ होगा ? यदि रुपया निर्धनता को दूर करने तथा कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिये प्रयोग किया जाता तो कितना अच्छा होता। स्मारक सिक्कों की उपेक्षा हमें स्थिर मुद्रा की आवश्यकता है।

मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि विकास के लिये मुद्रा स्फीति की आवश्यकता एक शर्त है। मुद्रा स्फीति कर लगाने का एक बहुत बुरा तरीका है जिसे रोका जाना चाहिए। ऐसा तब ही सम्भव हो सकता है जब विकास कार्यक्रम इस प्रकार चलाया जाये कि जिससे देश में खर्च होने वाले धन की तुलना में, देश में पर्याप्त सामान भी तैयार किया जा सके। हमें विकास के साथ-साथ देश में स्थिरता भी कायम करनी है और इसके लिये देश में मुद्रा की सप्लाई या मुद्रा सम्बन्धी आधारभूत नीति के मामले में संयम से काम लेना होगा।

जहां तक पाश्चात्य देशों में स्मारक सिक्के जारी किये जाने का प्रश्न है, जिनके पास पर्याप्त फालतू धन और समय है, यह उनके लिये उचित हो सकता है। हमारे अधिकारी इसका आंख मीचकर अनुकरण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे लिये यह अन्तर्राष्ट्रीय निरर्थक व्यापार में शामिल होने के समान है।

श्री सेझियान (कुम्कोणम) : वर्तमान विधेयक का उद्देश्य सरकार को एक रुपये से अधिक मूल्य के सिक्के जारी करना है। रुपये का मूल्य गिर रहा है और इसके साथ ही हमारे सिक्कों के स्तर में भी गिरावट आ रही है। सिक्के बहुत हल्के हो गये हैं।

जब मुद्रा में स्थिरता तथा टिकाऊपन होगा तब ही मुद्रा को महत्वता दी जा सकती है। परन्तु यहां तो मुद्रा का मूल्य घटता जा रहा है।

ब्रिटिश शासन काल में एक रुपये और आधे रुपये के सिक्कों पर तामिल और तेलुगू भाषा अंकित होती थी। किन्तु आजकल इन सिक्कों पर केवल हिन्दी भाषा ही अंकित होती है और इसके साथ अंग्रेज़ी का शब्द 'इंडिया' भी लिखा रहता है। मुझे हिन्दी के बारे में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार ने ब्रिटिश शासन काल की यह परम्परा कि सभी सिक्कों पर इन सभी भाषाओं को अंकित किया जायेगा, क्यों छोड़ दी। कम से कम 10 रुपये के नोट पर, जिसमें काफी जगह बचेगी, सरकार तामिल भाषा सहित और भाषाओं को अंकित कर सकती है।

सरकार ने कहा कि गांधी जी की पहली जन्म शताब्दी पर आधा रुपये और चौथाई रूपये के सिक्के जारी किये जायेंगे। सरकार उस अवसर पर 10 रुपये का सिक्का क्यों जारी नहीं कर सकती। जिस तरह खाद्य तथा कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर 10 रुपये का सिक्का जारी करके संगठन को सम्मान दिया जा रहा है उसी तरह 10 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करके गांधी जी का भी सम्मान किया जा सकता है।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : We are living in a technical age people want such type of things which may be light and which may easily be kept in the pocket. In the present circumstances. It is not proper to issue big coins.

[Shri Maharaj Singh Bharati]

You want to follow others in every matter. Whether it may suit. to the requirement of our country or not.

The Government intends to issue 20 lakh rupees commemorative coins. It will cost the Government about 1·5 crore rupees. It is not proper to spend so much in this matter. This huge amount of Rs. 1·5 crore rupees should be on agriculture. A sugar factory can be opened with this very amount and it may be useful for the country.

It has been said that the commemorative coins would be very popular in the country and as a result of it we may earn foreign exchange also. It is not a powerful argument. With these words I oppose this Bill.

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : For the last twenty years the value of our currency has been decreasing. It is not because our's is a paper currency or we have aluminium Coins, but it is because we have all the economy of the country in the hands of the Capitalists. As a result of it production capacity is decreasing and the prices are increasing. If the Government wants to increase the value of the currency it has to stop this artifical increase in the prices. It is necessary to regularise the price of products and raw materials.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हम सिक्कों में चान्दी मिलाने के बारे में जानना चाहते हैं । 2 करोड़ रुपये की विधिमान्य प्रस्तुति तैयार करने के लिये सरकार 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर रही है । सरकार आगे भी मुद्रा स्फीति और रुपये के मूल्य में गिरावट आने का अनुमान कर रही है और इसलिये 15 प्रतिशत अवमूल्यन करके सिक्के तैयार कर रही है ।

मैं यह चाहता हूं कि सरकार कुछ ऐसे सिक्के बनाय जिनका आन्तरिक मूल्य कायम रह सके । पिछले वर्षों में हमारी कागजी मुद्रा का मूल्य बहुत घट गया है । बजट प्रस्तावों से ऐसा प्रतीत होता है कि रुपये का अभी और अवमूल्यन किया जायगा।

सरकार का कुछ सिक्के बनाने का विचार है । आशा है कि सिक्के निरर्थक स्वाभिमना के लिये नहीं बनाए जायेंगे । मुझ आशा है कि ये सिक्के देखने में वर्तमान सिक्कों से अच्छे होंगे । इस बार सरकार को कुछ सोने के सिक्के भी बनाने चाहियें ।

Shri Bhagwan Das (Ansgram) : I oppose the Indian coinage Bill. In accordance to it, the Government have to spend 1·5 crore of rupees on manufacturing 20 lakh rupees. This expenditure is not proper and so it should be stopped. It has been said that these coinage will be issued for the purpose of promoting agriculture. It would have been better if this amount had been spent for obtaining agricultural facilities. You can also spend this amount for giving loan to agriculturists. There is no use of issuing share.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक): सिक्के का चुनाव करते समय यह देखना चाहिए कि सिक्का अधिक भारी नहीं होना चाहिये । दूसरे इसे टिकाऊ भी होना चाहिए और गणना की दृष्टि से भी आसानी होनी चाहिए ।

यदि सरकार स्मारक सिक्के जारी करना चाहती है तो इन सिक्कों को विधिमान्य प्रस्तुति न मानकर भी ऐसा किया जा सकता है । सरकार इन सिक्कों को विधिमान्य प्रस्तुति क्यों बनाना चाहती है और 100 रुपये मूल्य के सिक्के जारी करने के लिये अधिनियम में संशोधन क्यों करना चाहती है । 100 रुपये के मूल्य सिक्कों का समान आन्तरिक मूल्य होने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता क्योंकि उतने बड़े सिक्के का समान आन्तरिक

मूल्य नहीं हो सकता । यदि सरकार इन सिक्कों को बनाना ही चाहती है तो उसे इन सिक्कों को विधिमान्य प्रस्तुति नहीं बनाना चाहिये ।

पहले कभी सरकार ने 10 या 100 रुपये के मूल्य के सिक्के जारी नहीं किए । अब सरकार 10, 25, और यहां तक कि 100 रुपये के सिक्के जारी कर रही है ।

नोट छापने की अपेक्षा सिक्के ढालने पर अधिक व्यय होता है । देश में चलने वाले चांदी और अन्य मूल्यवान धातुओं के सिक्के घिस-घिस कर हल्के होते चले जायेंगे । इससे जाली सिक्के बनाने में भी सुविधा होगी ।

यदि सरकार 10 रुपये मूल्य के स्मारक सिक्के जारी करना चाहती है तो ये सिक्के गांधी जी, नेता जी तथा अन्य महान व्यक्तियों की स्मृति में जारी करने चाहियें ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सिक्के केवल चांदी के ही बनाये जायेंगे । यदि सरकार चांदी या सोने के ही बड़े सिक्के जारी करना चाहती है तो उसे स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये और यदि वह कागज़ के नोट ही जारी करना चाहती है तो उसे यह भी बताना चाहिये और चांदी और सोने के सिक्कों की शुद्धता क्या होगी ?

Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadiaj) : This Bill has been brought with a view to fulfil a special object. Some suggestions have been given that coins should be issued in the Commemoriam of Gandhiji and other national leaders. The Government is considering those suggestions. The amount proposed to be spent on these coins would not be a wastage . It will help in increasing the production. It has also been suggested that besides silver coins, gold coins should also be issued. Government will consider this suggestion.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारतीय सिक्का टंकण अधिनियम, 1906 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर खंडवार चर्चा करेंगे । खंड 2 और खंड 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि

खंड 2—3 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2—3 विधेयक में जोड़े गये

Clauses 2-3 were added to the Bill

खंड 1

CLAUSE

संशोधन किए गए

Amendments made

Amendment 2—Page 1, line 4, *for* "1967" *Substitute* "1968".

संशोधन 2—पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1967" के स्थान पर "1968" रखा जाये ।

Amendment 3—Page 1,—for line 5, *Substitute*—" (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint".

संशोधन सं० 3—पृष्ठ 1, पंक्ति 5 **के स्थान पर** "(2) यह उस तिथि से लागू होगा जब केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्ति करेगी" **रखा जायेगा** ।

(श्री मोरारजी देसाई)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र

Enacting Formula

संशोधन किया गया

Amendment made

Page 1, line 1, *for* "Eighteenth" *Substitute* "Nineteenth".

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—में "अठारह" **के स्थान पर** "उन्नीस" रखा जाये

(श्री मोरारजी देसाई)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया

The Title was added to the Bill.

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सरकार का दुष्कृति में दायित्व विधेयक, 1967

Government (Liability in Test) Bill

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद यूनस सलीम) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उससे संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 30 सदस्य अर्थात :—

श्री के० अनिरुधन
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री रा० रा० सिंह देव
श्री देविन्दर सिंह
श्री अनिरुद्ध दीपा
श्री श्रीचन्द गोयल
श्री आर० एम० हजरनवीस
श्री एस० कंडप्पन
श्री ब्रिज भूषण लाल
श्री मालीमरियप्पा
श्री श्रीनिवास मिश्र
श्री ही० ना० मुकर्जी
श्री अमृत नाहाटा
श्री के० नारायण राव
श्री एम० नारायण रेड्डी
श्री मुहम्मद यूनस सलीम
श्री अ० त्रि० शर्मा
श्रीमती सावित्री श्याम
श्री अ० कु० सेन
श्री एन० सेतुरामाने
श्री एम० आर० शर्मा
श्री नारायण स्वरूप शर्मा

श्री विश्व नारायण शास्त्री

श्री टी० एम० सेठ

श्री देवेन्द्र विजय सिंह

श्री मद्रिका सिन्हा

श्री जी० विश्वनाथन

श्री एस० जेवियर

श्री राम सेवक यादव

श्री पनमपिल्लि गोविन्द मेनन; और राज्य-सभा के 15 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उससे संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 30 सदस्य अर्थात्:—

श्री के० अनिरुधन

श्री नि० चं० चटर्जी

श्री रा० रा० सिंह देव

श्री देविन्दर सिंह

श्री अनिरुद्ध दीषा

श्री श्रीचन्द गोयल

श्री आर० एम० हजरनवीस

श्री एस० कंडप्पन

श्री ब्रिज भूषण लाल

श्री मालीमरियप्पा

श्री श्रीनिवास मिश्र

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्री अमृत नाहाटा

श्री के० नारायण राव

श्री एम० नारायण रेड्डी

श्री मुहम्मद यूनस सलीम

श्री अ० वि० शर्मा

श्रीमती सावित्री श्याम

श्री अ० कु० सेन

श्री एन० सेतुरामाने

श्री एम० आर० शर्मा

श्री नारायण स्वरूप शर्मा

श्री विश्व नारायण शास्त्री

श्री टी० एम० सेठ

श्री देवेन्द्र विजय सिंह

श्री मद्रिका सिन्हा

श्री जी० विश्वनाथन

श्री एस० जेवियर

श्री राम सेवक यादव

श्री पनमपिल्लि गोविन्द मेनन; और राज्य-सभा के 15 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में समिम्लित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्ति किए जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

मोटर गाड़ी संशोधन विधेयक, 1967

Motor vehicles (Amendment) Bill

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा राज्य-सभा द्वारा 13 फरवरी, 1968 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 14 फरवरी, 1968 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत

है कि यह सभा मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक- सभा के निम्नलिखित 30 सदस्यों को नाम-निर्देशित किया जाये, अर्थात् :—

(1) श्री सैयद अहमद आगा
(2) श्री भक्त दर्शन
(3) श्री रामधनी दास
(4) श्री तुलसी दास दासप्पा
(5) श्री डी० एन० देब
(6) श्री कंवर लाल गुप्त
(7) श्री बी० डी० देशमुख
(8) श्री मौलाना इसहाक़ सांभली
(9) श्री लीलाधर कटकी
(10) श्री विक्रम चन्द महाजन
(11) श्री भोला नाथ मास्टर
(12) श्री मुहम्मद इस्माईल
(13) श्री मोहन स्वरूप
(14) श्री ढाह्लाभाई परमार
(15) श्री पाशाभाई पटेल
(16) श्री जोतेन्द्र नाथ प्रमाणिक
(17) श्री के० राजाराम
(18) श्री चितरंजन राय
(19) श्रीमती सुशीला रोहतगी
(20) श्री एस० के० सम्बन्धन
(21) श्री वा० सम्बशिवम्
(22) श्री वेणीशंकर शर्मा
(23) श्री दीवान चन्द शर्मा
(24) श्री देवेन्द्र विजय सिंह
(25) श्री प्रकाशवीर शास्त्री
(26) श्री आरंगिल श्रीधरन
(27) श्री श्रद्धाकर सूपकार
(28) श्री कोम्भारेड्डी सूर्यनारायण
(29) श्री ओम प्रकाश त्यागी
(30) डा० वी० के० आर० वी० राव"

उपाध्यक्ष महोदय : 1939 के मोटर गाड़ी अधिनियम में 1956 में संशोधन किया गया था । अनुभव के आधार पर तथा विभिन्न समितियों द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उन्हें इस संशोधन विधेयक में स्थान दिया गया है ।

विधेयक में उन लोगों को लाइसेंस देने का प्रस्ताव है जो टिकट बेचने या सामान आदि भेजने का व्यापार करते हैं । यात्रियों की सुरक्षा तथा सौदा करने की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि लाइसेंस देने की उचित व्यवस्था की जाये तथा इस सम्बन्ध में नियम एवं विनियम निर्धारित किये जायें । संशोधन में सम्पत्ति को होने वाली क्षति के विरुद्ध अनिवार्य बीमा करने का उपबन्ध किया गया है ।

राज्य तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिये जिला जज स्तर के अनुभवी व्यक्तियों का अपीलीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने का उपबन्ध किया जा रहा है ।

प्रस्तावित विधेयक में मोटर गाड़ी की समय समय पर जांच करने और चालक की योग्यता की निरन्तर जांच करने के बारे में भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है ताकि दुर्घटनाएं न हों । इसके साथ-साथ ही दुर्घटनाओं के लिये मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है । क्षतिपूर्ति की रकम भी बढ़ा दी गई है ।

इस संशोधन विधेयक के पेश किये जाने के बाद सरकार को और भी बहुत से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । संयुक्त समिति का विचार है कि विशेषकर सड़क परिवहन कर निर्धारण जांच समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया जाना चाहिये और उन सिफारिशों के आधार पर, संयुक्त समिति के स्तर पर ही, कुछ और संशोधनों पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 13 फरवरी 1968 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 14 फरवरी, 1968 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 30 सदस्यों को नाम-निर्देशित किया जाये, अर्थात् :—

(1) श्री सैयद अहमद आगा
(2) श्री भक्त दर्शन
(3) श्री रामधनी दास
(4) श्री तुलसी दास दासप्पा
(5) श्री डी० एन० देब
(6) श्री कंवर लाल गुप्त
(7) श्री आर० एम० हजरनवीस

(8) श्री सी० जनार्धनन
(9) श्री लीलाधर कटकी
(10) श्री विक्रम चन्द महाजन
(11) श्री भोला नाथ मास्टर
(12) श्री मुहम्मद इस्माईल
(13) श्री मोहन स्वरूप
(14) श्री ढाह्याभाई परमार
(15) श्री पाशा भाई पटेल
(16) श्री जीतेन्द्र नाथ प्रमाणिक
(17) श्री के० राजाराम
(18) श्री चितरंजन राय
(19) श्रीमती सुशीला रोहतगी
(20) श्री एस० के० सम्बन्धन
(21) श्री वी० सम्बशिवम्
(22) श्री बेणीशंकर शर्मा
(23) श्री दीवान चन्द शर्मा
(24) श्री देवेन्द्र विजय सिंह
(25) श्री प्रकाशवीर शास्त्री
(26) श्री आरंगिल श्रीधरन
(27) श्री श्रद्धाकर सूपकार
(28) श्री कोम्भारेड्डी सूर्यनारायण
(29) श्री ओम प्रकाश त्यागी
(30) डा० वी० के० आर० वी० राव।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

कीटनाशी विधेयक—जारी

Insecticides Bill—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में कीटनाशी विधेयक पर आगे चर्चा होगी।

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : मैं इस विधेयक से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि इसमें समस्या के सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है। मैंने संसद की संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है। उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एक विशेषज्ञ डा० प्रधान ने यह सिफारिश की है कि हमें संयुक्त राज्य अमरीका

के 'मिलर्स बिल' के आधार पर कोई व्यापक विधेयक पेश करना चाहिए । पश्चिम के अनेक प्रगतिशील देशों ने उक्त बिल के आधार पर अपने कानून बनाये हैं । आगे उन्होंने साक्ष्य में यह भी सुझाव दिया है कि विधेयक में खाद्यान्नों और चारे के विषावत होने के बारे में पता लगाने, विषाक्त खाद्यान्नों और चारे की बिक्री/वितरण को रोकने, कम्बल आदि जैसी प्रयोग में आने वाली अन्य वस्तुओं के विषाक्त होने का पता लगाने और खेतों और गोदामों में तथा साधारण व्यापारियों द्वारा कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग को नियमित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था की जानी चाहिये ।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए ।
SHRI THIRUMALA RAO *in the chair*]

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार अथवा संयुक्त समिति ने कृषि अनुसंधान संस्था की विशेषज्ञ राय को स्वीकार क्यों नहीं किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार अनेक विधेयक पास करके कानून के भार को बढ़ाना चाहती है । हम देखते हैं कि बहुत कम विधेयक व्यापक होते हैं । जब विशेषज्ञों की सलाह की परवाह नहीं की गई है तो इन विशेषज्ञों को संसदीय समितियों के समक्ष बुलाये जाने के क्या कारण थे ? यह कोई कानून बनाने का तरीका नहीं है । अभी भी मंत्री महोदय विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर सभा में एक व्यापक विधेयक ला सकते हैं जिससे हम अपनी जनता और पशु धन को सभी संभावित खतरों से बचा सकते हैं । समय-समय पर बिना अध्ययन किये बहुत से विधेयक पेश करने से प्रशासनिक खर्च बहुत बढ़ जाता है और लाभ भी कुछ नहीं होता । यह मूलभूत सिद्धान्त होना चाहिये कि जब भी कोई विधेयक लाया जाये तो वह व्यापक हो क्योंकि प्रत्येक कानून की क्रियान्विति पर बहुत धन व्यय होता है । उस दृष्टि से मैं देखता हूं कि यह व्यापक विधेयक नहीं है । अतः इसे पास नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं वास्तव में यह चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा हमारे देश में तैयार की जाने वाली कीटनाशी दवाइयों का प्रभाव समाप्त न हो । यह सच है कि मैं नहीं जानता कि कीटनाशी दवाइयां कौन-कौन से उद्योगपति बनाते हैं । परन्तु कुछ महीने पहले एक जर्मन विशेषज्ञ की मेरे साथ भेंट हुई तो मुझे पता चला कि भारत में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसे तकनीकी दृष्टि से 'इन्स्पेक्टर ऑफ पेस्टीसाइड्स' नियुक्त किया जा सकता है । कीटनाशी दवाइयों के प्रभाव तथा पैकिंग आदि की जानकारी के अभाव में इस विधेयक के कारण यह उद्योग ही समाप्त हो जायेगा । इस समय किसानों को जो कीटनाशी दवाइयां दी जाती हैं उनका कीड़ों पर कोई असर नहीं होता है क्योंकि वे कीड़े अभ्यस्त हो जाते हैं । एक वर्ष तक किसी दवाई का प्रयोग करने के बाद दूसरे वर्ष उस दवाई का कीड़ों पर कोई असर नहीं होता है । इसलिये यदि हम अनाज की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो हमें प्रभावशाली कीटनाशी दवाइयां तैयार करनी चाहियें ।

वैसे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में तैयार की जाने वाली कीटनाशी दवाइयां बहुत अच्छी हैं परन्तु इस सम्बन्ध में मेरा अनुभव और ही रहा है । मैंने जो कीटनाशी दवाई खरीदी और उसका प्रयोग किया उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ हालांकि वह सर्वोत्तम दवाई बताई जाती थी । इसका कारण यह था कि उसमें विषैलापन नहीं था । यदि कीटनाशी दवाइयों में विषैलापन न हो तो उनका कीड़ों पर कोई असर नहीं होता । अतः कीटनाशी

[श्री नी० श्रीकान्तन नायर]

दवाइयों में विषैलापन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिये । यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विषैलापन है क्या । इस विधेयक में इस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है । जब तक विषैलेपन की परिभाषा नहीं दी जाती तब तक अपीलीय अधिकारी भी इस बारे में निर्णय कैसे कर सकता है। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि उन्हें कीटनाशी दवाइयों को प्रभावशाली बनाने का कोई तरीका निकाल लेना चाहिये ।

श्री नायनार (पालघाट) : जहां तक कीटनाशी दवाइयां तैयार करने का सम्बन्ध है इस मामले में सरकार ने किसानों को सस्ते मूल्य पर कीटनाशी दवाइयां देने की अपेक्षा बड़े-बड़े व्यापारियों की ही सहायता की है तथा उनके हित को ध्यान में रखा है । उदाहरणार्थ हम हिन्दुस्तान इनसैक्टीसाइड्स को ही लेते हैं। इस सरकारी उपक्रम को केवल इस लिये खोला गया था कि सरकारी लागत पर डी० सी० एम० कैमीकल्स का लाभ बढ़ सके । हिन्दुस्तान इनसैक्टीसाइड्स का दिल्ली एकक डी० सी० एम० कैमीकल्स से 378.40 रुपये प्रति टन के हिसाब से क्लोराइड लेता था जब कि बम्बई में उसका भाव 100 रुपये प्रति टन था। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान इनसैक्टीसाइड्स लिमिटेड ने क्लोराइड बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

दिल्ली अधिकारियों द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि हिन्दुस्तान इनसैक्टीसाइड्स की फालतू सामग्री यमुना नदी में फैंक दी जाती है । इसलिये दिल्ली के अनेक व्यक्तियों के रक्त में डी० डी० टी० पाई जाती है । स्वास्थ्य अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि इस कारखाने को किसी दूरस्थ स्थान पर ले जाया जाना चाहिये परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया है । कारखाने की इस गन्दगी से मनुष्यों को बहुत खतरा है । यदि ठोस कार्यवाही न की गई तो इन कीटनाशी दवाइयों से कीड़ों की तुलना में अधिक मनुष्यों की मृत्यु हो जायेगी ।

सरकार ने इन कीटनाशी पदार्थों के प्रयोग से बचने के उपायों को लोकप्रिय बनाने की पूरी कोशिश नहीं की है । जब तक कीटनाशी दवाइयां प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को इन उपायों का पता नहीं लग जाता इसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं । सरकार को सभी प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से इन उपायों का प्रचार करना चाहिये ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : The restrictions on imports of insecticides which are to be imposed through this Bill will lead to a situation of controls, and nepotism and corruption will flourish. All this is going to affect the interests of the cultivator adversely. Restrictions on imports will send these insecticides into the black market and the farmers will have to pay many times more than the fair price.

These insecticides are a must for destroying insects and pests causing damage to crops. These insects spoil at least 30 or 40 per cent of our crops. There should therefore be proper check on adulteration of the insecticides and import restrictions should be lifted.

Clause 21 of the proposed Bill provides that the inspectors should not be technical hands. But they lack technical knowledge, they cannot explain various things about the use of insecticides to the farmers.

The suggestions made by the experts should be respected and incorporated in the Bill otherwise the inspectors and the blackmarketeers would be making enormous money and this Bill would become a big scare for the farmers.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : विषाक्तता एक ऐसा विषय है जिसका वैज्ञानिक क्षेत्र में एक विशेष अर्थ है । विषाक्तता का पता एक साधारण प्रयोगशाला में नहीं लगाया जा सकता और न ही एक साधारण वैज्ञानिक ही उसका पता लगा सकता है । विषाक्तता के पूर्ण अध्ययन पर लगभग 4,69,100 डालर खर्च आता है । मेरी समझ में नहीं आता कि हम इतने महंगे परीक्षण अपने देश में कैसे कर सकते हैं । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इसके स्थान पर कोई अधिक उपयुक्त शब्द रखने के बारे में विचार करें जिससे कि हम उसका उचित उपयोग कर सकें ।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : New varieties of seeds and new techniques of agriculture make the use of insecticides imperative because these varieties and techniques produce more diseases which can only be combated by these insecticides. Modernisation of agriculture will produce results only with the increased but at the same time judicious use of insecticides. But so far as the use of weedicides is concerned, we shall have to think about it seriously. We cannot follow Russia or U.S.A. blindly. The weedicides destroy grass that is utilised as fodder for the cattle. Weedicides will thus create scarcity of fodder and deprive a large number of people of their livelihood whose main occupation is cutting and selling of grass that grows wild in the fields.

The production of insecticides should be undertaken. On a large scale in this country. As at present, the insecticides are too expensive for the farmers. Moreover, the Government's estimates of the requirements of insecticides are very much underrated. What they want to produce will suffice for one per cent farmers only. If the farmers do not get insecticides, they will revert to the old varieties of seeds and the new atmosphere that has been generated in the field of agriculture will get a set-back. All-out efforts should therefore be made to increase the production of insecticides and to supply them to the farmers in time. In case these are not supplied to them in time they will not be able to make the best use of them.

The sprayers for spraying the insecticides in the fields should be made available to farmers. At present there is shortage of such sprayers. Big farmers can bribe the officials and get these sprayers but the poor farmers do not get these sprayers and in the absence of these sprayers they cannot make use of the insecticides. So the supply of adequate number of sprayers to the farmers is very vital and as much important as the production of insecticides and their distribution. Arrangements for supply of spraying equipment to farmers should be given due priority.

The cultivator should be trained in using the insecticides otherwise it can play havoc because if we use insecticides in paddy fields, it would kill fish and in case we want to save fish, we lose paddy crop. In view of this one has to be very careful in using the insecticides. Second thing is that Government officials who come to guide the farmers do not possess sufficient knowledge of using the insecticides. Then there are several reactions of these insecticides which every one does not know. In view of above we ought to educate the entire country the manner of using the insecticides.

श्री मुत्तु गोंडर (तिरुपतूर) : मेरे विचार में इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है । हमारे अनुभव की बात यह है कि ये कीटनाशी औषधियां प्रभावहीन हो गयी हैं । अब किसान पूर्णतया वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं और वे कीटनाशी औषधियों के प्रयोग के ढंग को जानते हैं । इसलिये लाइसेंस जारी करने तथा इन्सपेक्टर नियुक्त किये जाने से केवल लालसा और भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी ।

उर्वरकों की अब अत्यधिक आवश्यकता है । अधिक उत्पादन के लिये हमें अधिक उपज वाली किस्मों पर निर्भर करना ही पड़ेगा । हमें चूहों, रोडेंट और बन्दरों से भी

[श्री मुत्तु गोंडर]

अपनी फसलों की रक्षा करनी होगी ये हमारे उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत अनाज खा जाते हैं। इस विधेयक के स्थान पर हमें बन्दरों को मारने को प्रोत्साहन देने के लिये विधेयक उपस्थापित करना चाहिये।

कुछ प्रकार की कीटनाशी औषधियां किसानों को सुगमता से नहीं मिलतीं। किसान कुछ कीटनाशी औषधियों को प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु उन्हें उनको चोरबाजार से खरीदना पड़ता है।

कुछ कीटनाशी औषधियां फंगस रोग पैदा कर देती हैं। इस रोग का इलाज करने के लिये हमें दवाइयों की आवश्यकता है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : There have been many cases as a result of insecticides and this Bill is therefore necessary to prevent untoward happenings. It was necessary to make provison for the training of farmers in the manner of using insecticides but no such provision has been made. Moreover there is proper arrangement of storage of these insecticides. Government should, therefore, make some arrangement for this purpose. They should take over the responsibility of using insecticides as well.

Government have made arrangement for the training of worker only but the farmers have been left out. Therefore Government should make arrangement for the training of farmers also.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : I find that no representation has been given to the farmers on the committees or boards so that they could also have their say in regard to the use of insecticides.

I have also observed that these insecticides are not made available to the farmers at proper time. I, therefore, suggest that Government should make the arrangement for the distribution of insecticides as it is being done in the case of seeds. In fact agriculture should also be treated as one of the basic industries and only then something good can be expected. I would also suggest that price of insecticides should be reasonable so that farmers could easily purchase them. Besides Government should give intensive trainin g to the Agriculture Extension Officer and other Gramsewaks because only then they will be in a position to educate the farmer in the use of insecticides.

Section 23 of the Bill relates to the control over use of insecticides. This clause should be amended that the factory owner and not the owner of the factory is responsible.

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : जहां तक कीटनाशी औषधियों के प्रयोग से पानी गन्दा होने की सम्भावना है, इसके विषय में हम अभी सोच रहे हैं और इस सम्बन्ध में एक और विधेयक तैयार किया जा रहा है। कीटनाशी औषधियों के अदृश्य प्रभावों की उनके रजिस्ट्रेशन के समय विधेयक खण्ड 9(3) के अन्तर्गत जांच की जायेगी।

इस समय विधेयक के उपबन्धों के अनुसार कीटनाशी औषधियों की विषाक्तता या उनमें प्रयुक्त पदार्थों का उनके लेबलों पर लिखना आवश्यक नहीं है। इसका कारण यह है कि विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा इनमें निर्धारित विषाक्तता की मात्रा भिन्न-भिन्न हो सकती है परन्तु रजिस्ट्रेशन समिति इस बात का ध्यान रखेगी क्योंकि इस समिति में विशेषज्ञ नियुक्त किये जायेंगे।

इन्सपेक्टरों की नियुक्ति का प्रयोजन केवल इतना है कि वे इस बात की जांच करते रहें कि विधेयक के उपबन्धों का ठीक ढंग से पालन किया जा रहा है। संयुक्त समिति इस उपबन्ध से पूर्ण रूप में सहमत थी। मूल विधेयक में पहले यह व्यवस्था थी कि इन्सपेक्टरों द्वारा केवल तंग करने के लिये पकड़ी जाने वाली औषधियों के मामलों में उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये। संयुक्त समिति ने इस उपबन्ध पर काफ़ी सावधानी से विचार किया और यह सिफारिश की कि इस उपबन्ध को निकाल दिया जाये क्योंकि यह इन्सपेक्टरों के कार्य में बाधक सिद्ध होगा। फिर भी यदि इन्सपेक्टरों का आचार ठीक न हो तो सरकार की अनुशासनात्मक शक्तियों के अन्तर्गत उन्हें सजा दी जा सकती है।

संयुक्त समिति ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय तथा उनके विशेषज्ञों से परामर्श किया है और उनके विचारों को इस विधेयक में उपयुक्त स्थान दिया गया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the chair*]

कीटनाशी औषधियों के मूल्यों पर विचार करना इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है। जहां तक निर्माताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण की बात है, यह विधेयक काफ़ी व्यापक है।

"विषाक्तता" शब्द की परिभाषा अधिनियम में नहीं की गयी है। जो फर्में कीटनाशी औषधियों का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हैं उनके द्वारा दी गयी जानकारी की जांच रजिस्ट्रेशन समिति करेगी और यदि उतनी विषाक्तता की औषधियों को प्रयोग करने से कोई खतरा न हो तभी उनके रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जायेगी। विशेषज्ञों की यह समिति सभी पक्षों पर विचार करेगी।

इस विधेयक के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनमें से एक के द्वारा कीटनाशी औषधि के प्रयोग के संदर्भ में "प्रयोग" शब्द को नया अर्थ देने के बारे में है। यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि कीटनाशी औषधि का प्रयोग उसके निर्माता द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार किया जाता और उसके बावजूद भी यदि उसका कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है तो कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। कीटनाशी औषधियों के हानिकारक प्रभावों की जांच अवश्य की जानी चाहिये और यदि उससे यह प्रमाणित होता है कि उनका निर्माण रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार नहीं हुआ तो आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति ने इस विधेयक पर भली-भांति विचार किया है और उसमें विभिन्न विचारों का संतुलन स्थापित किया है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, इस विधेयक पर विचार किया जाये तथा उसे स्वीकार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानव प्राणियों या पशुओं को होने वाले खतरे का निवारण करने की दृष्टि से कीटनाशी पदार्थों के आयात, निर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण और उपयोग का विनिय-

मन करने वाले तथा तत्संसक्त विषयों सम्बन्धी विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कुछ उत्पादन शुल्कों के उद्ग्रहण के बारे में वक्तव्य

Statement *Re.* Levy of Certain Excise Duties

अध्यक्ष महोदय : अब उप प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

उप-प्रधान मंत्री द्वारा लोक सभा में 8-5-1968 को दिया जाने वाला वक्तव्य

महोदय,

पिछले महीने की 29 तारीख को जब मैंने इस सदन में प्रस्ताव किया था कि वित्तीय वर्ष 1968-69 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के विधेयक पर विचार किया जाय तब मैंने कहा था:—

"ऐसी दरख्वास्तें मिली हैं कि चिकन कसीदाकारी उद्योग से मूल्यानुसार शुल्क वसूल करने में उक्त काम की किस्मों की तादाद को देखते हुए कठिनाइयां होंगी। इस कठिनाई से बचने के लिये प्रति मशीन प्रति पारी (शिफ्ट) की दर से शुल्क वसूल करने की संभावना पर विचार किया गया था। परन्तु इस उद्योग में जिन लोगों के पास पुरानी और धीमी चलने वाली मशीनें हैं, उन्होंने इस बात को पसन्द नहीं किया। इसलिए शुल्क सूची के निमित्त मूल्यों को इस प्रकार निर्धारित करने का विचार है, जिससे कर-निर्धारण सरल हो जायगा और शुल्क की एकरूपता भी रखी जा सकेगी।"

बाद में वित्त विधेयक पर बहस के दौरान एक माननीय सदस्य ने आग्रह किया था कि चिकनकारी-कशीदाकारी के माल पर उत्पादन शुल्क लगाने में उन कारखानों को राहत दी जानी चाहिये, जिनमें केवल एक दो ही मशीनें लगी हुई हैं। मैंने इस प्रश्न पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा, मेरी उक्त घोषणा के बाद, कशीदाकारी उद्योग से दरख्वास्तें आई हैं जिनमें कहा गया है कि शुल्क सूची के निमित्त मूल्यों का निर्धारण करने से ही शुल्क-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही सरल नहीं हो जायगी और शुल्क की दर प्रति मशीन प्रति पारी के हिसाब से निश्चित करने की संभावना पर फिर से विचार करना आवश्यक है। यह सुझाव भी दिया गया है कि इस प्रकार निश्चित की गई दर से शुल्क की अदायगी ऐच्छिक बना दी जाय और अगर सम्भव हो तो जिन पुरानी मशीनों का उत्पादन कुछ कम होता हो उनके सम्बन्ध में शुल्क की दर प्रति मशीन प्रति पारी निम्न-स्तर पर निश्चित की जाय।

इन सभी सुझावों पर ध्यान-पूर्वक विचार किया गया है। जिन कारखानों में एक या दो मशीनें लगी हुई हैं उनको किसी प्रकार की खास रियायत देना मैं किसी प्रकार मुनासिब

नहीं समझता। एक भी मशीन लगाने तथा चलाने में बहुत अधिक पूंजी लगानी पड़ती है, और उससे साल भर में कशीदाकारी के इतने वस्त्र तैयार हो सकते हैं जिनका बिक्री मूल्य 20 लाख रुपये तक हो सकता है। स्पष्ट है कि ऐसे कारखानों को ऐसे छोटे तो नहीं माना जा सकता कि उनको उत्पादनशुल्क में विशेष रिआयत देना मुनासिब हो। फिर भी मैं, शुल्क सूची के निमित्त मूल्य निश्चित करके तथा निर्माता को प्रति मशीन प्रति पारी के लिए निश्चित की हुई दर से शुल्क अदा करने का विकल्प देकर मैं शुल्क वसूली के कार्य और विधि को सरल बनाये दे रहा हूं। शुल्क में कुछ सीमान्तिक राहत देने की दृष्टि से शुल्क सूची के निमित्त मूल्यों को तथा निश्चित किये गये शुल्क की दरों को समुचित रूप से रुपये के पूर्णांक में रखा जायगा। कशीदाकारी की जो मशीनें वर्ष 1955 से पहले लगाई गई थीं उनके सम्बन्ध में विकल्प देने के लिए शुल्क की प्रति मशीन प्रति पारी के हिसाब से निश्चित किये जाने वाले ऐच्छिक शुल्क की दर कुछ निम्न-स्तर पर रखी जायगी, क्योंकि कुछ धीमी चाल से काम करने के कारण उन मशीनों से होने वाले काम की मात्रा बाद के वर्षों में लगाई गई मशीनों से होने वाले काम की तुलना में कुछ कम रहेगी। इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम तथा नियमों के अधीन उपयुक्त नियम तथा अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

बहस के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया था कि ठंडे गोदामों के संयंत्रों के लिए प्रशीतन मशीनों तथा साज-सामान पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क में कुछ राहत देने के बारे में भी विचार किया जाय। यह कहा गया था कि वर्तमान शुल्क का भार, विशेषकर बजट प्रस्तावों के द्वारा शुल्क की दरों में की गई वृद्धि के बाद इतना अधिक हो गया है कि इससे ठंडे गोदामों को बनाने में रुकावट पैदा हो जब कि खाने पीने की खराब हो जाने वाली वस्तुओं को इकट्ठी करके रखने और ताजा बनाये रखने के लिए ठण्डे गोदामों की स्थापना करने की सख्त जरूरत है। अच्छी तरह जांच करने के बाद मैंने फैसला किया है कि ठंडे गोदामों की स्थापना में काम आने वाली वातानुकूलन मशीनों तथा संयंत्र के पुर्जों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क में कुछ राहत दी जाय। यह राहत उत्पादन शुल्क में ऐसी उचित कटौती करके दी जाएगी जिससे सम्पूर्ण ठंडे गोदाम के संयंत्र की लागत पर शुल्क का कुल भार कम होकर उस स्तर पर हो जायगा जो 1 मार्च, 1968 से पहले था। इस रियायत को देने के लिए कार्यविधि के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं और इसे लागू करने के लिए यथा संभव शीघ्र ही आवश्यक अधिसूचना जारी की जाएगी।

हरिजनों के विरुद्ध आन्ध्र प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा दिये गए कथित वक्तव्य के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: STATEMENT MADE BY THE HOME MINISTER REGARDING THE REPORTED STATEMENT BY THE AGRICULTURE MINISTER OF ANDHRA PRADESH AGAINST HARIJANS

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हरिजनों के विरुद्ध आन्ध्र प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा दिये गए कथित वक्तव्य के

[श्री हेम बरूआ]

बारे में 6 मई, 1968 को गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य पर विचार किया जाये।"

गृह-कार्य मंत्री द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र-व्यवहार को मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। उसमें यह स्पष्ट है कि जिस समाचार पत्र सम्मेलन में आन्ध्र प्रदेश के मंत्री श्री थिमा रेड्डी द्वारा यह कहा गया बताया जाता है कि "हरिजनों को ठोकरें मारी जानी चाहियें", उसमें 'पैट्रियाट" के संवाददाता शामिल नहीं थे।

पत्र व्यवहार में यह भी कहा गया है कि 'पैट्रियाट" के संवाददाता ने इस समाचार के लिये सुनी-सुनाई बात पर निर्भर किया है और समाचार पत्र सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न संवाददाताओं ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

इस पत्र व्यवहार से यह भी स्पष्ट होता है कि "पैट्रियाट" के संवाददाता ने देश के विभिन्न समुदायों के सम्बन्धों को बिगाड़ने का प्रयत्न किया है। इस पत्र से एक और बहुत ही संगत बात का पता लगता है। यह समाचारपत्र सम्मेलन 22 अप्रैल को हुआ था और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 2 मई तक इस मामले की कोई जांच नहीं की। इस पत्र व्यवहार से यह बात स्पष्ट हो जाती है। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने श्री थिमा रेड्डी के समाचार पत्र सम्मेलन में शामिल होने वाले संवाददाताओं के वक्तव्य ही पेश किये हैं। उन्होंने अपने कोई निष्कर्ष नहीं निकाले हैं, यह भी मालूम होता है कि मुख्य मंत्री ने पत्रकारों के साथ भेंट करने की तथा उनसे प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेवारी नहीं ली। शायद उन्होंने इस प्रयोजन के लिये एक प्रश्नावलि जारी की थी।

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के वक्तव्य तथा संवाददाताओं के वक्तव्यों से पता चलता है कि मंत्री ने यह भले ही न कहा हो कि हरिजनों को ठोकरें लगाई जानी चाहियें, तथापि उन्होंने उनके बारे जो आपत्तिजनक बात अवश्य कही है। "हिन्दू" के मुख्य संवाददाता ने कहा है कि मंत्री महोदय के हाल ही की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया था जिनका सम्बन्ध हरिजनों से था, 'ब्लिट्ज़' के संवाददाता ने इस बात की पुष्टि की है कि मंत्री ने कहा है कि ग्रामों में आम तौर पर निर्धन हरिजन चोरियां करते हैं।

श्री चव्हाण मेरे साथ इस बात में सहमत होंगे कि भारत में हरिजन सबसे अधिक दबे हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश के इस मंत्री ने भी कहा है कि जब ग्रामों में लोग चोरों को पकड़ लेते हैं तो वे कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे पीटते हैं। कई बार उसे जला भी देते हैं। यह बहुत खेदजनक बात है। पुलिस किस लिये हैं। आंध्र प्रदेश के मंत्री ने कहा है कि ग्रामों में रह रहे धनी लोगों के बागों से पम्प चुराये जाते हैं। क्या वे पम्प मनुष्य से भी अधिक मूल्यवान हैं?

स्वतंत्रता के इन बीस वर्षों में भी हरिजनों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है यहां तक कि इस बात के लिए संविधान में व्यवस्था की गयी है। सन् 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम बनाने के बावजूद भी ये सब बुराइयां अभी भी चल रही हैं। उनके सुधार के लिए बनाये गये सब विधान कागज पर ही हैं। हरिजनों की दशा बहुत खराब है।

हाल ही में 24 फरवरी को आन्ध्र प्रदेश के एक गांव में एक घटना हुई, एक 19 वर्षीय लड़का जल जाने के कारण इलाज के लिए डाक्टरों के दर-दर मारा-मारा फिरा

लेकिन कोई भी उसका इलाज़ करने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि वे अपने को उच्च हिन्दू जाति का समझते हैं। इस प्रकार की विकृत मनोवृत्ति हमारे देश के लोगों में है ।

अब इस देश में नये अमीरों का एक नया वर्ग जन्म ले रहा है । उनमें एक बना-बनाया श्रेष्ठता का भाव है और वे एक विकृत मनोवृत्ति से पीड़ित हैं । ये ही लोग इन सब बातों के लिए उत्तरदायी हैं । आन्ध्र प्रदेश के इस गाँव में भी धनी और निर्धन लोगों में एक प्रकार का तनाव था, देश में राष्ट्रीयता के आवरण में हिन्दू धर्म की पुरानी बातें पुनर्जीवित हो रही हैं। जातीयता, सम्प्रदायिकता और धार्मिक संकीर्णताएँ प्रजातन्त्र की बुनियाद को चुनौती दे रही हैं। गृह मंत्रालय ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी एजेंसियों द्वारा आंध्र प्रदेश में घटित मामले की जांच करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया ?

जब आसाम में सन् 1960 में दुर्भाग्यपूर्ण भाषायी दंगे छिड़े थे तो उस मामले की जांच करने के लिए एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था । उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में भी न केवल इस विशेष घटना की जांच करने के लिए बल्कि सभी हरिजनों की दशा की जांच करने के लिए एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जा सकता है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : हाल ही में समाचार-पत्रों में छपे हरिजनों के प्रति किये गये अत्याचारों के समाचारों से हमें न केवल दुःख हुआ है बल्कि क्रोध भी आया है । ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए तथा इनको हर सम्भव तरीकों से रोकना चाहिए ।

निसंदेह ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इसका कारण प्रशासन का ढीलापन हो सकता है । यह भी सच है कि प्रशासन के लिए यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक गांव में पुलिस का प्रबन्ध करे । इसलिए जब किसी दूर के गाँव में ऐसी कोई घटना होती है तो यह सम्भव है कि पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो जाय और बचाव के उपाय जो किये जा सकते हैं वे समय पर नहीं किए जा सकें । यह भी सम्भव है कि सरकार ऐसी नीति बनाना चाहती है जिससे हरिजनों की पूरी रक्षा हो सके लेकिन छोटे अधिकारी उदासीनता दिखाते हैं और वे दिल से तथा इमानदारी से नीति को कार्यान्वित नहीं करते । हमें सरकार को ही दोष नहीं देना चाहिए इसके लिए हम भी दोषी हैं, जब तक लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा तब तक सरकार की नीति कार्यान्वित नहीं की जा सकती। कोई भी समाज सुधार कर कार्य तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके लिए सरकार का समर्थन करने के लिए तथा उसकी मदद करने के लिए कोई कारण और पर्याप्त जनमत तैयार न हो। जब वह गरीब लड़का पीटा गया तो लोग क्या कर रहे थे ? यदि सरकार को दोष देना है तो लोगों को भी दोष देना चाहिए। यह हमारी उदासीनता है जो इस सामाजिक पतन के लिए उत्तरदायी हैं, जब ऐसी घटना घटी तो हमने इसको उठाया है, विधान सभा सामाजिक संस्थाओं को भी इसे उठाना चाहिए और हमें सरकार पर ऐसा दबाव डालना चाहिए कि ऐसी घटनायें दुबारा न हों । यह कहना कि केवल सरकार ही हरिजनों की देखभाल का कार्य कर सकती है, गलत है । "पैट्रियाट" समाचार-पत्र ने जो कि

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

अपनी अशिष्ट भाषा के लिए प्रसिद्ध है यह समाचार छापा है कि श्री थिम्मा रेड्डी ने कहा था कि हरिजनों को ठोकरें मारी जानी चाहिए। यह विश्वास करना बड़ा कठिन है कि एक मजे हुए राजनीतिज्ञ ने ऐसा वक्तव्य दिया होगा। केन्द्रीय गृह-मंत्री को रिपोर्ट भेजते हुए वहाँ के मुख्य मंत्री ने घटना के प्रति अपना मत प्रकट नहीं किया क्योंकि यदि उन्होंने अपना मत दिया होता तो यह कहा जाता कि क्योंकि श्री थिम्मा रेड्डी उनके मंत्रिमंडल में हैं इसलिए मुख्य मंत्री ने ऐसा कहा।

श्री थिम्मा रेड्डी ने अपने पत्र में लिखा है कि जातीयता और साम्प्रदायिकता के विचारों को भड़काने वाले कार्य खतरनाक होंगे और जो पत्रकार जातीयता और साम्प्रदायिक विचारों को भड़काने के लिए उत्तरदायी हैं उनको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि हरिजनों को ठोकर मारी जाये। हमारे में से बहुत से लोग शायद श्री थिम्मा रेड्डी को नहीं जानते, उनका सारा जीवन हरिजनों के उत्थान और उद्धार में लगा, उनका रुख हरिजनों के प्रति सदा सहानुभूतिपूर्ण रहा, ऐसा आदमी ऐसी बात कभी नहीं कह सकता। इसके अतिरिक्त हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 'पेट्रियट' का प्रतिनिधि वहां उपस्थित नहीं था, उसने यू० एन० आई० की रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त की। उसने इसी से कहानी गढ़ ली। और यहां तक कि श्री के० पार्थसारथी द्वारा दी गयी यू० एन० आई० की रिपोर्ट में भी यह नहीं कहा गया है कि मंत्री ने ऐसा कहा कि हरिजनों को लात मारी जाय। प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के प्रतिनिधि के अनुसार "यह रिपोर्ट गलत और भ्रामक है।" टाइम्स आफ़ इंडिया के सम्वाददाता ने भी कहा कि "रिपोर्ट में मंत्री के कथन को गलत और विकृत ढंग से पेश किया गया है और पेट्रियट के सम्वाददाता वहां उपस्थित भी नहीं थे।" मुख्य मंत्री को अपने पत्र में श्री थिम्मा रेड्डी ने कहा है कि "मैं इस विवरण में श्री सीताराम (पेट्रियट के सम्वाददाता) के सम्बन्धों तथा क्रियाकलापों अथवा उनका मेरे प्रति जो विद्वेष भाव है उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं।" इससे स्पष्ट है कि पेट्रियट के सम्वाददाता श्री रेड्डी से घृणा रखते हैं। अतः वह श्री रेड्डी के विरुद्ध कुछ प्रकाशित करने के अवसर की प्रतीक्षा में थे। इसीलिए पेट्रियट के सम्वाददाता ने ऐसा किया होगा। अतः श्री रेड्डी के विरुद्ध रची गयी यह सारी बात मनगढ़न्त है क्योंकि श्री सीताराम की श्री रेड्डी से दुश्मनी थी, अतः मंत्री जी की निन्दा करना उचित नहीं है। मैं गृह-कार्य मंत्री जी से कहूंगी कि वे श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी से कहें कि ऐसी घटनाओं की समुचित तथा पूर्ण जांच की जानी चाहिए और उन अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए जिनके ढीलेपन से ऐसी घटनाएं घटित होती हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन (विशाखापत्तनम): हमें देश में हरिजनों और अन्य लोगों के बीच कम से कम समय में भेदभाव दूर करने के लिये विशेष प्रयास करने चाहियें। जहां तक इस विशेष काम का सम्बन्ध है इस भावनाओं से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए।

एक बात उठायी गयी कि यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्य मंत्री ने मामले की जांच स्वयं की है या नहीं। समाचार यह मिला है कि जांच उन्होंने स्वयं की है। विभिन्न सवाहों से पूछे गये प्रश्न वही या उसी क्रम में नहीं थे।

यह ठीक ही है कि मुख्य मंत्री ने अपना मत नहीं दिया । यह संभव नहीं था । यदि वे श्री थिम्मा रेड्डी का समर्थन करते तो हम आसानी से कह सकते थे कि मुख्य मंत्री से, जो अपने पद पर बने रहने के लिये अन्य मंत्रियों पर निर्भर रहता है और क्या आशा की जा सकती है । दूसरी ओर यदि वे प्रतिकूल रिपोर्ट देते तो उन्हें उसे ली गयी पूरी गवाही के साथ प्रस्तुत करना पड़ता । लेकिन जो गवाहियां उन्होंने भेजी हैं, उनसे प्रतीत होता है कि जो कुछ प्रकाशित किया गया है वह श्री थिम्मा रेड्डी ने नहीं कहा । जिन सम्वाददाताओं की गवाही ली गयी है उनमें यू० एन० आई० के श्री पार्थसारथी के अलावा, जिनको नौकरी करते हुए केवल 7 महीने ही हुए हैं, सभी प्रसिद्ध और अनुभवी सम्वाददाता हैं। किसी भी सम्वाददाता ने यह रिपोर्ट नहीं दी । केवल श्री पार्थसारथी ने इसका संकेत किया था जिस पर "पेट्रियट" के सम्वाददाता का समाचार आधारित है । श्री पार्थसारथी ने भी कहा कि बाद में इस पर हम सब देखें। इसलिये यह स्पष्ट है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि हरिजन चोर होते हैं और उन्हें लात मारनी चाहिए । पेट्रियट की रिपोर्ट अन्य रिपोर्टरों को दिखायी गयी और उन्होंने कहा कि इसमें श्री थिम्मा रेड्डी की कही हुई बात नहीं है । इसलिए "पेट्रियट" की रिपोर्ट सही नहीं है ।

श्री नंजा गौडर (नीलगिरी) : स्वतंत्रता प्रदर्शन के 20 वर्ष बाद भी हरिजनों की दशा में कोई सुधार नहीं हो सका है

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

हरिजनों के साथ जो कुछ हुआ है, उसके लिये सरकार को उदासीत्य जिम्मेदार है । कानून तो पास हो जाते हैं परन्तु उनको ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जाता । हमारे अच्छी नियत से किये गये प्रयत्न भी बेकार साबित हो जाते हैं क्योंकि हम उनमें निहित मानवीय समस्याओं को ध्यान में नहीं रखते । अस्पृश्यता व्यावहारिक रूप में विद्यमान है ।

सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा । 'उत्थान' तथा 'कल्याण' जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये शब्द इस बात का संकेत देते हैं कि हरिजनों में कुछ पैदायशी त्रुटियां हैं।

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने श्री थिम्मा रेड्डी को इस अभियोग से मुक्त कर दिया है कि उन्होंने हरिजनों के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया । यदि जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा ऐसे वक्तव्य दिये जायेंगे तो मामला बहुत गंभीर हो जायेगा । उनके दैनिक व्यवहार से हमारे देश की 25 प्रतिशत जनसंख्या के प्रति उनके सामान्य रवैये का पता चलता है ।

हरिजनों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है । उनसे सब तरह का भेदभाव और अनुचित व्यवहार किया जाता है। उन पर अत्यधिक घृणास्पद जुल्म तोड़े जाते हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज भी स्थिति इतनी खराब है ।

[श्री नंजा गौडर]

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, वे दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के बजाये इन घटनाओं के लिये जिम्मेदार हैं। वे हरिजनों के साथ घृणास्पद व्यवहार करते हैं, उन्हें गंदी गालियां देते हैं और खुले आम पीटते भी हैं।

यह वास्तव में दुःख की बात है कि जिन असहाय, पीड़ित और शोषित लोगों के लिये महात्मा गांधी जीवित रहे और उनकी सेवा की, उनकी अब न केवल उपेक्षा की जा रही है बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति इस मानवीय समस्या के निदान हेतु तुरन्त गठित की जानी चाहिए।

श्री दशरथ राम रेड्डी (कावली) : सभा के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि क्या श्री थिम्मा रेड्डी पर थोपे गये वक्तव्य वास्तव में उनके द्वारा ही दिये गये थे अथवा नहीं। यदि उन्होंने ऐसा कहा था तो यह एक समुदाय विशेष के विरुद्ध बड़ा गंभीर आरोप है और ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति के ऐसे कथनों की अवश्य निन्दा की जानी चाहिये।

यह मामला सभा के समक्ष पहले भी आया है। गृह मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया और उनसे कहा कि वह अपनी ओर से जांच करके अपनी रिपोर्ट उन्हें भेज दें। मुख्य मंत्री ने सभी संवाददाताओं की गवाही लिखी और अक्षरशः वृत्तांत सभा को भेज दिया है। अच्छा होता यदि श्री थिम्मा रेड्डी पहले स्वयं पूरा वक्तव्य दे देते किन्तु हमें शायद पता नहीं था कि उनके विरुद्ध क्या आरोप है। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ उन्होंने निश्चित रूप से इसका खंडन कर दिया।

सभा के समक्ष जो गवाही है, उससे स्पष्ट है कि जो शब्द कहे जाने का उन पर आरोप है, वह सच नहीं है। अतः सभा को इस मामले पर आगे चर्चा नहीं करनी चाहिये।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) :The news by the correspondent of "Patriot" cannot be accepted arbitrarily. It is also not believable that the statement of several old correspondent have been taken under duress. But from the evidences before us, we cannot arrive on the conclusion whether the alleged statement by Shri Thimma Reddy is correct or not. It is evident that efforts are being made to conceal what is happening with the Haryana in the State.

It appears that Shri Reddy is of the belief that the happenings with the Harijans are a routine thing. He has not expressed concern over the incident which took place with the Harijans in the State. A man of such views should not have any place in the Government.

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : कथित वक्तव्य की आलोचना ठीक नहीं है।

आंध्र प्रदेश की बदनामी करना और आंध्र प्रदेश की जनता पर दोष लगाने के प्रयत्न निन्दनीय तथा आपत्तिजनक है। जहां तक सामाजिक क्रांति का सम्बन्ध है, आन्ध्रवासी शेष भारत से अधिक तेजी से आगे बढ़े हैं, हमें इस बात का गर्व है कि भारत का प्रथम मुख्य मंत्री आन्ध्र प्रदेश का एक हरिजन व्यक्ति बना। हमें इस बात का भी गर्व है कि प्रथम हरिजन कांग्रेस अध्यक्ष भी आंध्रवासी था। आन्ध्र प्रदेश में जबरदस्ती सामाजिक क्रान्ति आई है।

श्री थिम्मा रेड्डी के विरुद्ध कोई भी आलोचनात्मक अथवा गैर-जिम्मेदाराना बात बिल्कुल अनुचित है क्योंकि वह सभा में अपना बचाव करने के लिये उपस्थित नहीं ह ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सभा में हो रही चर्चा 'पेट्रियट' में छपे इस समाचार के परिणामस्वरूप चल रही है कि आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री श्री थिम्मा रेड्डी ने कुछ संवाददाताओं के समक्ष यह कहा बताया जाता है कि हरिजन ठोकर लगाने और पीटे जाने योग्य हैं। यह बात न केवल हरिजनों की बेइज्जती है अपितु भारत में रहने वाले सभी लोगों की बेइज्जती है । अब श्री थिम्मा रेड्डी ने एक वक्तव्य दिया है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने गवाहियां और संवाददाताओं के वक्तव्य प्रस्तुत किये हैं। लेकिन हम समझते हैं कि इस संवाददाता सम्मेलन में इससे कहीं अधिक और बुरी-बुरी बातें कही गई थीं, जिसमें श्री थिम्मा रेड्डी ने वक्तव्य दिया था । श्री राम राव, संवाददाता ने अपने बयान में कहा है कि "गांवों में चोरियां आम तौर पर होती रहती हैं और जो चोर पकड़े जाते हैं, उन्हें पीटना भी आम बात है ।" उसने आगे यह भी कहा है कि "साधारणतया हरिजन जो बहुत निर्धन हैं, वे चोरियां करते हैं और गांव वाले उन्हें पकड़ कर तुरन्त मारने लगते हैं। हम इसलिये समझ सकते हैं कि वहां क्या कुछ होता होगा ।

यह भी एक प्रश्न किया गया था कि पत्रकारों के बारे में क्या कहा गया है । उसने उनसे कहा था कि "आप पत्रकार लोग जो जाति की बातें करते हैं उनको ठोकर मारनी चाहिये ।" यह इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने हरिजन के जलाने की बात को छापा था ।

मद्रास के एक पत्रकार लक्ष्मीकांथम को भी 15 वर्ष पूर्व दिन दहाड़े मार दिया था ।

मैं नहीं चाहता कि संसद एक राज्य के मंत्री के बारे में निर्णय करे । मैं यह वहां के मुख्य मंत्री के लिये छोड़ रहा हूं और न केवल आंध्र प्रदेश के लोगों के लिये अपितु सारे भारत के लोगों के लिये तथा वहां की विधान सभा के सदस्यों के लिये और कांग्रेस दल के लोगों के लिये क्योंकि मैं समझता हूं कि वे अब भी गांधी जी के अनुयाई हैं।

Shri Sheo Narain (Basti)- Sir, the uplift of Harijans is the responsibility not so much of us as of the Hon. Home Minister, of the Chief Minister of Andhra Pradesh of Mrs. Indira Gandhi.

The Chief Minister of AndhraPradesh was not done a correct thing in sending the report. He has not given his own opinion. He was just sent the report.

I demand of the Hon. Home Minister to hold a judicial inquiry about this. A judge shoul be appointed for this purpose. There is no question here of giving protection to a minister.

To the opposition member I want to say that this matter has been raised not by them but by one Congress member.

We are 10 crore Harijans. We stand on our legs now. It is not only a question of Harijans but even the press people have been beaten. I would request the journalists

[Shri Sheo Narain]

to give correct picture of events which take place. I seek cooperation of all to do nothing for the upliftment of Harijans.

Shri Bhogendra Jha (Javiager) : Mr. Deputy-Speaker Sir, I do not ask for the resignation of Shri Jagjivan Ram. If someone has to resign is should be the Hon. Home Minister or the Hon. Prime Minister. I may mention an incident of Bihar about which 50 M. Ps. wrote a letter asking for an inquiry into a murder case. But the S.D.O. ordered there on 23rd November that there is no necessity for an inquiry. Again a murder was committed on 4th December and the witnesses deforced but no action has so for been taken.

The people of high castes also indulge in robbery and theft and yet nobody punishes them. The newspaper men have not been afraid from threat.

I therefore ask for a judicial inquiry of this Thimma Reddy incident as well as about the murder committed in Bihar. Shri Reddy should also submit his resignation.

Shrimati Sushila Rohatgi (Billaur) : Sir, the wave of anger which is evident now over the incident is natural.

But we have also to view the matter in the higher that on the one hand there are journalists of 15 to 30 years standing who are saying that no such thing has been said. On the other hand one journalist of a paper says the opposite thing. That information we got on telephone only. We have therefore to view both these hings in a balanced manner.

We also have to see that the standard of journalism should not go down in any way. The journalists should write things which may integrate the whole nation and not those things which may disintegrate it.

The second point to be seen is whether we can interfere into the internal affairs of a State. To keep or not to keep a minister is the responsibility of the Chief Minister.

Thirdly I want to say that the newspaper "Patriot" publishes sensational news and we will have to think about it.

Fourthly we should not say things here about persons who are not present here to reply to the allegations levelled against them.

The uppermost thing which we should always keep in mind is the unity of the nation. We should take up issue which may create a sense of disintegration in the name of caste or minority. We should never forget that Harijans are a part of us. It is Congress party which has fulfilled its responsibility towards the Harijans. We shall maintain the sense of unity at all costs.

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : उपाध्यक्ष महोदय यह कहा गया है कि हमें इस प्रश्न पर भावुकता के आचरण नहीं करना चाहिये । परन्तु मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं भावुकता में हूं क्योंकि हरिजनों को 2000 वर्ष तक कुचला गया है । आज बीसवीं शताब्दी के अन्त में भी थिम्मे रेड्डी जैसे व्यक्ति विद्यमान हैं ।

गृह-कार्य मंत्री ने 29 अप्रैल को कहा था कि वह स्वयं जांच करेंगे । और अपना अन्दाजा बतायेंगे । वहां के मुख्य मंत्री से जब किसी ने पूछा कि क्या उनसे किसी अधिकारी ने पूछ-ताछ की है तो उन्होंने कहा कि नहीं । मेरा कहना यह है कि फिर उनके जांच विभाग ने क्या आंध्र प्रदेश के बिजली के खम्बों से पूछ-ताछ की है । क्या यह जांच के पत्र सभा-पटल पर रखने को तैयार हैं ?

यहां कुछ दिन पूर्व असैनिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि इस देश में शंकराचार्य पहले पर्यटक थे। शंकराचार्य पर्यटन के पिता हैं.....***

उपाध्यक्ष महोदय : यह शब्द कार्यवाही से निकाल देने चाहियें ।

श्री ए० श्रीधरन : वहां के मुख्य मंत्री ने "पीटने" शब्द की भी व्याख्या की है। हमारा वहां के मुख्य मंत्री, वहां के राज्यपाल तथा यहां के गृह-कार्य मंत्री में कोई आस्था नहीं है। हम तो केवल न्यायिक जांच से ही संतुष्ट होंगे और वही करनी चाहिये ।

Shri Kartik Oraon (Lohardaga) : Sir, I can say only one thing that either Shri Thimma Reddy can be correct or the paper correspondent can be correct or the Hon. Home Minister here can be correct. All of them cannot be correct.

On 25 April in Ranchi a post-graduate student was called out of the calss and beaten. Even the Vice Chancellor rusticated him though he was taken back later on.

If we do not check these things our lives will become miserable.

It appears that no action is being taken against this incident.

The question here is not of Harijans or Adivasis. It is of citizens of this nation. If any citizen does not get justice here whether he is a Harijan or Adivasi or of the other classes, it should be a matter of concern to all of us.

We should never think in terms of castes or religions. We should frame strict laws in such matters and implement them strictly. Otherwise we will collapse because of this ruler.

श्री सी० के० चक्रपाणि (पोन्नाणि) : महोदय जब यह मामला यहां आया तो गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि वह राज्य के मुख्य मंत्री से इसके बारे में रिपोर्ट मांग रहे हैं । वह रिपोर्ट प्राप्त हो गई । श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी अपने दौरे पर चले गये और फिर एक साधारण सी रिपोर्ट भेज दी । उन्होंने अपने विचार भी उनमें व्यक्त नहीं किये हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी को जान बूझ कर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कारण है कि श्री चह्वाणने अपने गुप्तचर विभाग से सूचना प्राप्त नहीं की । आंध्र प्रदेश में हरिजनों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है । उन्हें कत्ल किया जाता है। उनकी स्त्रियों को तंग किया जाता और अन्य अत्याचार किये जाते हैं । इन परिस्थितियों में सरकार से न्याय की आशा नहीं की जा सकती । मैं पूछना चाहता हूं कि एक पत्रकार और एक संसद-सदस्य के अलग-अलग वक्तव्य हों तो आप किस की बात मानेंगे ?

श्री जी० मा० कृपालानी (गुना) : महोदय जब एक पत्रकार के शब्दों और एक संसद-सदस्य के वक्तव्य में विरोध हो तो किस को मान्यता देंगे । यदि कोई मंत्री हो तो और भी यह माननीय बन जाते हैं । यहां इस सदन में भी संसद-सदस्यों की अपेक्षा मंत्रियों की बात को सच्चा माना जाता है । इस कारण मेरा कहना यह है कि एक मंत्री को बिना उचित गवाही के बर्खास्त नहीं कर सकते । यदि वह मंत्री कहते हैं कि उन्होंने वह बात नहीं कही तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह अपनी बात से पीछे हट रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में उन्हें संदेह लाभ देना चाहिये । हां यदि आप न्यायिक

***अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

***Expunged as ordered by the chair.

[श्री जी० मा० कृपालानी]

जांच बिठाना चाहें तो वह दूसरी बात है । जब तक उनका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता वह बेगुनाह है । यहां मांग की गई है कि मुख्य मंत्री, राज्यपाल तथा गृह-कार्य मंत्री को बर्खास्त किया जाये । आप यहां एक न्यायिक के रूप में कार्य कर रहे हैं । यहां हमें एक बाजारी आदमी अथवा एक मूर्ख की भान्ति कार्य नहीं करना है । अभी तक उनके विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है ।

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : कार्य संभरण समिति में जब समय निश्चित किया गया था तो अध्यक्ष महोदय 7 बजे म० प० से बाद में बैठने के लिये सहमत हो गये थे। इसके अतिरिक्त मैंने प्रस्ताव की सूचना की थी । अत: इस विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : दो घंटे का समय नियत किया गया था । मैं इसे 10 या 15 मिनट और बढ़ा सकता हूं । मैं प्रयत्न करूंगा कि सबको अवसर मिले । एक सदस्य को अधिक से अधिक 5 मिनट मिलेंगे । श्री बूटा सिंह ।

Shri Buta Singh : I am grateful that I have been given a chance to participate in the discussion on the statement made by the Home Minister on 6th May, 1968, regarding the reported statement by the Agriculture Minister of Andhra Pradesh against Harijans. Some body asked: what is the relation between the maltreatment and the statement made by the Agriculture Minister ? There exists the same relations as exists between the guilt and guilty, between a murderer and the murdered. The statement of Shri Thimma Reddy, which came after the recent incidents in Andhra Pradesh, added insult to injury. It caused damage to the cause of Harijans. It adversely affected the consciousness rising steadily in them. The statements made by the reporters before the Chief Minister have no significance, because they were not made in the court after taking the oath. So no judgement can be given on such statements. I therefore demand that a judicial inquiry should be instituted, which will reveal the truth. I suggest that a Supreme Court Judge should head the enquiry body. Only court of law can decide in this matter. Even we people cannot sit on the judgement of a court of law. Now some awakening has come among the Harijans and they are conscious of their rights. So it is not easy to treat them as slaves any more. In the end I again request that a judicial enquiry should be made to know the truth and stringent action should be taken against one, who is found guilty.

Shri Ram Charan (Khurja) : A number of instances can be quoted to prove that Harijans are being victimised everywhere. There is awakening in minorities now. They are conscious of their rights. They will no more tolerate the ill-treatment meted out to them. Whether wrong-doer is a Minister or any ordinary man, it does not matter. It is reported that Shri Thimma Reddy has issued an objectionable statement. To find the truth, first he should be dismissed, and then a judicial inquiry should be instituted into the whole matter. Whosoever—the Minister or the Press correspondents is found guilty should be severely punished. I also make an appeal to the newspapers that they should expose the cases of ill-treatment of Harijans. I pay my tributes to the 'Patriot' which has done well in publishing the statement of Shri Thimma Reddy. I also suggest that the reports of C.I.B. and the State C.I.D. should be laid on the Table of the House. On the basis of them it will be easy to decide whether the alleged remarks were made by the Minister or not.

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : The report which is before the House is a proof of the fact that Shri Thimma Reddy has certainly said something, but now he is not pre-

pared to admit it. We have no objection if he denies it. But at the same time we demand that a judicial enquiry should be held into the matter, because it will reveal the fact and we will come to know whether the Minister is guilty or the press reporter is guilty. It is wrong to ask the Chief Minister to institute an enquiry into the matter. This job should have been done by Central Intelligence Officers. I would like to know whether the Prime Minister, the Home Minister or Social Welfare Department has has made enquiries into this matter. If none of these has done so, a Supreme Court judge should be deputed to enquire into the whole affair. Because Shri Thimma Reddy's statement has hurt the feelings of Harijans. If Shri Reddy is found guilty, he should be punished. It will strengthen the Congress instead of weakening it. Unless the guilty is punished, the resentment among the people throughout the country cannot be pacified with these words. I strongly demand a judicial enquiry into the whole affair.

श्री नारायण रेड्डी (विजायाबाद) : ऐसे विषय पर चर्चा करते समय, जैसा कि विचाराधीन है, हमें विषयगत दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये, भावुकता के आधार पर नहीं, जो तथ्यों से कोसों दूर हो। हमें मामले के गुण-दोषों का विवेचन करना चाहिये और उससे किसी विशेष अवसर पर लाभ नहीं उठाना चाहिये। पहले हमें मामले को भली भांति समझ लेना चाहिये। श्री सीताराम ने श्री पार्थासार्थी द्वारा बताई गई बात पर विश्वास किया। स्वयं सीताराम पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित न था। पहली बात जो श्री सीताराम को अखरी वह मंत्री द्वारा पत्रकारों के विरुद्ध की गई टिप्पणी थी। उसने अपने उन साथियों से सलाह की जो इस मामले को उठाना चाहते थे। प्रारम्भ में उसका हरिजनों के बारे में कही गई किसी बात से कोई सम्बन्ध नहीं था। जब उसने देखा कि उसके पत्रकार साथी उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो उसने इस मामले को एक नया मोड़ दिया ताकि वह श्री थिम्मा रेड्डी से बदला ले सके। श्री थिम्मा रेड्डी और श्री सीताराम के बीच सम्बन्ध भी मैत्रीपूण नहीं है। यह बात भी स्पष्ट है कि लम्बे समय से उनके बीच बैर भाव चला आ रहा है। श्री सीताराम यू० एन० आई० के प्रमुख समाचार संवाददाता हैं। उसने इस समाचार को प्रकाशनार्थ नहीं भेजा था बल्कि इसलिये भेजा था कि संसद के सत्र में जो उस समय चल रहा था, कुछ संसद-सदस्य इस घटना से लाभ उठायेंगे। दूसरे समाचार पत्रों के पत्रकारों पर लांछन लगाना भी अनुचित है चूंकि उन्होंने मन-गढ़न्त कथा का समर्थन नहीं किया। न्यायिक जांच के सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि ऐसी जांच से वर्तमान स्थिति में कोई लाभ नहीं होगा जबकि सम्बन्धित व्यक्तियों ने लिखित रूप में वक्तव्य दे दिये हैं। यदि कोई चाहे तो उनके विरुद्ध मानहानि का दावा अदालत में करे। अतः मेरा यह निवेदन है कि वर्तमान स्थिति में मामले को जहां का तहां समाप्त कर देना ही उचित और शोभनीय है।

Shri B. N. Kureel (Ramsanehighat) : Mr. chairman, it is to be seen here: whether the reported statement was in fact given by Shri Thimma Reddy or it was attributed in his name.

It is clear from the evidence of Shri Ramarao, one of the press reporters that Shri Thimma Reddy has said that Harijans are thieves because they are poor, and that they should be kicked and thrashed. The reporter further quoted him saying that the press reporters who lend support to them should also be kicked. A person who holds such views is not fit to be a Minister. He should at once quit the office of a Minister. In the

[Shri B. N.Kurel]

end, I request the Home Minister should order for a judicial enquiry to be held into the matter.

Shri A. Dipa (Phulbani) : I should also be given some time. I have already sent a slip.

Mr. Chairman : I have received your slip. But I am sorry that I am not in a position to accommodate you on account of short time at our disposal you may please resume your seat.

Shri A. Dipa : I will not sit. I will walk out.

[श्री अर्ट पा सदन के बाहर चले गये]

Shri A. D. Dipa then left the House.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं सभी सदस्यों के मनोभावों को भली भांति समझ रहा हूं । वास्तव में हरिजनों की समस्याओं पर हाल की घटी घटनाओं के संदर्भ में अधिक गंभीरता और सावधानी से विचार किया जाना चाहिये । परन्तु यहां पर तो एक सीमित विषय है जिसके सम्बन्ध में हमें तथ्यों पर ध्यान देना होगा । यह समाचार 24 तारीख के "पैट्रिआट' में छपा था । इसके पश्चात् उसका श्री थिम्मा रेड्डी द्वारा खंडन करने का समाचार प्रकाशित हुआ । सभा में भी यह प्रश्न उठाया गया । मने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से परामर्श किया और उन्होंने इस मामले में छानबीन करने का आश्वासन दिया । 4 तारीख की शाम को मुख्य मंत्री ने अपनी रिपोर्ट भेजी तथा साथ में सभी सम्बन्धित लोगों के वक्तव्य भेजे जो मुख्य मंत्री के सामने छानबीन के दौरान दिये गये थे । मुख्य मंत्री ने उसमें अपनी कोई राय या अनुमान प्रकट नहीं किया है । उसने सभा का आदर करने के लिये यह कहा कि इस मामले को सभा द्वारा मूल्यांकन करने के लिये छोड़ा जाता है । इस प्रकार यह कहना, कि प्रतिवेदन में कुछ भी नहीं है, उचित नहीं है । यह राजनैतिक समालोचना कही जा सकती है, परन्तु मुख्य मंत्री का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जा सकता । यदि किसी मामले की छानबीन करने के लिये सम्बन्धित राज्य का मुख्य मंत्री तैयार हो जाता है तो फिर केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को वहां भेजना उचित प्रतीत नहीं होता । विचार का विषय तो केवल यह है कि क्या श्री थिम्मा रेड्डी ने वस्तुतः वह बात कहीं है जो 'पैट्रिआट' में प्रकाशित की गई थी । श्री थिम्मा रेड्डी को सम्बन्धित समाचार पत्र पर मानहानि का मुकदमा चलाना चाहिये या नहीं । इस पर विचार करने का काम स्वयं श्री थिम्मा रेड्डी का है ।

मने इन दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया है । उन व्यक्तियों ने मजबूर होकर कोई वक्तव्य नहीं दिये हैं । श्री वामनराव से पूछा गया था "कि, क्या मंत्री ने कहा था कि हरिजन चोर हैं और उन्हें पीटा जाना चाहिये ?" उत्तर में कहा गया "नहीं ।" यह भी पूछा गया था कि क्या श्री सीताराम ने 22 तारीख को प्रेस इन्टरव्यू में हरिजनों के बारे में मंत्री के कथित कथन के विषय में आपसे पूछा था या पूछताछ की थी ?" उत्तर में कहा गया "नहीं ।"

23 तारीख को श्री सीताराम और वामन राव में बात हुई थी जो इन्टरव्यू में उपस्थित थे । जब श्री सीताराम ने श्री वामन राव को डाक पढ़कर सुनाई तो

उन्होंने उन्हें बताया कि मंत्री ने ऐसी बात नहीं कही थी कि हरिजन चोर हैं और उन्हें पीटा जाये। श्री कर्वे से भी यह प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया था।

श्री शर्मा से भी यह प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर 'नहीं' था।

श्री सीताराम की रिपोर्ट श्री पार्थसारथी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर आधारित है। वास्तव में यदि हम इन सभी साक्ष्यों पर पूरी तरह विचार करें तो मालूम होगा कि श्री पार्थसारथी का साक्ष्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि सभी हरिजन चोर होते हैं और उन्हें पीटा जाता है। उन्होंने कहा है कि कुछ चोर हरिजन हैं जिन्हें पीटा भी जाता है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण भी चोर हो सकते हैं।

इन मामलों में हमें वस्तुगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। हमें मनमाने तौर पर व्यवहार नहीं करना चाहिये। हम किसी भी हरिजन को परेशान करना नहीं चाहते।

हमारा यह कर्तव्य है कि हम किसी व्यक्ति को तब तक दण्ड न दें जब तक उसके बारे में तथ्यों का पता नहीं लग जाता।

यदि यह मामला प्रत्यक्ष रूप से सही प्रतीत होता है तो इस सम्बन्ध में न्यायिक जांच करने के लिये कहा जाना चाहिये। यह मामला प्रत्यक्षतः ठीक प्रतीत नहीं होता। वास्तव में सत्य यह है कि थिम्मा रेड्डी ने ये बातें नहीं कही हैं।

श्री हेम बरुआ : पत्र व्यवहार से यह स्पष्ट है कि श्री थिम्मा रेड्डी ने गांवों में चोरी के मामले में हरिजनों की ओर संकेत किया है। उन्होंने हाल ही की घटनाओं के सम्बन्ध में भी हरिजनों का उल्लेख किया है।

मुख्य मंत्री द्वारा की गई सपीच के बारे में सन्देह प्रकट किये गये हैं। अतः हम चाहते हैं कि गृह-कार्य मंत्री इस संदेह का समाधान करने के लिये अपनी ओर से कोई न्यायिक जांच करायें।

24 अप्रैल को 'पैट्रियाट' प्रकाशित इस रिपोर्ट का श्री थिम्मा रेड्डी ने खंडन तक नहीं किया।

हरिजनों का अपमान और अनादर न केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है बल्कि देश के अन्य स्थानों में भी किया जा रहा है। गृह-कार्य मंत्री को इस ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। देश के सब अल्पसंख्यक वर्गों को खतरा है। गृह-कार्य मंत्री को इस मामले को ऐसे ही समाप्त नहीं कर देना चाहिये क्योंकि उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। यदि सम्मेलन में आये विभिन्न पत्रकार और समाचार प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये ववतव्य पर ध्यान दें तो मालूम होगा कि उनमें अनेक त्रुटियां हैं। अतः सन्देह को दूर करने के लिये गृह-कार्य मंत्री को इस संबंध में शीघ्र जांच करवानी चाहिये।

सदस्यों की दोष-सिद्धि

Conviction of Members

सभापति महोदय : सभा को स्थगित करने से पहले मुझे सदस्यों की दोष सिद्धि के बारे में घोषणा करनी है ।

अध्यक्ष महोदय ने गाजियाबाद के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्राप्त दिनांक 7 मई, 1968 के एक तार की सूचना सभा को दी जिसमें बताया गया कि लोक-सभा सदस्य श्रीमती गंगा देवी और श्री सुन्दर लाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447 के अन्तर्गत एक अपराध में 7 मई, 1968 को दोष सिद्ध किया गया और पांच सौ रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा प्रत्येक को दी गई या जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को तीन महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई है । इन सदस्यों पर किये गये जुर्माने की अदायगी के लिये दस दिन का समय देने की उनकी प्रार्थना स्वीकार किये जाने के शीघ्र बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 9 मई, 1968/19 बैशाख, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday May, 9 1968/ Vaisakha 19, 1890 (Saka)

M30LSS (CP)/68